3 दिसम्बर 1993

अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1993/12 अग्रहायण, 1915 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
8, 143, 185, 207, 217	क्रमशः 17, 3, 19, 7 तथा 2	डा० डी॰ वेंकटेश्वर राव	श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव
21	11	श्रीमतो कृष्णेन्द्र कौर	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
29	13	स्त्रोत	स्रोत
52, 189	2, 2	प्रो० श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन	प्रो० सावित्री लक्ष्मणन
57, 153	नीचे से 6, 11	डा० रवि मल्लू	डा० आर॰ मल्लू
58	13	ग, घ, तथा ङ॰	(ग) से (ङ॰)
59	6	श्री दिलीप भाई संघाजी	श्री दिलीप भाई संघाणी
59	नीचे से तीसरी	(क), (ख) और (ग)	(क) से (ग)
75	4	क, ख, ग, घ, और ङ॰	(क) से (ङ॰)
83	नीचे से छठी	क, ख और ग	(क) से (ग)
102	13	श्री धर्मण्णा भोड्यया सादुल	श्री धर्मण्णा पोड्यूया सादुल
126	8	श्री पी॰पी॰ थामस	श्री पी॰सी॰ थामस
136	6	डा० लक्ष्मीनारायण पाड्ये	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
136	21	ग, घ और ङ॰	(ग) से (ङ॰)
174	नीचे से छठी	क, ख, ग और घ	(क) से (घ)
179	12	क, ख, ग, और घ	(क) से (घ)
180	12	प्रो० राम कापसे	श्री राम कापसे
191	9	डा० ए॰ पटेल	डा० अमृतलाल कालिदास पटेल
198	नीचे से ग्यारहवीं	श्री विजय नवल पाटील	श्री विजय एन॰ पाटील
211	नीचे से नवीं	ग, घ, ङ॰	(ग) से ङ॰)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 26, आठवां सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1993/12 अग्रहायण, 1915 (शक)

विषय	पृष्ठ
कजाक संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	**1**
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	**2**
निधन संबंधी उल्लेख	**2–7**
(श्री फ्रैंक एन्थनी का निधन)	
श्री पी०वी० नरसिंह राव	२
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	4
श्री शरद यादव	4
श्री सोमनाथ चटर्जी	4
श्री इन्द्रजीत गुप्त	5
श्री पी०जी० नारायणन	6
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	6
मेजर जनरल आर०जी० विलियम्स	6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**7-223**
तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 40	7–33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 168 से 271 और 274 से 380	33–223

लोक सभा

शुक्रवार, 3 दिसंबर 1993/12 अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज कुछ भिन्न प्रक्रिया अपनाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

11-0½ म.पू.

[अनुवाद]

कज़ाक संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से कज़ाखस्तान गणतन्त्र की सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन महामहिम श्री सेरिक बोल्सुन अब्दिलदाविच अब्दिलदिन, श्रीमती लौरा एसनजल दिवाना अब्दिलदिन तथा कज़ाखस्तान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो इस समय भारत की यात्रा पर हैं और हमारे सम्मानित अतिथि हैं, का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार से हैं :–

(1) श्री वुलात बखितज़ानोविच जहानासाव

(2) श्री इडील गालिविच मुसालीमोव

(3) श्री ब्लादीमीर एलेक्जेडरोविच गुलमाव

(4) श्री कादर गिनायाटोविच मिर्जालिव

(5) सुश्री लिदिआ वासिलयेवना कोचेटोवा

यह शिष्टमंडल 1 दिसंबर 1993 की दोपहर को दिल्ली पहुंचा था। इस समय इसके सदस्य विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम इस देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम कज़ाखस्तान गणतन्त्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

11-02½ म. पू.

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि महाराष्ट्र के बारमती निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिए निर्वाचित श्री शरद पवार से दिनांक 3 सितम्बर, 1993 को पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने दिनांक 3 सितम्बर, 1993 से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिए निर्वाचित श्री मदन लाल खुराना से दिनांक 2 सितम्बर, 1993 को पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने दिनांक 2 दिसम्बर 1993 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

11-03 म.पू.

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अपने साथी श्री फ्रैंक एंथनी के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री एंथनी इस पावन सभा से एक लम्बे अर्से से सम्बद्ध रहे। वह केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा, अंतरिम संसद, पहली से पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इस प्रकार कुछ अंतराल को छोड़कर वह अर्द्धशती से भी अधिक समय तक संसदीय कार्यकलापों से सम्बद्ध रहे। उन्होंने संसदीय कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया। "वकील के रूप में वह एक अग्रणी सामाजिक व्यक्तित्व थे। वह संविधान के विख्यात विशेषज्ञ थे। अपने दीर्घकालीन और अतिविशिष्ट सामाजिक जीवन में वह विभिन्न संगठनों और संस्थाओं में विभिन्न पदों पर पदासीन रहे। इनमें से कुछ हैं वायसरायएज नेशनल डिफेंस काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इत्यादि।" शिक्षविद होने के नाते उन्होंने अनेक शैक्षिक संस्थाओं का संवर्द्धन किया, जो शिक्षा के उच्च स्तर और अतिविशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक अभिरुचि के कारण उन्होंने "ब्रिटेन्स बिट्रेयल इन इंडिया- दी स्टोरी आफ दि एंग्लो- इंडियन कम्यूनिटी" शीर्षक से पुस्तक लिखी, जो काफी लोकप्रिय रही।

एंग्लो- इंडियन समुदाय के अग्रणी प्रतिनिधि श्री एंथनी ने सामाजिक उन्नति के लिए काफी काम किया। "उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया। वह 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रिंसिपल अलिगेट थे तथा 1948 में लंदन में आयोजित तथा नई दिल्ली में 1957 में आयोजित राष्ट्रमंडल

संसदीय सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय संसदीय शिष्ट मंडल के सदस्य थे।" उनके निधन से देश ने एक विख्यात सामाजिक व्यक्तित्व और योग्य सांसद खो दिया है। उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हो गई है, उसको भर पाना बहुत ही कठिन है। उनका अभाव हम सभी को खलता रहेगा।

श्री एंथनी का देहावसान 85 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में हुआ।

हमें अपने इस साथी के निधन पर गहरा दुःख है तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक-संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, हमने भारत के सार्वजनिक जीवन का एक और दिग्गज खो दिया है। संविधान सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य हमें छोड़कर चला गया है, जिससे संभवतः ऐसी रिक्तता पैदा हो गई है, जिसकी पूर्ति बहुत मुश्किल से होगी। आज मैं अपूरणीय क्षति और गहन दुख के भाव के साथ इस सदन में अपने सबसे पुराने सहयोगी को श्रद्धांजलि दे रहा हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी इस सदन के उत्कृष्ट सदस्य थे। वह एक ऐसे लोक सभा सदस्य थे, जिन्हें एक लोक सभा को छोड़कर अब तक की शेष सभी लोक सभाओं में सदस्य होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त था। श्री फ्रैंक एन्थनी 1942 में पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनने के बाद निरन्तर देश की राजनीति से जुड़े रहे। संविधान सभा के सदस्य होने के नाते उन्होंने देश के संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। पेशे से वकील होने के कारण इस सभा में दिए गए उनके सभी भाषणों में उनकी विद्वता और कानूनी ज्ञान तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की छाप हमेशा रहती थी।

श्री एन्थनी ने अपना सम्पूर्ण जीवन एक सुदृढ़ एवं प्रगतिशील राष्ट्र की परमावश्यकता अर्थात शिक्षा के लिए लगा दिया। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की तथा वह बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। वह सभी धर्मार्थ प्रयोजनों एवं लोकोपकार से संबंधित प्रयासों के लिए अपना समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुझे विश्वास है कि अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं के अधिकारों के लिए जिस तरह से वह संघर्ष करते रहे, हम सभी उसे याद रखेंगे। उन्होंने उनके (अल्पसंख्यकों) अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके लिए संघर्ष करने में अपना पर्याप्त समय एवं शक्ति लगाई।

श्री फ्रैंक एन्थनी इस सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि थे। वह हमेशा उनके कल्याण की भावना अपने मन में रखकर उनके लिए कार्य करते रहे। उन्होंने सच्ची धर्मनिरपेक्षता के भाव से अपने समुदाय की भावना को व्यापक राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ा। यह सभा उनके विद्वतापूर्ण भाषणों का अभाव काफी लम्बे अरसे तक अनुभव करती रहेगी। उनके निधन से हुई रिक्तता की पूर्ति कठिन है।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

आपका अतिशय धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, आज पुनः एक दुखद प्रसंग पर यहां उपस्थित हुए हैं। कल ही हमने अपने सम्मानीय कतिपय सदस्यों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।

श्री फ्रैंक एन्थनी के देहावसान के कारण एक रिक्तता भारत की राजनीति में उत्पन्न हुई है। श्री एन्थनी एक वरिष्ठ शिक्षाविद ही नहीं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे और सुलझे हुए विचारों से परिपूर्ण थे। जब कभी संसद में वह अपनी बात कहते थे तो दृढ़तापूर्वक और सुलझे हुए ढंग से उसे रखते थे। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के कारण उन्होंने अपने बहुमुखी व्यक्तित्व का परिचय दिया था। शिक्षा क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। हमारे बीच आज उनका अभाव अत्यन्त खलने वाला है। मैं अपनी ओर से, अपने दल के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से फ्रैंक एन्थनी साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह महसूस करता हूं कि इस पार्लियामेंट में कई बरसों तक उन्हें रहने का मौका मिला। उनको बैठे हुए देखकर ऐसा लगता था कि कोई हमारा बुजुर्ग यहां बैठा हुआ है। जब वह बोलते थे तो उनकी स्मृतियों में हिन्दुस्तान की संविधान सभा से लेकर आज तक के अनुभव होते थे। वे हम सब लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होते थे। आज उनके निधन पर मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चूंकि वह बहुत उम्र दराज थे और हमारी संस्कृति व तहजीब में, जो उम्र दराज आदमी होता है तो बैंड बाजों से उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। मैं यह महसूस करता हूं कि वह बहुत उम्र दराज थे। उन्होंने इस देश की जो खिदमत की है, उनको याद कर अपनी पार्टी की तरफ से, उनके कामों के लिए बधाई देता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को पूरे सदन की तरफ से संवेदना पहुंचाने का आप काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री एन्थनी के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके देहावसान से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। वह मेरे पिता जी के मित्र थे। हम दोनों एक ही पेशे से सम्बद्ध थे और मुझे उनका भरपूर स्नेह प्राप्त करने का विशेष अवसर मिला है। वह एक विख्यात वकील थे और एक ऐसी पीढ़ी से संबंध रखते थे, जबकि सफल एवं अग्रणी वकील अपने आप को मात्र अपने पेशे तक ही सीमित नहीं रखते थे, बल्कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के आन्दोलन एवं राष्ट्रनिर्माण तथा जन–कल्याण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में भी सक्रिय रुचि लेते थे। श्री एन्थनी जी ने न केवल अपने समुदाय बल्कि संविधान–सभा, अंतरिम–संसद एवं इस सभा के सक्रिय सदस्य के रूप में राष्ट्र की भी पूर्ण सेवा की। महोदय, उनका एक चिरस्थाई योगदान रहा है और उन्हें विधि के शासन एवं संवैधानिक मानदंडों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सदैव

याद किया जाएगा। उनके नेहरू परिवार के साथ बड़े नजदीकी संबंध थे। वह हमेशा इसी तथ्य का उल्लेख करते थे कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को कतिपय कानूनी कार्यवाहियों का सामना करना पड़ा था, तो वह उनकी तरफ से न्यायालय में हाजिर हुए थे। एक सक्रिय सांसद, शिक्षाविद लोकोपकारक तथा शैक्षिक संस्था के निर्माता के रूप में श्री एन्थनी का बहुआयामी व्यक्तित्व हमारी स्मृति में सदा विद्यमान रहेगा।

मैं उनके परिवार के सदस्यों को श्री एन्थनी जी के दुखद निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं तथा माननीय प्रधान मंत्री जी एवं शरद जी द्वारा उनके व्यक्त किए गए विचारों के साथ स्वयं को सहयोजित करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें श्री फ्रैंक एन्थनी के निधन पर गहरा दुख हैं। मुझे बताया गया है कि उनका देहावसान शांतिपूर्वक हुआ है। निस्संदेह, वह 86 वर्ष के थे, जोकि एक परिपक्व वृद्धावस्था है। संसद सदस्य के रूप में उनका लम्बा कार्यकाल रहा था और वह वास्तव में इस सभा में अपने आप में एक प्रकार की संस्था बन गए थे। हम सभी उन्हें सभा में देखने के आदी हो गए थे। निस्संदेह वह अपने युवाकाल में अत्यधिक प्रसन्नचित्त एवं सशक्त थे। हाल ही के वर्षों में उम्र का प्रभाव उन पर पड़ने लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी वह सभा की बैठकों में बड़ी ईमानदारी से भाग लेते थे और वह आपका अथवा भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु अनेक प्रयास किया करते थे–यद्यपि ऐसा करने में वह हमेशा सफल नहीं हो पाते थे–क्योंकि वह सदैव अपनी बात मनवाना चाहते थे, इसलिए वह यदाकदा अपने विचारों को बड़े मनोहर ढंग से प्रस्तुत करते थे। नाम निर्देशित सदस्य होने के नाते वह कभी–कभार हास्यास्पद बातें कर दिया करते थे, जिनसे उनकी गरिमा घट जाती थी । लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी छोटी–छोटी बातों के लिए उनको हेय समझना उचित नहीं।

जहां तक आंग्ल–भारतीय समुदाय का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर श्री एन्थनी जी से बढ़कर उनके हितों के रक्षक के रूप में किसी दूसरे प्रवक्ता की वर्षों तक आशा नहीं कर सकते। वह हमेशा हमें एवं इस सदन को यह स्मरण करवाते रहे थे कि उनके समुदाय ने–यद्यपि ये संख्या में कम एव क्षीयमान हैं–हमारे देश की रक्षा एवं विशेष तौर पर खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका अदा की है। उनका व्यवहार दूसरों के प्रति हमेशा अति शिष्ट एवं विनम्र होता था तथा वह एक प्रखर वक्ता एवं फौजदारी मुकदमों के उत्कृष्ट वकील थे, जैसा कि मुझे विदित है, अनेक पेंचिदा मुकदमों को लड़ा है।

महोदय, अतः, मैं समझता हूं कि इस समूची सभा को उनकी कमी खलेगी। मैं इस समय जीवित उनकी एकमात्र रिश्तेदार उनकी बहन को अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। श्रीमती एन्थनी का देहान्त कुछ वर्ष पूर्व हो गया था। श्री एन्थनी जी के कोई औलाद नहीं थी। मैं जनरल विलियम्स जी को भी अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं, जोकि आंग्ल–भारतीय समुदाय से सम्बद्ध हमारे एक जीवित साथी हैं।

अपनी पार्टी की ओर से, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके सभी संबंधित रिश्तेदारों को हमारी संवेदनाएं भेज दें।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, श्री फ्रैंक एन्थनी का 86 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। वे आंग्ल–भारतीय समुदाय के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वे पहली लोक सभा से लेकर दसवीं लोक सभा तक अर्थात 40 वर्षों तक भारतीय संसद से संबद्ध रहे। वे संविधान सभा के भी सक्रिय सदस्य थे। वे एक सुयोग्य वकील और संसदविद् थे। समय–समय पर और एक के बाद एक अनेक लोक सभाओं की कार्यवाहियों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। विभिन्न पदों पर कार्यरत एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उनके द्वारा की गई सेवाओं का मूल्य नहीं आंका जा सकता। उनकी स्मृति अमर है।

अ.द्र.मु.क. की ओर से मैं श्री एन्थनी के शोक–संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री एन्थनी गुजर गए। हम सब श्री एन्थनी के दुखद निधन से शोकग्रस्त हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और भारत के एक महान सपूत वह सिर्फ एक लोक सभा को छोड़कर लगातार दस लोक सभाओं में इस सभा के सदस्य रहे और संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी इस संविधान को बनाने में उनका महान योगदान रहा।

उनका निधन राष्ट्र की और विशेष रूप से आंग्ल–भारतीय समुदाय को एक ऐसी क्षति है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अपने अल्पसंख्यक समुदाय–आंग्ल-भारतीय समुदाय के हितों के एक बड़े पक्षधर थे।

वे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हमेशा रक्षा करते रहे। हम भी यह महसूस करते हैं कि हमने एक ऐसे योद्धा को खो दिया है, जो हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता रहा।

उन्होंने कितनी ही संस्थाओं की स्थापना की। बंगलौर में एक फ्रैंक एन्थनी स्कूल बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है।

मैं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो।

मेजर जनरल आर.जी. विलियम्स (नामनिर्देशित आंग्ल–भारतीय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिसंबर, 1993 को 11.40 बजे राष्ट्रीय हृदय संस्थान, नई दिल्ली में हुए श्री फ्रैंक एन्थनी के दुखद निधन का उल्लेख करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। श्री फ्रैंक एन्थनी 1942 से 1946 तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य रहे और 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के सदस्य रहे। तत्पश्चात केवल छठी और नौवीं लोक सभाओं को छोड़कर उन्हें आंग्ल–भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली से वर्तमान दसवीं लोक सभा तक में बार–बार नाम निर्देशित किया गया अर्थात 40 वर्ष की लगभग अविरल अवधि में वे इस माननीय और ऐतिहासिक सभा के विचार–विमर्शों में एक बहुत ही सक्रिय, रचनात्मक और शानदार भूमिका अदा करते रहे।

श्री एन्थनी के अपने शब्दों में उन्हें भारत के संसदीय इतिहास के निर्माण का चश्मदीद गवाह बनने का सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ।

श्री फ्रैंक एन्थनी एक असाधारण रूप से योग्य नेता थे और साथ ही आम नेताओं से बहुत हटकर थे। वे एक ऐसे अनुकरणीय नेता थे, जो हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखते थे। वे एक ऐसे विशाल हृदय और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसने आंग्ल–भारतीय समुदाय के राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन और उच्च शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त करके युवा पीढ़ी समृद्ध हो सके इन दोनों उद्देश्यों के लिए जीवनपर्यन्त अथक परिश्रम किया। दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कलकत्ता, बंगलौर और दिल्ली में तीन पब्लिक स्कूलों और दो कनिष्ठ स्कूलों की स्थापना की और पिछले पच्चीस सालों में हर वर्ष लाखों रुपयों की छात्रवृत्तियां बांटीं।

श्री फ्रैंक एन्थनी को पिछले 51 वर्षों से आंग्ल–भारतीय समुदाय के निर्विवाद, सर्वमान्य और समादृत नेता होने का गौरवशाली सौभाग्य प्राप्त था। वे आशा और साहस के ऐसे प्रकाश स्तंभ थे, जो अपने आसपास राजनैतिक और साम्प्रदायिक झंझावातों की कभी न थमने वाली प्रचंडता के बावजूद शांति और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहे।

उनकी निःस्वार्थ सेवा और अनुप्राणित और प्रतिबद्ध नेतृत्व ने इस राष्ट्र की समृद्ध धरोहर में अतुलनीय आभा का एक और किरीट जोड़ दिया है। यह बात पुनरुत्थानशील और स्वाधीन भारत में आंग्ल–भारतीय समुदाय को मान्यता और सम्मानजनक स्थान दिलाने के उनके महान संघर्ष के रूप में प्रतीकायित हुई है। यह एक ऐसा कार्य था, जिसमें वह अदम्य उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहे।

यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि श्री एन्थनी के सत्कर्मों, विशिष्ट उपलब्धियों और दिल और दिमाग के अनुकरणीय गुणों का दिव्य प्रकाश इस महान सभा में उनके दोस्तों, सहकर्मियों और शुभचिन्तकों को राह दिखाने के लिए काफी समय तक बना रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

11.25 म.पू. (तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत आत्मा के सम्मानस्वरूप यह सभा अब सोमवार 6 दिसंबर, 1993 को 11.00 म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

*21 **श्री सी. श्रीनिवासन :**
श्री आनंद अहिरवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों के दौरान और विशेषकर वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में पर्यटन के विकास में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पर्यटन का विकास करने और उसे बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1992 में अधिकतम पर्यटक (18,67,651) देश में आए 1 सितम्बर, 1993 तक पर्यटक आगमन, वर्ष 1991 की तुलनीय अवधि की अपेक्षा फिर बेहतर रहा है। अयोध्या की घटना और इसके दुष्परिणाम, देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं, राष्ट्रीय एयरलाइन्स के कर्मचारियों की हड़ताल आदि के कारण वर्ष 1992 की उसी अवधि की तुलना में वर्ष 1993 में पर्यटकों के आगमन में कमी आई है।

(ग) भारत में पर्यटक आगमन को और बढ़ाने के उपायों में ये शामिल हैं—विदेशी बाज़ारों में अनुकूल प्रचार करना, संवर्धनात्मक प्रयासों का सुदृढ़ीकरण और पर्यटक आकर्षणों तथा सुविधाओं का विकास करना।

सिक्योरिटी प्रेस, नासिक

*22 **श्रीमती गिरिजा देवी :**
डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1993 में नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस में मुद्रित किए जाने के बाद कराड़ों रुपए की धनराशि के गायब होने का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच के कोई आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ड.) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या–क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) 13–14 अगस्त, 1993 की रात को प्रतिभूति मुद्रणालय साइडिंग पर खड़े एक रेलवे बैगन से भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद को भेजे जाने वाले 6.00 लाख रुपए मूल्य के 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के 12 बण्डल अर्थात 12,000 अदद चुराए गए थे।

(ग) और (घ) पुलिस ने तत्पश्चात 14 अगस्त, 1993 को तत्काल एक मामला दर्ज किया और जांच–पडताल चल रही है। एक विभागीय जांच भी की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्धों को अधिक मजबूत बनाने के वास्ते टकसालों और मुद्रणालयों के महाप्रबन्धकों को विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ङ) मुद्रा (करेंसी) की ढुलाई के लिए प्रयुक्त रेलवे बैगन महाराष्ट्र पुलिस के अभिरक्षण में था। कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए राज्य सरकार ने सभी पुलिस एस्कार्ट कार्मिकों को घटना की तारीख से तत्काल निलम्बित कर दिया है। इसके अलावा, पुलिस जांच का परिणाम आने तक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक के महाप्रबन्धक ने 3 विभागीय सुरक्षाकर्मिकों को भी निलम्बित कर दिया है।

(च) सख्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टकसालों और मुद्रणालयों के महाप्रबन्धकों को सख्त अनुदेश ज़ारी किए गए हैं, ताकि ऐसी गलतियां न हों। इन अनुदेशों में ये उपाय शामिल हैं, जैसे क्लोज सर्किट टी.वी. लगाया जाना, विशेष रूप से तैयार किए गए बैगन और बेहतर सुरक्षा गार्ड प्रबन्ध।

सिंचाई बांड

*23 **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनता से धन जुटाने हेतु सिंचाई बांड जारी करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1992–93 के दौरान प्रायोगिक आधार पर 100 करोड़ रुपए के विशेष सिंचाई बांड जारी करने की स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ख), (ग) और (घ) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान योजना केवल उन उपक्रमों तक सीमित है, जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा शासित हैं। राज्य स्तर के उपक्रम "सेवी" द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उधार, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्त पोषण योजना की मानक अपेक्षाओं से शासित होते हैं।

प्राकृतिक रबड़

*24 **श्री पी.सी. थामस :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने जनवरी, 1993 के बाद प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ की कीमत में आई भारी गिरावट के कारण उत्पन्न भारी संकट के संबंध में विभिन्न किसान संगठनों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्देशित कीमत पर रबड़ की खरीद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या प्राकृतिक रबड़ की निर्देशित कीमत को संशोधित करने का विचार किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। जनवरी, 1993 के बाद प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के संबंध में रबड़ बोर्ड द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) से (ज) प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट तथा बेंच मार्क कीमत में संशोधन करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय रबड़ की खरीद के बारे में स्थिति बताना संभव नहीं है। जब भी जरूरत होगी मौजूदा बेंच मार्क कीमत के आधार पर मूल्य–वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 22,950 रुपए प्रति मी. टन पर खरीद की जाएगी।

[हिन्दी]

विमान-दुर्घटनाएं

*25 **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स की एक एयर बस को तिरुपति के समीप एक खेत में आपात स्थिति में उतरना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस एयरबस की उड़ान से पहले पूरी तरह जांच कर ली गयी थी और इसे उड़ान के योग्य पाया गया था;

(घ) क्या 2 नवम्बर, 1993 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के इस विमान का एक पहिया गायब था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत छः महीनों के दौरान हुई इस प्रकार की अन्य दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है;

(ज) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(झ) सरकार ने विमान के रख–रखाव में लापरवाही न होने देने तथा यात्रियों के जीवन की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दुर्घटना की जांच पड़ताल एक जांच न्यायालय द्वारा की जा रही है।

(घ) और (ङ) दिनांक 31.10.1993 को प्रचालित उड़ान संख्या आई.सी.–470 के विमान का एक पहिया नागपुर से उड़ान भरते समय अलग हो गया था। तथापि, विमान दिल्ली में सुरक्षित ढंग से उतर गया था। नागर विमानन महानिदेशालय इस दुर्घटना की जांच कर रहा है।

(च) पिछले छः मास के दौरान इस प्रकार की कोई दुर्घटना/घटना नहीं घटी है, जिसमें राष्ट्रीय वाहकों का कोई विमान अंतर्ग्रस्त रहा हो।

(छ) और (ज) उक्त दुर्घटना/घटना की जांच की जा रही है।

(झ) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पास उपलब्ध ए-300 विमानों की फ्लैप और स्लैट प्रणाली तथा इंडियन एयरलाइंस के बी-737 विमानों की ह्वील एसेम्बलीज़ का विशेष निरीक्षण किया गया है, परन्तु कोई खामियां ध्यान में नहीं आई हैं। विमान सुरक्षा प्रयासों में तेजी लाने के लिए एयरलाइनों को निदेश दिए गए हैं और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इन पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है।

बाल श्रमिक

*26 **श्री राजेश कुमार :**
श्री राम कापसे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रमिक की प्रथा समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे देश में कार्यान्वित की जा रही और की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ परियोजनावार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईपेक) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रायोजित किया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(i) **बाल श्रम उन्मूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जिन गैर सरकारी संगठनों के साथ करार किए गए हैं उनका विवरण :-**

विंग सं.	विशिष्ट क्रम सं.	गैर सरकारी संगठनों के नाम	लाभान्वित बालकों की सं.	राशि (अमरीकी डालर में)
1	2	3	4	5
1.	1	बंधुआ मुक्ति समिति	200	23,800
2.	2	सघन क्षेत्र विकास समिति	250	35,800
3.	3	सी आर ई डी ए	500	89,600
4.	4	कमजोर वर्गों की समिति	250	34,500
5.	5	बास्को सामाजिक कार्य संस्थान, थिरूपत्तूर	100	5,700
6.	6	वाई डब्ल्यू सी ए, मदुरई	100	13,500
7.	7	ग्रामीण कल्याण केंद्र	260	13,900
8.	8	अरुणोदय, मद्रास	500	9,100
9.	9	आई सी सी डब्ल्यू	500	47,500
10	10	एम वी फाउन्डेशन : 2 (कट्टेदन बिस्कुट फैक्टरी)	300	11,700

1	2	3	4	5
11.	11	सी सी एफ सी एल	210	32,600
12.	12	हरिजन सेवक संघ	120	13,600
13.	13	बिहार खेत परिषद	120	13,600
14.	14	कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद,	120	27,000
15.	15	पीस ट्रस्ट, डिन्डुगल तमिलनाडु	200	13,600
16.	16	बी सी टी	400	81,000
17.	17	चेयुथा	1000	13,900
18.	18	एम वी फाउन्डेशन (कृषि श्रमिक)	600	28,900
19.	19	रुचिका	250	25,300
20.	20	फोकस	300	18,100
21.	21	आई पी ई आर	250	16,700
22.	22	विवेकानन्द शैक्षणिक समिति	50	5,700
23.	23	चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट	500	69,900
24.	24	एन सी आर डी नागपुर	1000	37,200
25.	25	स्नेहांकित	250	9,800
26.	26	अमृत बाल श्रम ट्रस्ट	600	66,700
27.	27	कथा	500	28,200
28.	28	जन जागृति शैक्षणिक समिति	125	8,000
29.	29	डॉन बास्को अनबुइलम, मद्रास	100	13,500
30.	30	इन्दौर सामाजिक कार्य स्कूल	500	14,700

1	2	3	4	5
31.	31	एन एल आई, दिल्ली, (प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण)	अनुपलब्ध	153,012
32.	32	गरीब नवाज महिला आवाम बाल कल्याण समिति	250	12,400
33.	33	अल्लारिप्पू	800	30,500
34.	34	भारतबाल शिक्षा समिति, टोंक	250	34,700
35.	35	सेन्ट फ्रान्सिस पब्लिक स्कूल सोसाइटी	250	13,800
36.	36	ग्रामीण शिक्षा अनुसंधान व विकास सहा॰ केंद्र	250	4,250
37.	37	एल एल आई–2 (व्यवसाय संघों के लिए आईपेक पर कार्यशाला)	अनुपलब्ध	11,875
38.	38	आई पी ए आर, जलपाईगुडी	525	61,245
39.	39	कलकत्ता सोशल प्रोजेक्ट, कलकत्ता	260	2,200
40.	40	मदुरई नॉन फार्मल एजुकेशन सेन्टर	100	8,817
41.	41	एस ए आई डी एस	1,500	26,533
42.	42	सी ए सी एल वाई यू वी ए	अनुपलब्ध	54,885
43.	43	बाल कल्याण जिला परिषद, मुजफ्फर नगर	240	20,730
44.	44	इलायगनार नरपाली मनराम	400	13,836
45.	45	दी मणीपुर आदिवासी विकास समिति	500	33,750
46.	46	एस ई ई डी एस	440	29,023
47.	47	छमतागरा आदिवासी महिला समाज	435	13,386
	47	कुल	16,355	1,288,042

(ii) **आई पी ई सी मुख्यालय द्वारा अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा चुनी गई गैर-सरकारी संगठनों से सम्बन्धित बाल श्रम परियोजनाओं के विवरण**

विंग सं॰	विशिष्ट क्र॰	गैर सरकारी संगठन का नाम	लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या	धनराशि अमेरिकन डालर में
1	2	3	4	5
48.	1	अंकुरन	655	13,436
49.	2	एकीकृत ग्रामीण विकास सेवा	800	19,000
50.	3	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद	अनुपलब्ध	41,000
51.	4	राष्ट्रीय समुदाय स्वास्थ्य संस्थान	300	25,900
52.	5	प्रान्थिक जन विकास समिति	10,000	86,200
53.	6	सिनी–II जागरूकता सृजन	अनुपलब्ध	21,700
54.	7	ए॰डब्लू॰ए॰जी॰ अहमदाबाद	100	9,000
55.	8	एस॰आई॰डब्लू॰ए॰ जामनगर	100	11,000
56.	9	विधवा देखरेख	125	14,300
57.	10	वी ई एस–II विस्तारण प्रस्ताव	500	22,800
58.	11	आई पी ई आर–II जागरूकता सृजन	अनुपलब्ध	7,200
59.	12	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	अनुपलब्ध	400,000
60.	13	उ.प्र॰ की कैरीट बैल्ट में बाल श्रम का उन्मूलन	5,000	542,000
		योग	17,580	1,213,536
		कुल योग (i) और (ii)	33, 935	2,501,578

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण

*27 **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने उसके द्वारा भारत को परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता का धीमी गति से उपयोग किए जाने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक से ऋण के रूप में कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है और इन ऋणों में से अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण के धीमी गति से उपयोग किए जाने के कारण क्या हैं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर इसका कुल क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक ने सहायता प्राप्त परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु बैंक को राज्य सरकारों से सीधे सम्पर्क करने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख) और (ग) परियोजना गुणवत्ता से संबंधित एशियाई विकास बैंक मिशन ने भारत को दी गई परियोजना सहायता के उपयोग के बारे में बातचीत की थी। जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी कुल ऋण राशि 4179.6 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है। इसमें से सितम्बर, 1993 तक 1358.9 मिलियन अमरीकी डालर राशि का उपयोग किया गया है तथा शेष राशि 2820.7 मिलियन अमरीकी डालर बचती है। राशि के अपर्याप्त उपयोग के कारणों में संविदाओं को अंतिम रूप देने और वस्तुओं की प्राप्ति में विलम्ब होना, प्रतिपक्षी निधियों की उपलब्धता तथा कुछ परियोजनाओं के विस्तार में परिवर्तन होना आदि शामिल है, इससे कुछ परियोजनाओं की कार्यान्वयन समय सारणी पर भी प्रभाव पड़ा है।

(घ) और (ङ) सहायता के उपयोग में सुधार लाने के उपायों पर एशियाई विकास बैंक सहित बहुपक्षीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, केंद्रीय सरकार विदेशी मुद्रा जोखिम वहन करने के साथ साथ, राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पहले से ही प्रदान कर रही है क्योंकि राज्यों के लिए अपने ही संसाधनों द्वारा सभी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना कठिन होगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

*28 **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के पहले दस महीनों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के औसतन कितने प्रतिशत कमरों में लोग ठहरे;

(ख) क्या वर्ष 1992 की तुलना में उक्त अवधि के दौरान इन होटलों के कमरों में लोगों के ठहरने में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरों में लोगों के ठहरने की स्थिति में सुधार लाने हेतु गैर-सरकारी होटलों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) वर्ष 1993 के प्रथम दस महीनों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुल औसत कमरा अधिभोग 51 प्रतिशत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के अधिभोग और निष्पादन की स्थिति में और सुधार लाने के लिए परिकल्पित उपायों में ये उपाय शामिल हैं—विपणन संबंधी जोरदार प्रयास, होटलों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण, विशेष आफ सीजन पैकेज आरम्भ करना, उत्पाद और सेवाओं के स्तर में सुधार लाना, जिससे उपभोक्ता की संतुष्टि हो, सभी स्तरों पर प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन का विकास करना, कार्यचालन लागत में कमी लाना, आदि।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन-परियोजनाएं

*29 **श्री राजबीर सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर चलाई जानी थी;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कौन-कौन सी अभी तक लंबित हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना खर्च हुआ है और शेष परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान 442.63 लाख रु० की 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

(ख) ये परियोजनाएं मथुरा, अयोध्या, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, फतेहपुर सीकरी, कोसी, इलाहाबाद, धनगढ़ी, महाराजपुर, फतेहपुर रोशनाई, गोरखपुर, झांसी, हरिद्वार, फर्रूखाबाद, आगरा, लखनऊ, कारबेट, दुधवा, और चिल्हा राष्ट्रीय उद्यानों में हैं।

(ग) हरिद्वार, कारबैट, दुधवा, चिल्हा राष्ट्रीय उद्यान, कोसी, इलाहाबाद, महाराजपुर, फतेहपुर रोशनाई में ये परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा अन्य स्थानों पर ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए अवमुक्त राशि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	श्रावस्ती में पर्यटक परिसर	1985–86	63.00	20.00
2.	कारबेट दुधवा और चिल्हा के लिए मिनी बसें तथा हाथी	–वही–	5.15	5.14
3.	मथुरा में पर्यटक बंगला	–वही–	27.64	21.00
4.	गोमती नदी में जल क्रीड़ाएं	–वही–	3.16	2.80
5.	लखनऊ महोत्सव	–वही–	2.05	2.05
6.	अयोध्या में ओपन एयर थियेटर के लिए मंच और मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	–वही–	26.80	13.40
7.	हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए स्विस कुटीरें	–वही–	17.48	15.73

1	2	3	4	5
8.	सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और फतेहपुर सीकरी में शौचालय एवं पेयजल सुविधाएं	1985-86	6.00	4.00
9.	गढ़वाल क्षेत्र के लिए फाइबर ग्लास हट्स	1986–87	33.75	32.00
10.	इलाहाबाद में यात्री निवास	–वही–	29.42	28.00
11.	कोसी रेस्तरां का नवीकरण	–वही–	19.80	19.29
12.	मास्टर प्लानों की कापियों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिज़ाइन को शेष भुगतान	–वही–	0.01	0.01
13.	धनगढ़ी में वन गृह	1887–88	33.27	10.00
14.	कोसी में पर्यटक परिसर	1988–89	39.13	38.00
15.	कुम्भ मेला इलाहाबाद में फास्ट फूड काउंटर	–वही–	3.18	3.18
16.	कानपुर जिले में महाराजपुर के मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	1989–90	9.93	9.43
17.	कानपुर जिले में फतेहपुर रोशनाई में मार्गस्थ सुख–सुविधाएं	–वही–	9.93	9.43
18.	इलाहाबाद में नेहरू घाटों का विकास	–वही–	37.18	34.95
19.	गढ़वाल क्षेत्र के लिए पैदल भ्रमण उपकरण	–वही–	11.47	8.60
20.	नौ स्थानों (गोरखपुर, झांसी, हरिद्वार, फर्रूखाबाद, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ) में जन–सुविधाएं	–वही–	60.56	27.00

1	2	3	4	5
21.	आम उत्सव	1989-90	1.40	1.40
22.	योग उत्सव	–वही–	2.50	2.50
	जोड़		442.63	307.91

[अनुवाद]

अभ्रक

*30. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभ्रक की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो अभ्रक की खपत का गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा इस दौरान कितने टन अभ्रक का निर्यात किया गया और यह निर्यात कितने मूल्य का था;

(ग) क्या अभ्रक के निर्यात पर से नियंत्रण हटाने के बाद इसके निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अभ्रक के निर्यात में आ रही कमी को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) पिछले तीन वर्षों के लिए वास्तविक खपत/मांग की विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु 1990-91 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान अकेले संगठित क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 9,300 मी. टन की खपत रही थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : लाख रुपये में

	मात्रा	मूल्य
1990–91	42596	5131.09
1991–92	34880	5547.88
1992–93	27741	3834.74

स्त्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

प्रसंस्कृत अभ्रक के निर्यात का सारणीयन अक्तूबर, 1990 में समाप्त कर लिया गया था। सारणीयन समाप्त कर दिए जाने के बाद प्रसंस्कृत अभ्रक के निर्यात में गिरावट आई है। किंतु इसके मुख्य कारण यह हैं–प्रौद्योगिकीय अप्रचलन तथा कुछ निश्चित अभ्रक किस्मों के उत्पाद प्रतिस्थापनों, शीट अभ्रक के प्रमुख उपभोक्ताओं–पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में हुए परिवर्तन और विश्व अर्थव्यवस्था में सामान्य मन्दी की स्थिति के कारण विश्व बाजार की स्थिति में परिवर्तन।

अभ्रक कागज, हीटर प्लेट और स्वदेशी अभ्रक छीलन पर आधारित इन्सुलेटिंग टेप जैसे अभ्रक उत्पादों को मिल रहे स्वाभाविक प्रतियोगिता लाभ को देखते हुए इन मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के यात्री

*31. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में गत तीन वर्षों के दौरान कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा यात्रियों को एयर इंडिया से यात्रा करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि एयर इंडिया अधिक लाभ कमा सके ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में एयर इंडिया द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है, जैसे कि नीचे बताए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है :–

वर्ष	वाहित यात्रियों की संख्या
1990–91	21,61,264
1991–92	20,04,487
1992–93	22,01,449

(ग) एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों पर यात्रा करने हेतु अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

1. अधिक किराया देने वाले यात्रियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से विशेष सुविधा।
2. देश में आने वाले यात्रियों के लिए सेंटॉर होटल में 24 घंटे ठहरने की विशेष पेशकश।
3. सुविधाएं उन्नयन के लिए नये बोइंग 747–400 विमान प्राप्त करना।
4. चेक–इन कार्य–विधि में सुधार।
5. जकार्ता, डरबन, जोहनसबर्ग, दार–ए–सलम आदि के लिए नयी सेवाएं शुरू करना।
6. बेहतर भोजन, कटलरी, विमान में व्हील चेयर आदि।
7. कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित स्थल सेवाओं में सुधार।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

*32. **श्री रूपचन्द पाल :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा भारत के **विदेशी ऋण** के संबंध में प्रकाशित "स्टेट्स रिपोर्ट" के अनुसार देश के विदेशी ऋण की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस ऋण का भुगतान किस प्रकार करने का विचार है;

(ग) सरकार की, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रखने हेतु अल्पकालीन ऋण लेने के संबंध में क्या नीति है;

(घ) उन उत्पादक प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए उधार ली गई राशि का उपयोग किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ङ) तेजी से बढ़ते ऋण और अनुमानित वार्षिक ऋण-सेवा पुनर्भुगतान के संदर्भ में वर्तमान ऋण-सेवा अनुपात क्या है; और

(च) सरकार की फिजूलखर्ची को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारत के विदेशी ऋण से संबंधित स्थिति–रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा–भिन्न विदेशी ऋण, जिसमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां तथा अल्पावधिक ऋण भी शामिल हैं, मार्च, 1993 के अंत में 74.23 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ख) ऋणदाताओं के साथ परस्पर सहमत प्रत्येक ऋण करार की शर्तों के अनुसार विदेशी ऋण की वापसी अदायगी देय तारीखों पर की जा रही है। सरकार आर्थिक सुधारों से संबंधित

एक कार्यक्रम पहले ही शुरू कर चुकी है, जिसका लक्ष्य अल्पावधिक स्थिरीकरण के साथ-साथ दीर्घावधिक पुनःसरंचना करना है। इन सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तथा हमारी विकास प्रक्रिया, जिसमें हमारी निर्यात अर्जन क्षमता भी शामिल है, को पुनः बल प्राप्त होगा, ताकि ऋणों की वापसी अदायगी संबंधी हमारी क्षमता में वृद्धि हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण परिशोधन संबंधी यह भार ऐसे ऋणों को चुकाने में हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो।

(ग) आरक्षित भंडारों को बचाने के लिए सरकार अल्पावधिक ऋणों को वांछनीय साधन नहीं मानती।

(घ) विदेशी ऋणों का प्रयोग विभिन्न विकासात्मक प्रयोजनों हेतु मुख्यतः कृषि, सिंचाई, उर्वरक, उर्जा, उद्योग, आधारभूत ढांचा, पर्यावरण, सामाजिक क्षेत्र तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 1992–93 के दौरान चालू प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन अदायगी का प्रतिशत 25.7 होने का अनुमान है। वर्ष 1992–93 के दौरान 6.83 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण परिशोधन अदायगी किए जाने का अनुमान है।

(च) राजस्व प्राप्तियों और स्वदेशी बचतों में सुधार लाने, अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले व्यय को समाप्त करने, प्रशासनिक व्यय पर बारीकी से नजर रखने तथा सभी चालू कार्यक्रमों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह हमारे बजटीय लक्ष्य से अधिक न हो। इस संबंध में किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा वित्त मंत्री के 1993–94 के बजट भाषण में दिया गया है।

[हिन्दी]

मेवों का निर्यात

*33. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन–किन देशों को मेवों, विशेष रूप से काजू का निर्यात किया गया है;

(ख) इससे देशवार और वर्षवार कितनी–कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(ग) सरकार ने मेवों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत से निर्यात किए जाने वाले दो प्रमुख मेवे काजू गिरी और अखरोट हैं। वर्ष 1990–91, 1991–92, तथा 1992–93 के दौरान काजू गिरी और अखरोट के देशवार निर्यात का विस्तृत विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-एक और विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) एकीकृत विनिमय दर की शुरुआत तथा काजू गिरी और अखरोट सहित कृषि जन्य मदों के निर्यात के संबंध में अनिवार्य लदान–पूर्व जांच का सरलीकरण ऐसे कुछ उपाय हैं; जो काजू गिरी तथा अखरोट के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त काजू निर्यात, संवर्धन परिषद तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं, और अन्य देशों में आयातकों के साथ पारस्परिक सम्पर्क के लिए क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करते हैं। काजू निर्यात संवर्धन परिषद तथा एपीडा भी उन देशों को प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, जहां कृषिजन्य मदों के निर्यात को बढ़ाने की संभावना है।

विवरण-1

काजू गिरियों का निर्यात

(मूल्य लाख रुपये)

देश	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	1287.69	3599.82	2734.71
आस्ट्रिया	–	–	65.52
बहरीन आईएस	95.18	134.88	128.41
बेल्जियम	–	14.52	–
ब्रूनी	1.78	1.88	1.85
कनाडा	176.91	447.04	747.81
चिली	–	–	22.19
चीन ताईपेई	136.62	644.14	615.85
चीन जनवादी गणराज्य	34.88	50.51	–
साइप्रस	7.36	48.29	19.80
चेकोस्लोवाकिया	726.38	2385.05	227.15
इथियोपिया	–	–	6.25

1	2	3	4
फ्रांस	2.44	75.38	131.51
जर्मन संघीय गणराज्य	1416.57	1458.62	1399.24
मिस्र अरब गणराज्य	–	27.34	9.45
यूनान	–	70.85	10.79
होन्डुरस	–	–	23.46
हांगकांग	1158.61	2081.45	1710.00
इज़रायल	49.09	280.94	760.52
इटली	33.16	80.27	96.30
जापान	3587.16	6428.38	5639.94
कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य	–	2.29	6.47
कोरिया गणराज्य	54.97	166.27	126.57
कुवैत	84.08	216.66	255.91
लेबनान	–	200.21	54.53
मलेशिया	42.16	43.29	51.34
माली	–	11.28	–
मारीशस	–	–	0.51
मैक्सिको	–	–	25.30
नेपाल	9.77	3.71	0.40
नीदरलैण्ड	6565.65	16969.91	16959.25
न्यूजीलैण्ड	109.68	252.39	352.98

1	2	3	4
नार्फोल्क आई.एस.	–	26.80	24.85
नार्वे	–	24.98	–
ओमान	3.28	36.57	6.83
पोलैण्ड	1587.76	–	–
पुर्तगाल	2.26	22.23	101.19
क्तार	–	11.50	3.67
सऊदी अरब	24.20	362.98	269.50
सिंगापुर	1278.22	2370.42	1955.48
स्पेन	3.77	100.41	171.65
श्रीलंका	23.36	121.66	–
स्वीडन	3.20	6.12	3.98
स्विट्जरलैण्ड	15.85	47.12	24.15
सीरिया	–	0.01	–
थाइलैण्ड	40.36	20.77	–
तुर्की	34.09	123.35	–
संयुक्त अरब अमीरात	538.68	2098.55	1623.09
ब्रिटेन	482.42	2370.45	5598.20
संयुक्त राज्य अमेरिका	5691.96	20134.98	32346.11
सोवियत संघ/स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल	18901.55	3576.29	62.47
युगोस्लाविया	10.72	–	2.27
कुल	46139.79	67150.53	76485.16

स्त्रोत : वाणिज्य खानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

विवरण 2

(लाख रुपये में)

अखरोटों के निर्यात के ब्यौरे

क्रमांक	देश	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	15.15	53.56	23.87
2.	आस्ट्रिया	13.44	–	11.26
3.	बहरीन	5.73	0.09	3.18
4.	बेल्जियम	–	–	29.40
5.	ब्राजील	–	–	3.45
6.	कनाडा	4.82	40.94	59.73
7.	डेनमार्क	67.18	196.27	125.98
8.	मिस्र	73.43	198.68	211.54
9.	फ्रांस	415.03	978.46	783.84
10.	जर्मनी	213.86	339.64	489.25
11.	यूनान	64.22	94.81	212.29
12.	आयरलैण्ड	12.22	3.94	7.24
13.	इज़रायल	8.16	32.92	11.82
14.	इटली	12.09	121.98	124.57
15.	जापान	–	14.74	–
16.	जार्डन	66.50	116.20	237.34
17.	कुवैत	–	21.92	70.21
18.	नेपाल़	–	0.29	–
19.	नीदरलैण्ड्स	211.53	342.72	443.53
20.	न्यूजीलैण्ड	28.02	37.70	1.49

1	2	3	4	5
21.	नार्वे	20.17	31.60	32.42
22.	ओमान	–	0.25	0.45
23.	सऊदी अरब	48.63	14.42	69.67
24.	स्पेन	55.28	91.36	321.29
25.	सीरिया	10.27	5.61	–
26.	स्वीडन	–	1.62	12.13
27.	संयुक्त अरब अमीरात	34.55	43.66	55.74
28.	ब्रिटेन	557.63	782.85	798.59
29.	संयुक्त राज्य अमेरिका	–	38.42	202.92
30.	पुर्तगाल	0.46	–	–
	कुल	1938.47	3612.65	4343.20

स्त्रोत : वाणिज्य जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

[अनुवाद]

टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के संबंध में उरुग्वे चक्र की वार्ता

*34. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री चित्त बसु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के संबंध में उरुग्वे चक्र की वार्ता के अंतिम दौर में, जिसके कि इस माह समाप्त होने की संभावना है, के अपनाए गए अपने दृष्टिकोण के बारे में इस बीच अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वार्ता के फलस्वरूप विशेष रूप से देश में गरीबी दूर करने के संबंध में भारत को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) उरुग्वे दौर की वार्ताएं चल रही हैं। भारत वस्त्र, कृषि, ट्रिप्स, सेवाओं, टैरिफ और नियमों के क्षेत्रों में अपने हितों पर ध्यान दे रहा है। कार्ययोजना के अनुसार ये वार्ताएं 13 दिसम्बर तक पूरी होने की संभावना है और उसके बाद ही वार्ताओं के परिणाम उपलब्ध होंगे।

उरुग्वे दौर से ऐसी अपेक्षा है कि उससे वस्तुओं और सेवाओं के लिए विश्वव्यापी बाजार पहुंच का विस्तार होगा, बहु व्यापार प्रणाली सुदृढ़ बन सकेगी और विश्व व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर सृजित होंगे, आय में वृद्धि होगी और सामान्य रूप से जीवन स्तर में सुधार होगा।

[हिन्दी]

खान तथा खेतिहर मजदूर

*35. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में खानों के मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों की पृथक–पृथक संख्या क्या है;

(ख) दोनों श्रेणी के मजदूरों के लिए पृथक–पृथक कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है;

(ग) इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) पिछली बार किस तारीख को इन मजदूरियों में संशोधन किया गया था;

(ङ) क्या इन मजदूरियों में पुनः संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च) जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुसार, महाराष्ट्र में खान तथा कृषि मजदूरों की संख्या क्रमशः 1,15,075 और 83,13,223 होने का अनुमान है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपने–अपने क्षेत्रों के अनुसूचित नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। खान संबंधी अनुसूचित नियोजन मुख्य रूप से केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि कृषि संबंधी नियोजन मुख्य रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। खानों में नियोजित कर्मकारों की अकुशल श्रेणी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित और कृषि संबंधी नियोजन के लिए अकुशल श्रेणी के कर्मकारों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार हैं :–

खान	मूल वेतन	विशेष भत्ता	योग
भूमि पर कार्य करने के लिए	15.30 रु.	9.06 रु.	24.36 रु.
भूमिगत कार्य के लिए	18.45 रु.	29.80 रु.	29.80 रु.
कृषि			
क्षेत्र–I	20.00 रु. प्रतिदिन		
क्षेत्र–II	16.00 रु. प्रतिदिन	परिवर्ती महंगाई भत्ते का	
क्षेत्र–III	14.00 रु.	कोई प्रावधान नहीं।	
क्षेत्र–IV	12.00 रु.		

न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए, सामान्यतया 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने अधिवेशन में की गयी सिफारिश के अन्तर्गत किये गये पांच मानदण्डों को मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए अपनाया जाता है। ये मानदण्ड हैं–एक कमाने वाले व्यक्ति के लिए तीन उपभोग इकाई, प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2700 कैलोरी वाला भोजन, प्रति परिवार 72 गज कपड़ा प्रतिवर्ष, सरकार की औद्योगिक गृह योजना के अंतर्गत प्रदत्त न्यूनतम क्षेत्र के समतुल्य किराया व ईंधन, रोशनी व अन्य विविध मदों पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय। इसके अतिरिक्त, समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर तय करते समय विभिन्न ऐसे कारकों जैसे सामाजिक, आर्थिक दशाएं, विपणन परिस्थितियां आदि को भी ध्यान में रखती हैं।

खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर पिछली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 अक्तूबर, 1988 को परिशोधित की गई थी तथा महंगाई भत्ते की दर पिछली बार 1 अक्तूबर, 1993 को परिशोधित की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में अनुसूचित कृषि नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर पिछली बार 1-5-1988 को परिशोधित की गई थी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में प्रावधान है कि न्यूनतम मजदूरी की दर अधिकतम 5 वर्षों में परिशोधित की जानी चाहिए। खानों में रोजगार के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर परिशोधित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 11-6-93 को प्राथमिक अधिसूचना जारी की है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक

*36. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री जी. देवराय नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बैंकों पर अपना वित्तीय नियंत्रण ढीला करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे इन बैंकों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान तेरह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल 3763.61 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(ख) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की अर्थक्षमता और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के विचार से चालू वर्ष (1993–94) के बजट में 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस अतिरिक्त शेयर पूंजी को जारी करने के लिए एक पूर्वपेक्षा के रूप में स्टाफ उत्पादकता आस्ति प्रबन्धन और निष्क्रिय परिसम्पत्तियों जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए समझौता करने होंगे।

विदेशी निवेश नीति

*37. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पहले से अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए विदेशी मुद्रा का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में विदेशी निवेश हेतु नीति को और उदार बनाने का निर्णय नहीं किया है, तथापि यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा उदारीकरण एक निरन्तर और चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिए गए अनुमोदनों के प्रति विदेशी निवेश का वास्तविक अन्तःप्रवाह परियोजना आरम्भ करने से पहले की अवधि और विदेशी निवेशक के निर्णय पर, कि वह कार्यान्वयन कब आरम्भ करे, निर्भर करता है।

[हिन्दी]

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

*38. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों और अन्य समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्डों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बोर्डों का गठन कब तक कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) पत्रकारों एवं अन्य समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड के गठन से सम्बन्धित मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राजस्व-वसूली

*39 **श्री गुरुदास कामत :**
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान केंद्रीय राजस्व की वसूली में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। अप्रैल–सितम्बर, 1992 की अवधि की तुलना में अप्रैल–सितम्बर, 1993 की अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर तथा निगम कर से प्राप्त कुल केंद्रीय राजस्व वसूली 6.76 प्रतिशत कम है।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व में कमी मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र तथा आयातों में धीमी गति से वृद्धि के कारण हो सकती है, जबकि आयकर और निगम कर में कमी अधिक वापसियां किए जाने के कारण हुई हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने के लिए सरकार राजस्व स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।

पांचवां वेतन आयोग

*40 **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर विचार करने के लिए पांचवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के सदस्यों और इसके विचारार्थ विषयों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयोग कब से अपना काम शुरू कर देगा तथा यह अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयोग का गठन और उसके निर्देश–पद विचाराधीन हैं।

चंडीगढ़ में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

168. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार चंडीगढ़ में रोजगार कार्यालय में श्रेणीवार कितने बेरोजगार पंजीकृत किए गए;

(ख) इसमें से कितने आवेदक चंडीगढ़ के निवासी हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और रोजगार दिया गया;

(घ) प्रत्येक रिक्ति के लिए अभ्यार्थियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस समय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों की कुल संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या, रोजगार कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार

की गई प्रस्तुतियां और की गई नियुक्तियां और जून, 1992 के अंत में रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गयी है।

जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, नौकरी चाहने वाले व्यक्ति ऐसे रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत होते हैं, जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यतः रहते हैं।

रोजगार कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की रिक्तियों के मामले में 1:20 के अनुपात में वरिष्ठता के क्रम में उम्मीदवार प्रस्तुत करें। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान चयन करने के लिए सम्पूर्ण चालू रजिस्टर की स्क्रीनिंग करने के लिए मुक्त हैं।

विवरण

(हजारों में)

श्रेणी	निम्नलिखित के दौरान पंजीकरण			नियुक्तियां			प्रस्तुतियां			जून, 1992 के अंत में चालू रजिस्टर
	1990	1991	1992 (जन.–जून)	1990	1991	1992 (जन.–जून)	1990	1991	1992 (जन.–जून)	
योग	28.5	27.3	10.3	1.3	1.3	0.6	32.4	32.9	15.7	160.9
महिलाएं	7.3	6.5	3.7	0.3	0.4	0.1	7.2	8.0	4.2	32.6
अनुसूचित जाति	4.6	4.5	1.9	0.3	0.3	0.2	6.4	10.3	6.0	42.2
अनुसूचित जन–जाति	*	*	*	*	*	–	0.1	0.1	0.1	0.1

*पचास कम आकड़े

–शून्य

हड़तालों पर प्रतिबन्ध

169. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हडतालों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नीदरलैंड्स के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव

170. **श्री बापू हरि चौरे** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड्स के प्रधान मंत्री ने अपने हाल के दौरे के दौरान अपने देश से और अधिक पूंजी निवेश के लिए पूंजी बाजार को और अधिक उदार बनाने तथा नये प्रोत्साहन दिए जाने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा इस संबंध में और क्या–क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) नीदरलैण्ड्स के प्रधान मंत्री ने भारत के अपने हाल के दौरे के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ और एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स को संबोधित करते समय विशेषकर भारत–डच व्यापार संबंध सुधारने के संदर्भ में कतिपय टिप्पणी की थी।

(ख) अन्य बातों के साथ–साथ, नीदरलैण्ड्स के प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत में आयात–टैरिफ विकसित और कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। उन्होंने कहा कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत और नीरदलैण्ड्स के बीच आर्थिक संबंधों की और बेहतरी के लिए सहायक होगी और उपभोक्ता आयातों के उदारीकरण में सुधार किया जा सकता है।

उनकी अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियों में समृद्धि के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विनियमन की समाप्ति और बाजार उन्मुखीकरण तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में "इन्टेलैक्चुअल प्रापर्टी राइट्स" के संरक्षण की भूमिका शामिल थी।

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत और नीदरलैण्ड्स के बीच संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।

(ग) नीदरलैण्ड्स के प्रधान मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।

हथकरघा बुनकरों को ऋण

171. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को ऋण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रोजैक्ट पैकेज योजना के अन्तर्गत 12.875 लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य के हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के लिए 7.625 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। अनन्तपुर और गुंटूर जिलों में कार्यान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय 77.10 लाख रुपये है।

चीन को निर्यात

172. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

हमारे कुल निर्यात व्यापार की तुलना में चीन को किए जाने वाले निर्यात व्यापार की प्रतिशतता कितनी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : अप्रैल–अगस्त, 1993 की अवधि (वह अवधि जिसके लिए आंकड़े अभी उपलब्ध हैं) के दौरान चीन को जो निर्यात हुआ, वह भारत के कुल निर्यात का केवल 1.7 प्रतिशत बैठता है।

[हिन्दी]

विदेशों के साथ व्यापार समझौता

173. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकार ने किन–किन देशों के साथ व्यापार समझौता किया है तथा इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) इन देशों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार देशवार निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और विदेशी मुद्रा में उनका मूल्य कितना है;

(ग) उन देशों के साथ व्यापार संबंधों की ताजा स्थिति क्या है, जिनके साथ हाल ही में व्यापार समझौते किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन देशों के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने निम्नलिखित 14 देशों के साथ आर्थिक व्यापार और तकनीकी सहयोग संबंधी समझौते किए हैं :–

	देश	तिथि
1.	ओमान सल्तनत की सरकार	जून, 1993
2.	चीन–व्यापार प्रोटोकोल	जनवरी, 1993
3.	आइवरी कोस्ट	17.2.1993
4.	तेजकिस्तान	15.2.1993
5.	अर्मेनिया.	11.3.1993
6.	माल्दोवा	19.3.1993
7.	लिथुआनिया	2.7.1993
8.	लातविया	10.9.1993
9.	एस्टोनिया	15.10.1993
10.	बेलारूस	14.5.1993
11.	उजबेकिस्तान	24.5.1993
12.	चेक गणराज्य	15.3.1993
13.	स्लोवाक गणराज्य	14.5.1993
14.	रोमानिया	23.2.1993

इन समझौतों में संयुक्त आयोग, संयुक्त उद्यम स्थापित करने का ध्यान रखा गया है तथा दोनों पक्षों को अपने आर्थिक, वाणिज्यिक एवं तकनीकी संबंधों के संबंध में एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र दर्जा प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। व्यापार की गई वस्तुओं का भुगतान मुक्तरूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में होगा।

(ख) और (ग) विस्तृत विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार से सरकार स्तर पर विचार विमर्श, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी, उन देशों में अपने प्रतिपक्षियों के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं, जो अपना निर्यात बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं।

विवरण

भारत का अन्य देशों को निर्यात, अप्रैल, 1993 एवं 1992

क्र०	देश/मद	अप्रैल–अगस्त 1993	अप्रैल–अगस्त 1992
1	2	3	4
1.	**ओमान**		
	चावल, चाय, मसाले	82 करोड	216.50
	ताजा फल, सूती धागे	(अप्रैल–जुलाई)	
	तथा कुछ मशीनरी उपकरण।		
2.	**चीन**		
	लौह अयस्क	1.3–1.5 मिलियन टन	
	क्रोम अयस्क	85,000–1,20,000 टन	
	चाय	अमरीकन डालर 0.5–1 मिलियन	
	टिप्पणी : उपर्युक्त मदों के आयात के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनके निर्यात की मात्रा केवल निर्देशक हैं।		
3.	**आइवरी कोकस्ट**		
	समझौते में व्यापार के लिए किन्ही	2.04	7.71
	मदों की पहचान नहीं की गई है	(अप्रैल–अगस्त)	(1992–93)
4.	**अर्मेनिया**		
	मानव निर्मित धागे तथा मेड–अप्स	**1.16**	
	कुल	**1.16**	

1	2	3	4
5.	**तजिकिस्तान**		
	चाय	25.33	
	कुल	25.33	
6.	**लिथुअनिया**		
	दवाएं, भेषज तथा फाइन रसायन	20.49	
	मशीनरी एवं उपकरण	14.79	
	कुल	41.82	
7.	**लातविया**		
	चाय	8.64	
	मसाले	4.53	
	दवाएं भेषज तथा फाइन रसायन	9.59	
	मशीनरी और उपकरण	3.42	
	कुल	27.85	
8.	**एस्टोनिया**		
	तम्बाकू	121.21	
	कुल	134.12	
9.	**बेलारूस**		
	दवाएं, भेषज तथा फाइन रसान	119.25	
	कुल	126.24	

1	2	3	4
10.	**चेक गणराज्य**		
	चाय	181.66	15.53
	काफी	1930.50	
	चावल (बासमती को छोड़कर)	(0).(0)	714.(0)
	तम्बाकू अवनिर्मित	326.37	499.24
	काजू	318.14	157.48
	तेल खाद्य	2266.27	4710.60
	अरण्डी का तेल	516.98	–
	चीनी और शीरा	177.76	–
	समुद्री उत्पाद	(0).(0)	321.64
	चर्म और उत्पाद	915.75	1019.47
	चमड़े के जूते	356.16	448.61
	धातुओं के उत्पाद	(0).60	200.87
	सूती धागे, फैब्रिक्स मेड–अप्स	1508.77	1743.17
	मानव निर्मित धागे, फैब्रिक मेड अप्स	309.55	586.57
	अतिरिक्त वस्तु सहित एम आर जी कपास	852.71	1158.34
	एम आर जी मेड अप्स फाइवर	39.48	132.72
	फर्श आच्छादन सहित जूट उत्पादन	221.65	514.29
	हाथ से बुनी कालीन (रेशम के अतिरिक्त)	43.27	398.83
	हाथ से बुनी कालीन छोड़कर	85.07	259.67
	कुल	10300.36	13203.40

1	2	3	4
11.	**स्लोवाक गणराज्य**		
	काफी	18.10	
	फेरो मिश्रधातु	950.31	
	अतिरिक्त वस्तु सहित सूती धाग	40.5	
	कुल	1030.62	
12.	**उजबेकिस्तान**		
	चमड़ा तथा उत्पाद	42.40	
	चमडे के जूते	40.03	
	अतिरिक्त वस्तु सहित आर एम जी कपास	65.28	
	आर एम जी ऊन	24.77	
	कुल	221.90	
13	**रोमानिया**		
	तेल खाद्य	952.76	–
	अवशिष्ट सहित कच्ची रूई	1539.50	–
	दवा, भेषज तथा फाइनर सामान	187.46	42.44
	रंग/मध्यवर्ती तथा कोरतार रसायन	104.85	–
	कास्मेटिक/प्रसाधन सामग्री आदि	205.91	–
	मानव निर्मित स्टेपल फाइवर	(0).(0)	59.26
	कुल	3400.08	143.75
14.	**माल्डोवा**		

अन्य देशों से भारत का आयात अप्रैल, 1993 एवं 1992

क्र०	देश/मद	अप्रैल–अगस्त 1993	अप्रैल–अगस्त 1992
1	2	3	4
1.	**ओमान**		
	कच्चा तेल, तेल उत्पाद, खजूर	17 करोड़	59 करोड
	अलौह, धातु छीलन इत्यादि		
2.	**चीन**		
	कच्ची रेशम और रेशम के धागे	25,000 टन	
	रेज़िन	अमरीकन $ 5–6 मिलियन	
	खाना पकाने वाला कोयला	100,000 टन	
	पेट्रोलियम तथा पेट्रो रसायन		
	उत्पाद	अमरीकन $ 4–5 मिलियन	
	ताजा छेदन योग्य मोती	अमरीकन $ 4 मिलियन	
	ढलवां लोहा	10,000 टन	
	टिप्पणी : उपर्युक्त मदों के संबंध में आयात के वास्तविक आंकडों की जानकारी नहीं है, चूंकि ये केवल द्योतक मात्राएं हैं।		
3.	**आइवरी कोस्ट**		
	समझौते में व्यापार मदें अभिज्ञात नहीं की गई हैं।	4.19 (अप्रैल–अगस्त)	28.60 (1992–93)
4.	**लिथुएनिया**		
	परिवहन उपकरण	193.79	
	कुल	193.79	

1	2	3	4
5	**लातविया**		
	कुल	0.01	
6.	**बेलारूस**		
	बिजली और मशीनी उपकरणों को छोड़कर मशीनरी	47.43	
	कुल	56.49	

वाणिज्य मंत्रालय

दूसरे देशों से प्रमुख वस्तुवार भारत का आयात, अप्रैल-अगस्त, 1993 एवं 1992

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस (मूल्य लाख रुपयों में)

क्र.	देश/मद	अप्रैल–अगस्त 1993	अप्रैल–अगस्त 1992
1	2	3	4
1.	**चेक गणराज्य**		
	मेटलीफर्स आयस्क एवं मेटल स्क्रेप	0.00	1381.55
	लोहा तथा इस्पात	1080.46	1637.36
	मशीन उपकरण	11.29	718.64
	बिजली और मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	1437.18	1811.21
	बिजली संबंधी मशीनरी	30.86	270.00

1	2	3	4
	परिवहन उपकरण	479.43	519.32
	परियोजना माल	59.59	444.30
	कुल	3960.97	7970.33
2.	**स्लोवाक गणराज्य**		
	लोहा तथा इस्पात	112.87	
	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक पदार्थ	221.24	
	परिवहन उपकरण	142.56	
	परियोजना माल	68.79	
	कुल	602.70	
3.	**उजबेकिस्तान**		
	आर्गेनिक रसायन	80.80	
	परियोजना माल	91.79	
	कुल	293.71	
4.	**रूमानिया**		
	मेटालिफर्स आयस्क और धातु की छीलन	0.00	255.35
	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक पदार्थ	0.00	437.72
	लोहा और इस्पात	293.75	1593.19
	बिजली और मशीनी उपकरणों को छोड़कर मशीनरी	263.37	71.66

1	2	3	4
	परिवहन उपकरण	1606.93	804.12
	परियोजना माल	76.57	358.40
	कुल	2437.50	5347.10

गुजरात के पठार की विकास परियोजना

174. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से गुजरात के पठार विशेषकर राज्य के आदिवासी बहुत जिलों में विकास परियोजना को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में विश्व बैंक की कुल सहायता की कितनी धनराशि व्यय की जायेगी; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग की समस्यायें

175. **श्री माणिकराव होड़ल्या गावीत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग कों किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) फिलहाल वस्त्र उद्योग में कोई प्रमुख समस्या नहीं है। तथापि, आधुनिकीकरण आदि के लिए निधियों की आवश्यकताओं को उपयुक्त स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

राष्ट्रीय बैंकों के सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को हथियार

176. **श्री राम नाईक** : क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के सशस्त्र सुरक्षा गार्डों को किस प्रकार के हथियार रखने की अनुमति है;

(ख) क्या इन गार्डों को इस समय दिए जा रहे परम्परागत हथियारों की अपेक्षा रिवाल्वर/पिस्तौल जो अधिक कारगर है, देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) इस समय बैंकों के हथियारबंद गार्डों को डी बी बी एल गन उपलब्ध करवाई गई हैं और बैंकों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस हथियारबंद गार्डों को 303 राइफलें दी जा रही हैं।

(ख) और (ग) यह निर्णय लिया गया है कि बैंक गार्डों को दिए गए विद्यमान हथियारों को बदल कर उन्हें 12 बोर की पम्प एक्शन शाट गन उपलब्ध कराई जाए।

भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार एवं वितरण केन्द्र

177. **श्री सी.के. कुप्पुस्वामी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने नीदरलैंड में रोटर्डम में भारतीय निर्यातकों को अपने व्यापार एवं वितरण केन्द्र खोलने की अनुमति दी है, जहां से भारतीय सामान यूरोपीय विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों पर काम कब से आरंभ किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) भारत सरकार ने भण्डारण और व्यापार के क्षेत्र में नीदरलैण्ड में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए माह अगस्त, 1993 में मैसर्स इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर प्रा.लि. के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त स्वीकृति दो वर्षों के अवधि के लिए वैध रहेगी।

इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(1) भारतीय माल के लिए अत्यधिक प्रतियोगिता वाले यूरोपीय बाजार में प्रवेश पाना;

(2) यूरोप और इससे आगे भी भारतीय निर्यात का संवर्धन करना;

(3) यूरोप में अपनी वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से भारत के लिए विपणन केन्द्र तैयार करना; और

(4) भारतीय निर्यातकों को अनेक विपणन एवं वितरण सेवाएं प्रदान करना।

[हिन्दी]

सहकारी बीमा योजना

178. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशों में स्थित यूको बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन

179. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कामर्शियल बैंक की विदेशों में अनेक शाखाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं, इन्हें किस-किस तारीख को खोला गया, उनकी परिसम्पत्तियां और दायित्व क्या हैं;

(ग) क्या यूको बैंक की इन कुछ विदेशी शाखाओं का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और इन्हें घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन शाखाओं को गत दो वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूको बैंक की अपनी विदेशी शाखाओं के पुनर्गठन की कोई ठोस योजनाएं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) यूको बैंक की विदेशों में 7 शाखाएं हैं। इन शाखाओं के स्थान, उन्हें खोलने की तारीख और उनकी परिसंपत्तियां और देयताएं नीचे दी गई हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	देश का नाम	स्थान	खोलने की तारीख	संपत्तियां/देयतायें (31.5.93 के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	सिंगापुर	सिंगापुर मेन	16.4.1951	443.42
2.	सिंगापुर	सेरंगून रोड	7.3.1959	55.443
3.	सिंगापुर	ताजोंग पगर	30.10.1965	33.078
4.	हांगकांग	हांगकांग मेन	18.3 1952	488.0
5.	हांगकांग	क्चलून	22.10.1959	114.38
6.	यू.के.	लंदन	18.5.1953	141.7
7.	यू.के.	लीसेस्टर	18.12.1975	18.3

(ग) और (घ) हांगकांग और यू०के० स्थित बैंक की शाखाओं का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है और इन शाखाओं को हानियां हो रही हैं। ऐसी हानियों की सीमा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ङ) और (च) इस प्रयोजन के लिए बैंक ने कार्य योजना के रूप में उपचारात्मक उपायों के लिए पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ–साथ जमा राशि जुटाने, गैर निधि कारोबार उत्पन्न करने और स्थापना खर्चों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। यू.के. स्थित उसकी लीसेस्टर शाखा को बन्द करने पर भी विचार किया जा रहा है।

बन्धुआ मजदूर राष्ट्रीय आयोग

180. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित 11 राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति ने बन्धुआ मजदूर राष्ट्रीय आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) तेरह राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

कर्नाटक में बेरोजगार

181. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1993 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत स्नातकोत्तर, स्नातक अवर–स्नातक, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी स्नातक, आई.टी.आई. प्रशिक्षित तकनीशियनों की संख्या कितनी है;

(ख) इसमें से कितने व्यक्ति गत तीन वर्षों से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) राज्य में रोजगार के और अवसर उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31 दिसम्बर, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातकोत्तरों, स्नातकों, अवर–स्नातकों, चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी स्नातकों तथा आई.टी.आई. प्रशिक्षित तकनीशियनों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हो, निम्न प्रकार है :–

क्र०	श्रेणी	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजारों में)
1	2	3
(1)	अवर–स्नातक (मैट्रिक, हायर सैकेण्डरी तथा डिप्लोमा–धारक)	713.9
(2)	स्नातक (चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी स्नातकों सहित)	132.4
(3)	स्नातकोत्तर (चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी स्नातकों सहित)	19.6
(4)	चिकित्सा (स्नातक एवं उससे ऊपर)	0.8

1	2	3
(5)	अभियांत्रिकी (स्नातक एवं उससे ऊपर)	5.2
(6)	आई.टी.आई. प्रशिक्षणार्थी	32.4

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों के दर्ज रहने की अवधि संबंधी आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) किसी भी राज्य में रोजगार सृजन सामान्यतः राज्य में विकास की गति तथा स्वरूप पर निर्भर है। रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सेक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर पर बल दिया गया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किया गया निवेश

182. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 31 मार्च, 1993 तक कुल कितना निवेश किया;

(ख) तत्संबंधी क्षेत्रवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश योग्य संसाधनों के श्रेणीकरण पर निगरानी रखती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे सभी राज्यों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) 31 मार्च, 1993 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) के पास 36,900 करोड़ रुपए के कुल निवेश योग्य संसाधन थे।

(ख) यू.टी.आई. विभिन्न साधनों यथा इक्विटीज; डिबेंचरों, ऋणों, कंपनियों में जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार पत्रों में निवेश करती है। ये साधन राज्य–विशेष के नहीं हैं। यू.टी.आई. द्वारा किए गए क्षेत्रवार निवेशों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार, यू.टी.आई. द्वारा निवेश योग्य संसाधनों के व्यवस्थापन को मानीटर नहीं करती है। ये निवेश वाणिज्यिक तर्कों पर, निवेशकों के हितों को देखते हुए एवं यू.टी.आई. अधिनियम, 1963 की धारा 43 (क) के अंतर्गत बनाए गए यू.टी.आई. सामान्य विनियम, 1964 के साथ ही विभिन्न स्कीमों के तहत निवेश प्रयोजनों के अनुसार किए जाते हैं।

बेकार पड़े हेलीकॉप्टर और विमान

183. **प्रो. श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से हवाई अड्डेवार कितने हेलीकॉप्टर और विमान बेकार पडे हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना घाटा हो रहा है, और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बेंत तथा बांस शिल्प प्रशिक्षण केंद्र

184. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा जिले की सीमा पर स्थित बेंत तथा बांस शिल्प प्रशिक्षण केंद्र गत चार वर्षों से बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत रैयम में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या उपरोक्त केंद्र को अन्यत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त केंद्र की अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं और इस केंद्र की भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी हां। बेंत एवं बांस प्रशिक्षण केंद्र भ्रमणशील किस्म के होने के कारण तीन वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। उक्त अवधि के दौरान क्षेत्र विशेष की प्रशिक्षण आवश्यकता सामान्यतः पूरी की जाती है। रैयाम में प्रशिक्षण केंद्र ने 1989 से 1993 के दौरान प्रशिक्षण के तीन बैच चलाए हैं और इस अवधि के दौरान 70 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। केंद्र को नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल व्यापार

185. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के साथ व्यापार में विस्तार करने और संयुक्त उद्यम लगाने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनमें अब तक संयुक्त उद्यम लगाए गए हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार करने हेतु किसी नए क्षेत्र का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने और संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं का पता समय-समय पर सरकारी और व्यापारी स्तर पर आपसी सम्पर्क के जरिए लगाया जाता है।

(ख) भारत और नेपाल के बीच अब तक जिन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) होटल उद्योग

(2) शुष्क बैटरियां

(3) बियर का विनिर्माण और बोतलों में भरना

(4) पेन्ट, इनेमल और वार्निश

(5) यात्रा, पर्यटन और परिवहन

(6) सिगरेटों का विनिर्माण

(ग) और (घ) भारत और नेपाल के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हाल के विगत में किए गए मुख्य-मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं :-

(1) नेपाल विनिर्मित ऐसे माल को, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंशधारिता हो, बिना किसी सीमाशुल्क तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रयोजन के लिए नेपाली अंशधारिता में न केवल नेपाली तथा भारतीय माल की अंशधारिता शामिल होगी, बल्कि उसमें नेपाली श्रम की अंशधारिता भी शामिल होगी। पहले, नेपाली अंशधारिता की न्यूनतम मात्रा 65 प्रतिशत होती थी और उसमें नेपाली श्रम का मूल्य शामिल नहीं हुआ करता था।

(2) भारत को निर्यात किए जाने वाले माल की अंशधारिता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा क्लीयरेंस दी जाने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और

उसके स्थान पर स्वयं नेपाल की सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले उद्भव प्रमाण–पत्र की प्रणाली आरंभ की गई है।

(3) नेपाली सीमा से कलकत्ता/हल्दिया और वापसी हेतु नेपाल के उन निजी वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन की अनुमति है। जिन्हें नेपाली सरकार अथवा विनिर्दिष्ट नेपाली उपक्रमों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(4) नेपाली वाहनों तथा माल को नेपाल से भारत होकर नेपाल लाने ले जाने की अनुमति है और इसके लिए कोई नकद राशि जमा करने अथवा नेपाली सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आवश्यक वचन पत्र पर बांड प्रणाली जरूरी नहीं है।

(5) नेपाल की सरकार जो माल भारत से आयात करना चाहे उसके लिए भारतीय रुपए में भुगतान की वर्तमान प्रणाली के अलावा नेपाल भारत से आयात के लिए मुक्तरूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान कर सकता है। भारतीय निर्यातक मुक्तरूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निर्यात हेतु भारत द्वारा दिए जाने वाले सभी निर्यात लाभों के हकदार होंगे।

राज्य वित्त निगमों को राज सहायता

186. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य वित्त निगमों को दिए गए अनुदान/ऋण और इस पर राज सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्य वित्त निगमों को राज सहायता बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) राज्य वित्तीय निगम पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण की योजना के अंतर्गत केंद्रीय एकमुश्त अनुदान (सेंट्रल आउटराइट ग्रांट) के सवितरण के लिए एजेंटों के रूप में कार्य कर रहे थे। केन्द्रीय निवेश सब्सिडी योजना सितम्बर, 1988 से बंद कर दी गई है। राज्य सरकारें भी नए औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के उपाय के रूप में सब्सिडी योजनाएं चलाती हैं। राज्य वित्तीय निगम अब इन योजनाओं के अंतर्गत संवितरण करते हैं और संबंधित राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों से राज्य वित्तीय निगमों को प्रतिपूर्ति की गई/प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि अनुबंध में दी गई है।

विवरण

राज्यों से प्राप्त सब्सिडी

(लाख रुपये)

	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	0	269	1060
असम वित्तीय निगम	0	110	17
बिहार राज्य वित्तीय निगम	0	2	0
दिल्ली वित्तीय निगम	3222	2222	1850
गुजरात राज्य वित्तीय निगम	503	571	936
हरियाणा वित्तीय निगम	8	0	44
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	0	749	0
कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम	177	162	893
केरल वित्तीय निगम	17	79	86
मध्य प्रदेश वित्तीय निगम	0	82	330
महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम	0	309	280
उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम	130	60	305
पंजाब वित्तीय निगम	936	625	1726

1	2	3	4
राजस्थान वित्तीय निगम	400	806	950
तमिलनाडु औद्यागिक और निवेश निगम	435	0	68
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	85	131	315
पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम	–	–	–

भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार

187. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने एक संयुक्त वाणिज्य मंडल स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्री जी की ईरान के प्रथम उप विदेश मंत्री महामहिम अलाछीन ब्रोजर्दी के साथ हाल की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने महसूस किया कि इंडो–ईरान ज्वांइट चैम्बर आफ कामर्स की स्थापना से द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ होंगे और दोनों देशों के बीच मौजूदा जानकारी के अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रस्ताव के ब्यौरे दोनों देशों के व्यापार और उद्योग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

रेशम उद्योग

188. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रेशम उद्योग धीरे–धीरे लुप्त होता जा रहा है और कुछ समय पश्चात यह पूर्णतः लुप्त हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो असम में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं। असम में कच्ची रेशम का उत्पादन जो वर्ष 1990–91 में 422 मीट्रिक टन था, वर्ष 1992–93 में बढ़कर 469 मीट्रिक टन हो गया।

(ख) असम राज्य में कच्ची रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत राज्य एक प्रायोगिक

रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य में रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान, विस्तार, अद्यसंरचनात्मक तथा प्रशिक्षण सहयोग देने के लिए अपनी इकाइयों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

ब्याज कर की वसूली

189. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण देने वाली संस्थाओं को प्राप्त हो रही ब्याज आय पर ब्याज कर लगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी दर कितनी है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास इस समय ऋण देने योग्य अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार ब्याज कर हटाने अथवा ब्याज दर कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) कर–निर्धारण वर्ष 1992–93 से प्रभार्य ब्याज के 3 प्रतिशत की दर से ब्याज कर लगाया जाता है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात (एस.एल.आर.) के लिए आवश्यक प्रतिभूतियों की धारिता एस.एल.आर. अपेक्षाओं से अधिक है।

(घ) और (ङ) इस समय ब्याज कर को वापस लेने अथवा ब्याज दर ढांचे में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम्पनियों को सीमा शुल्क में छूट

190. **डा. रवि मल्लू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारूति उद्योग लिमिटेड को मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार अन्य कंपनियों को भी ऐसी ही सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या–क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्त्ती) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क अधि. की धारा 25(2) के अन्तर्गत एक तदर्थ छूट प्रदायी आदेश जारी करके मै. मारूति उद्योग लि. द्वारा आयात किए जाने वाले लगभग 333 करोड़ रुपये मूल्य के पूंजीगत माल, औजारों तथा फालतू पुर्जों को सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। यह छूट इस शर्त के अन्तर्गत होगी कि मैसर्स मारूति उद्योग लि. 1 अप्रैल, 1995 से आरम्भ होने वाले सात वर्षों की अवधि के दौरान 1,40,000 वाई ई–2 कारों का निर्यात करेगा। निर्यात की जाने वाली वाई ई–2 कारो का मूल्य लगभग 2100 करोड़ रुपये होगा। प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित निर्यात बाध्यता में कमी के किसी मामले में, मैसर्स मारूति उद्योग लि. उस वर्ष के लिए पूर्वनिश्चित शुल्क की अदायगी करेगा, जो उस विशेष वर्ष के लिए निर्यात बाध्यता में कमी के आनुपातिक होगा। यह छूट इस बात को मद्देनजर रखते हुए दी गई है, ताकि मैसर्स मारूति उद्योग लि. विकसित देशों में अति प्रतिस्पर्धात्मक आटोमोबाइल बाजार में प्रवेश कर सके।

(ग), (घ) तथा (ङ) सरकार द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में यह व्यवस्था है कि यदि ऐसे ही प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में मूल्य–वर्धित मदों के निर्यातों को उत्पन्न करने के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत माल का बड़ी मात्रा में आयात करना शामिल हो, तब सरकार ऐसे प्रस्तावों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं देने पर विचार करेगी। इस प्रकार की छूट के लिए किसी अन्य कम्पनी से अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए कर संबंधी प्रोत्साहन

191. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में औद्योगिक एककों और होटलों की स्थापना के लिए करों में रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने रियायत के रूप में देश में इस प्रकार के जिलों के समकक्ष इन उद्योग रहित जिलों को लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) सभी नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए, जहां–कहीं वे स्थापित किए जाते हैं, लाभ में से 25% की छूट दी जाती है, परन्तु उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में औद्योगिक उपक्रमों के लिए कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती है। लेकिन होटलों के मामले में, उक्त छूट आमतौर पर 30% है, परन्तु यदि होटल उत्तर प्रदेश के आठों पहाड़ी जिलों सहित किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में खोला जाता है, तो 50% की छूट दी जाती है।

(ग) लाभ में से शत–प्रतिशत की छूट तभी दी जाती है, यदि कोई औद्योगिक उपक्रम (न कि कोई होटल) किसी पिछड़े राज्य (न कि पिछड़े जिले) में स्थापित किया जाता है। यह रियायत अलग–अलग पिछड़े जिलों को भी दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

पर्यटन सुविधाओं के लिए गुजरात को सहायता

192. **श्री दिलीप भाई संघाजी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92 और 1992–93 के दौरान गुजरात में चुने गए पर्यटक स्थलो पर आयात तथा अन्य मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु गुजरात सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता राशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में 1993–94 के कौन–कौन से प्रस्ताव लम्बित हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1991–92 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित पर्यटक केन्द्रों पर आवास तथा मार्गस्थ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 85.28 लाख रु. केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत किए गए थे। गुजरात राज्य सरकार से 1992–93 के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, जिसमें इसके प्रयोजनातार्थ केन्द्रीय सहायता की मांग की गई हो।

(ख) 1993–94 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग को केन्द्रीय सहायता हेतु दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

पर्यटक स्थल

193. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या शौचालय और पेय जल सुविधाओं की कमी का होना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर शौचालय सुविधाएं और पेजयल जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

राज्य सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता देती है।

[हिन्दी]

भारत और इजरायल के बीच व्यापार

194. **डा. राम कृष्ण कुसमरिया :**
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद भारत और इजरायल के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) 1992–93 के दौरान भारत से इजरायल को कितने मूल्य का निर्यात किया गया, और

(ग) 1993–94 के दौरान भारत से इजरायल को कितने मूल्य का निर्यात किए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) इजराल के साथ भारत का व्यापार वर्ष 1991–92 के दौरान 317.86 करोड़ रु. का था, जबकि वर्ष 1992–93 के दौरान यह बढ़कर 660.24 करोड़ रुपये का हो गया।

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान इजराइल को भारत का निर्यात 244.10 करोड़ रुपये का हुआ।

(ग) वर्ष 1993–94 (अप्रैल–अगस्त, 93) के पहले 5 महीनों के दौरान इजराइल को भारत का निर्यात 159.48 करोड़ रुपये का हुआ।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र का नदी-तट

195. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र सर के नदी तट के गुवाहाटी शहर वाले भाग को सुन्दर बनाने के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1991–92 के दौरान असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर सुविधाओं के स्तरोन्नयन के

लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 5.13 लाख रुपये स्वीकृत किए थे। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना पूरी हो गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बैंक की शाखाएं

196. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और वे कहां-कहां खोली जायेंगी; और

(ग) ये शाखाएं कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत, बैंकों को 1990-95 की अवधि के दौरान शाखाएं खोलने के लिए कोटा/केन्द्र आबंटित किये गए हैं। शाखाएं खोलने के लिए कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान बैंकों को चरणबद्ध रूप में आबंटित स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए एक योजना तैयार करने को कहा गया है।

महाराष्ट्र में शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के अंतर्गत बैंकों को आबंटित स्थानों का विवरण I, II और III पर दर्शाया गया है। बैंकों से 31.3.1995 तक परिसर आदि निर्धारित होने के बाद आबंटित केन्द्रों पर शाखायें खोलने की आशा की जाती है।

विवरण - I

ग्रामीण केन्द्र

क्रम.सं.	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	मेहर गांव	धुले
2.	तदैव	*सलाव	रायगढ़
3.	तदैव	*कदालास	शोलापुर
4.	तदैव	वालुज औद्योगिक क्षेत्र	औरंगाबाद
5.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	*गोवर्धन	नासिक

1	2	3	4
6.	तदैव	अम्बाप	कोल्हापुर
7.	तदैव	*उसर	रायगढ़
8.	तदैव	*सोनाड	शोलापुर
9.	बैंक आफ इंडिया	पुनाल	कोल्हापुर
10.	बैंक आफ महाराष्ट्र	भरम	नासिक
11.	तदैव	शिरोली डुमला	कोल्हापुर
12.	तदैव	मंजरेवाडी	शोलापुर
13.	तदैव	*उमरसारा	यवतमाल
14.	तदैव	*बालेवाड़ी	पुणे
15.	इंडियन बैंक	रासा	यवतमाल
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोल्थारे	रत्नागिरी
17.	सांगली बैंक लि.	*घोटवाडे	कोल्हापुर
18.	तदैव	गनेशवाड़ी	तदैव
19.	रत्नाकर बैंक लि.	*भदोला	तदैव
20.	तदैव	संगवाडा	तदैव
21.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	लोहारा (एमआईडीसी)	यवतमाल
22.	तदैव	*गोधानी रेलवे	नागपुर

* शाखाएं खोली गई हैं।

विवरण - II

क्रम.सं.	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
1	2	3	4
1.	देना बैंक	वई	सातारा

1	2	3	4
2.	भारतीय स्टेट बैंक	*बारामती (एमआईडीसी एरिया)	पुणे
3.	देना बैंक	*सिन्नर इंडस्ट्रियल एरिया	नासिक
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	*मुखेड	नांदेड़
5.	देना बैंक	*संगमनेर	अहमदनगर
6.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	पुसद	यवतमाल
7.	बैंक आफ इंडिया	*मोर्शी	अमरावती
8.	तदैव	*मुल	चन्द्रपुर
9.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	पाचोरा	जलगांव
10.	सागंली बैंक लि.	*गांधीनगर	कोल्हापुर
11.	बैंक आफ महाराष्ट्र	*उमरगा	उस्मानाबाद
12.	तदैव	तालेगांव दाभड़े (ईसी का उन्नयन)	पुणे
13.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	*उरावं	रायगढ़
14.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	*विता	सांगली
15.	बैंक आफ इण्डिया	वई	सातारा
16.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पंढरपुर	सोलापुर
17.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	बर्शी	तदैव
18.	विजया बैंक	*अक्कलकोट	तदैव
19.	तदैव	*पालघर (माहिम रोड)	ठाणे
20.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	वसई (अम्बाड़ी रोड)	ठाणे
21.	कारपोरेशन बैंक	वसई	तदैव
22.	बैंक आफ बड़ौदा	तदैव	तदैव

1	2	3	4
23.	वैश्य बैंक लि.	तदैव	तदैव
24.	विजया बैंक	भयन्दर (पूर्व)	ठाणे
25.	कारपोरेश्न बैंक	*तदैव	तदैव
26.	तदैव	तदैव	तदैव
27.	वैश्य बैंक लि.	मिसा रोड़	तदैव
28.	बैंक आफ बड़ौदा	भयन्दर (पूर्व)	तदैव

* शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

विवरण - III

क्रम.सं.	बैंक का नाम	केन्द्र/स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	कारपोरशन बैंक	*न्यू बम्बई एपीएमसी फेस–II मार्केट–I	ठाणे
2.	भारतीय स्टेट बैंक	तदैव	ठाणे
3.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	*न्यू बम्बई सिडको भवन प्लाट नं. 6, सेक्टर I, बोलापुर	ठाणे
4.	केनरा बैंक	न्यू बम्बई, एपीएमसी, फेस II मार्किट II	ठाणे
5.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा	*न्यू बम्बई एपीएमसी फेस II, मार्केट II, सेक्टर 19	ठाणे
6.	पंजाब नेशनल बैंक	न्यू बम्बई एपीएमसी, फेस II, मार्केट I,	ठाणे
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	न्यू बम्बई, एपीएमसी आरपीएमसी, फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल मार्केट	ठाणे

1	2	3	4
8.	देना बैंक	न्यू बम्बई, एपीएमसी फेस II मार्केट II	ठाणे
9.	बैंक आफ बड़ौदा	*न्यू बम्बई, एपीएमसी फेस II, मार्केट I	ठाणे
10.	भारतीय स्टेट बैंक	न्यू बम्बई, देवगिरी काम्पलेक्स, फेस II, मार्केट II,	ठाणे
11.	केनरा बैंक	न्यू बम्बई, नेरूल	ठाणे
12.	कारपोरेशन बैंक	न्यू बम्बई, ऐरोली	ठाणे
13.	देना बैंक	*न्यू बम्बई, कालाम्बोली,	रायगढ़
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	न्यू बम्बई सीबीडी, कांकन भवन	ठाणे
15.	विजया बैंक	न्यू बम्बई, न्यू पनवेल	ठाणे
16.	देना बैंक	न्यू बम्बई, ऐरोली	ठाणे
17.	इंडियन बैंक	न्यू बम्बई, वाशी, सेक्टर 29, 14, 11, और 12	ठाणे
18.	बैंक आफ इंडिया	न्यू बम्बई, कालाम्बोली	रायगढ़
19.	सिंडिकेट बैंक	न्यू बम्बई–नेरूल जयनगर	ठाणे
20.	बैंक आफ महाराष्ट्र	अहमदनगर, कलानगर गुलमोहर रोड	अहमदनगर
21.	भारतीय स्टेट बैंक	अहमदनगर, बुर्दगांव रोड,	अहमदनगर
22.	बैंक आफ महाराष्ट्र	अकौला दपाकी रोड	अकोला
23.	भारतीय स्टेट बैंक	अकोला अल्सी प्लाट, राधाकिसन, लेआउट	अकोला
24.	भारतीय स्टेट बैंक	अमरावती को-आप. इंड. इस्टेट	अमरावती
25.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	*अमरावती, शिवाजीनगर	अमरावती

1	2	3	4
26.	भारतीय स्टेट बैंक	अमरावती एमआईडीसी वार्ड 56,	अमरावती
27.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	औरंगाबाद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी	औरंगाबाद
28.	भारतीय स्टेट बैंक	औरंगाबाद दशमेशनगर	औरंगाबाद
29.	बैंक आफ महाराष्ट्र	औरंगाबाद सयाजीपुर	औरंगाबाद
30.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	*औरंगाबाद बजाज रेसिडेन्शियल ऐरिया	भंडारा
31.	भारतीय स्टेट बैंक	गोंदिया	भंडारा
32.	केनरा बैंक	गोंदिया झूलेलाल कालोनी	चन्द्रपुर
33.	भारतीय स्टेट बैंक	चन्द्रपुर, शास्त्रीनगर	चन्द्रपुर
34.	बैंक आफ महाराष्ट्र	चन्द्रपुर, शास्त्रीनगर	चन्द्रपुर
35.	केनरा बैंक	चन्द्रपुर, पठानपुर	चन्द्रपुर
36.	भारतीय स्टेट बैंक	चन्द्रपुर, रामनगर	चन्द्रपुर
37.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	धुले, बड़गुजर प्लाट मार्केट यार्ड	धुले
38.	भारतीय स्टेट बैंक	*धुले देवपुर/प्रमोद नगर	धुले
39.	भारतीय स्टेट बैंक	*धुले (एमआईडीसी मुकुंदनगर)	धुले
40.	विजया बैंक	बम्बई गर्ल्स होस्टल बिल्डिंग, बाबूभाई चिनाय रोड	ग्रेटर बम्बई
41.	सिंडिकेट बैंक	बम्बई वरली सी फेस	ग्रेटर बम्बई
42.	बैंक आफ बड़ौदा	बम्बई, हिरानंदानी मार्ग, पवई	ग्रेटर बम्बई
43.	विजया बैंक	बम्बई, बोरीवली (वेस्ट), गोविन्दनगर	ग्रेटर बम्बई
44.	बैंक आफ बड़ौदा	*बम्बई, जकोब सरकल	ग्रेटर बम्बई

1	2	3	4
45.	विजया बैंक	बम्बई, बोरिवली (डब्ल्यू) गोविंद नगर	ग्रेटर बम्बई
46.	बैंक आफ बड़ौदा	बम्बई, जकोब सरकल	ग्रेटर बम्बई
47.	सिंडिकेट बैंक	बंबई, कमाठीपुर	ग्रेटर बम्बई
48.	बैंक आफ बड़ौदा	बंबई, हीरानंदानी, मार्ग, पोवाई	ग्रेटर बम्बई
49.	विजया बैंक	बंबई बोरिवली (डब्ल्यू) गोविंद नगर	ग्रेटर बम्बई
50.	बैंक आफ बड़ौदा	बंबई जेकोब सर्कल	ग्रेटर बम्बई
51.	सिंडिकेट बैंक	बंबई, कामाठीपुरा	ग्रेटर बम्बई
52.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	बंबई, जोगेश्वरी, मिलाट रोड	ग्रेटर बम्बई
53.	कारपोरेशन बैंक	बंबई दादर, मनिया मार्केट	ग्रेटर बम्बई
54.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	बंबई, दादर, गोखले रोड	ग्रेटर बम्बई
55.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	बंबई, दादर, भवानी शंकर रोड	ग्रेटर बम्बई
56.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	*बंबई, दादर, एन सी, केलकर रोड	ग्रेटर बम्बई
57.	इंडियन बैंक	बंबई बांद्रा, काला नगर	ग्रेटर बम्बई
58.	पंजाब नेशनल बैंक	बम्बई बान्द्रा विद्या विहार	ग्रेटर बम्बई
59.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	बंबई बान्द्रा, कुरला काम्प्लेक्स	ग्रेटर बम्बई
60.	केनरा बैंक	बंबई, जूहू, विल्ले पारले डेवलेपमैंट स्कीम	ग्रेटर बम्बई
61.	देना बैंक	बंबई, मलाद (ई) राहेजा टाउनशिप	ग्रेटर बम्बई
62.	बैंक आफ इंडिया	बंबई, मलाद (डब्लू) इवरशीन नगर	ग्रेटर बम्बई

1	2	3	4
63	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	*बंबई, मारवे रोड	ग्रेटर बम्बई
64.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	*बंबई कांडीवली (ई) ठाकर कॉम्पलैक्स	ग्रेटर बम्बई
65.	इंडियन ओवरसीज बैंक	बंबई, बोरिवली (ई) शांतिवन	ग्रेटर बम्बई
66.	आन्ध्रा बैंक	बंबई, दाहीसार, अवधूतनगर, शिवाजी रोड	ग्रेटर बम्बई
67.	यूको बैंक	*बंबई दहिसार (ई) मिसकिता नगर	ग्रेटर बम्बई
68.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	बंबई, अंटोप हील	ग्रेटर बम्बई
69.	बैंक आफ महाराष्ट्र	बंबई, घाटकोपर जगदीश नगर	ग्रेटर बम्बई
70.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर	*बम्बई, भंडप (ई)	ग्रेटर बम्बई
71.	भारतीय स्टेट बैंक	बंबई, मुलुंद (ई) नीलम नगर गवनपद	ग्रेटर बम्बई
72.	विजया बैंक	*बंबई, मुलुंद(ई)	ग्रेटर बम्बई
73.	पंजाब नेशनल बैंक	भूसावल टापीनगर,	जलगांव
74.	केनरा बैंक	भूसावल, शिवाजी नगर	जलगांव
75.	देना बैंक	*भुसावल, आर्डिनेंस फैक्टरी	जलगांव
76.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	जलगांव, सिंधी कालोनी	जलगांव
77.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	जलगांव, शिवाजीनगर	जलगांव
78.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	*जालना इंडस्ट्रियल एरिया	जालना
79.	बैंक आफ महाराष्ट्र	जालना, नूतन वसहट जालना अम्बद रोड	जालना
80.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	जालना न्यू मोंधा एरिया	जालना

1	2	3	4
81.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	*इचालकरंजी, पारवती इंडस्ट्रियल इस्टेट	कोल्हापुर
82.	बैंक आफ महाराष्ट्र	कोल्हापुर सलोखे नगर	कोल्हापुर
83.	भारतीय स्टेट बैंक	कोल्हापुर, बाबा जरग नगर	कोल्हापुर
84.	बैंक आफ महाराष्ट्र	कोल्हापुर, राजेन्द्रा नगर	कोल्हापुर
85.	बैंक आफ इंडिया	कोल्हापुर, गोकुल शीरगांव	कोल्हापुर
86.	बैंक आफ इंडिया	लातूर एमआईडीजी	लातूर
87.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	*लातूर, आदर्श कालोनी, आऊसग रोड	लातूर
88.	बैंक आफ महाराष्ट्र	लातूर विवेकानन्द नगर	लातूर
89.	केनरा बैंक	लातूर, यशवन्त नगर	लातूर
90.	पंजाब नेशलन बैंक	*नागपुर, एक्रोस दी रोड चह इलेक्ट्रानिक जोन	नागपुर
91.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	*नागपुर टीम्की नार्थ साइड चह सेंट्रल एवेन्यू रोड,	नागपुर
92.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	*नागपुर लालगंज एरिया	नागपुर
93.	भारतीय स्टेट बैंक	नागपुर फ्रेंड्स कालोनी, कटोल रोड	नागपुर
94.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	नागपुर एपीएमसी कालमाना	नागपुर
95.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	नागपुर सुभाष रोड नजदीक शिवाजी लिथे वर्क्स	नागपुर
96.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	पुणे–सांगवी	पुणे
97.	इलाहाबाद बैंक	*पुणे–निलख पाटा	पुणे

1	2	3	4
98.	बैंक आफ इंडिया	पुणे–कलावाड़ी	पुणे
99.	केनरा बैंक	*पुणे–हिंजवाडी	पुणे
100.	देना बैंक	*पुणे–अकुरवाडी	पुणे
101.	बैंक आफ महाराष्ट्र	पुणे–यमुनानगर	पुणे
102.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	*पुणे प्राधिकरण न्यू टाउनशिप	पुणे
103.	पंजाब नेशनल बैंक	पुणे–कुडलवाडी	पुणे
104.	भारतीय स्टेट बैंक	पुणे–तंजाजी नगर	पुणे
105.	कारपोरेशन बैंक	पुणे–प्रेमलोक चौक	पुणे
106.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	*पुणे–पऊफाटा	पुणे
107.	कारपोरेशन बैंक	पुणे–बोपड़ी/दापोडी	पुणे
108.	भारतीय स्टेट बैंक	पुणे–प्रेमनगरी	पुणे
109.	भारतीय स्टेट बैंक	पुणे–विमन नगर	पुणे
110.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	*पुणे–कोरेगांव पार्क, कपिला डेयरी	पुणे
111.	बैंक आफ बड़ौदा	पुणे–हडणसर वैदुवाडी	पुणे
112.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	पुणे–हडणसर	पुणे
113.	यूको बैंक	पुणे–संगमवाड़ी	पुणे
114.	भारतीय स्टेट बैंक	*पुणे–धनकवाडी	पुणे
115.	बैंक आफ इंडिया	पुणे–दोथरूद शास्त्री नगर	पुणे
116.	बैंक आफ महाराष्ट्र	पुणे–वरजी मालवाडी	पुणे
117.	देना बैंक	पुणे–बेनुर नेशनल इंश्युरेन्स अकादमी	पुणे

1	2	3	4
118.	पंजाब नेशलन बैंक	पुणे–अम्बे नगर दत्ता नगर	पुणे
119.	भारतीय स्टेट बैंक	पुणे–येरवाड़ा कल्याणी नगर	पुणे
120.	देना बैंक	पुणे–परमार नगर	पुणे
121.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	*पुणे–कोथरूड गांधी भवन	पुणे
122.	केनरा बैंक	पुणे–सालिसबरी पार्क	पुणे
123.	सिंडिकेट बैंक	सांगली–सहयाद्रि नगर	सांगली
124.	बैंक आफ महाराष्ट्र	सांगली–अभय नगर	सांगली
125.	भारतीय स्टेट बैंक	*सांगली–एमआईडीसी	सांगली
126.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	*सांगली–कोल्हापुर रोड	सांगुली
127.	बैंक आफ महाराष्ट्र	*सोलापुर–ट्विन सोलापुर एरिया	सोलापुर
128.	भारतीय स्टेट बैंक	सोलापुर (मोदी एरिया)	ठाणे
129.	केनरा बैंक	भिवंडी–वंजरापत्ती नाले, आगरा रोड	ठाणे
130.	पंजाब नेशनल बैंक	भिवंडी टेमघा	ठाणे
131.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	डोंबिवली (गोपाल नगर)	ठाणे
132.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	अम्बरनाथ, नियर वंदना टाकिज	ठाणे
133.	भारतीय स्टेट बैंक	*डोंबिवली तिलक नगर	ठाणे
134.	स्टेट बैंक इन्दौर	ठाणे–खेरीगांव	ठाणे
135.	केनरा बैंक	उल्हास नगर–खेमानी	ठाणे
136.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	*उल्हास नगर मुल्खी मिशन	ठाणे
137.	न्यू बैंक आफ इंडिया	*उल्हास नगर नियर रेलवे स्टेशन	ठाणे
138.	बैंक आफ इंडिया	सीईडी, बेलापुर, न्यू बम्बई	ठाणे

1	2	3	4
139.	बरेली कारपोरशन बैंक लि.	फोर्ट, बम्बई	ग्रेटर बम्बई
140.	बैंक आफ इंडिया (स्पेशलाईस्ड ब्रान्च फार बम्बई डायमंड बिजनेस)	बम्बई कूरला काम्प्लेक्स	ग्रेटर बम्बई
141.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	डा. अम्बेडकर रोड, नागपुर	पुणे
142.	बैंक आफ इंडिया (स्पेशलाईस्ड अग्रि फाइनेंस ब्रांच)	पुणे	पुणे
143.	बैंक आफ इंडिया	जाम मिल्स, सोलापुर	सोलापुर

*शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

ऋण सेवा प्रभार

197. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दी जाने वाली ऋण सेवा प्रभार का नवीनतम आंकड़ा क्या है;

(ख) भुगतान संतुलन की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) आयात एवं निर्यात के अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) नवीनतम संकेत ये हैं कि 1993–94 के लिए ऋण की अदायगियां 1992–93 के दौरान की गई 8.1 बिलियन अमरीकी डालर की अपेक्षा मामूली सा अधिक हो सकती हैं, लेकिन चालू प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण की अदायगियां 1992–93 के 30.4 प्रतिशत के स्तर की अपेक्षा कम ही होंगी। 1993–94 में भुगतान संतुलन की स्थिति के 1992–93 की अपेक्षा काफी अच्छा होने की आशा है।

(ग) सरकार ने व्यापारिक अन्तर को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें विनिमय दर को एक समान बनाना और रुपये को चलायमान बनाना; कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों तथा सेवाओं के निर्यातों को एक नया बल देने के लिए निर्यात–आयात नीति में संशोधन करना; निर्यातों की नकारात्मक सूची की छंटाई करना; बैंकों को विशेष निर्देश देना कि वे निर्यात क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करें; विश्व की तुलनीय दरों पर विदेशी मुद्रा में पोत लदान पूर्व ऋण को लागू करना और राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं

को सुदृढ बनाना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में 1993–94 में व्यापार अन्तर के कम होने की आशा है।

सस्ती और आडम्बरहीन उड़ानें

198. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए इंडियन एयरलांइस का विचार सस्ती और आडम्बरहीन उड़ानें शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मौजूदा इकोनोमी श्रेणी, बिजनेस श्रेणी और एक्जिक्यूटिव श्रेणी के अलावा इस समय किसी और श्रेणी को शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चाय व्यापार निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

199. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम में चाय बागान लकसन का प्रबंध करने वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से उनका वेतन नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इडिया लि. की कुछ एक समस्याओं के कारण हाल ही में लुकसन टी गार्डन में कामगारों को वेतन वितरित करने में नाममात्र की देरी हुई है। कारपोरेशन गार्डन के कामगारों को समय पर वेतन वितरित करने के सभी प्रयास कर रहा है।

राज्य वित्त पोषण निगम

200. **श्री शंकर सिंह बाघेला** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप राज्यों के लिए धनराशि जुटाने हेतु राज्य वित्त पोषण निगम के गठन की कोई पहल की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) की 1992–93 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 7.62 (पृष्ठ 115) में राज्य वित्त पोषण निगम गठित किए जाने का उल्लेख है। तथापि, वित्त मंत्रालय को भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत:, फिलहाल, वित्त मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर टैक्सी संचालकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिचालन

201. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्दर उड़ानों का संचालन करने वाले एयर टैक्सी संचालकों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या कुछ एयर टैक्सी संचालकों का विचार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) वर्ष 1993 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान एयर टैक्सी संचालकों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी अजाद) : (क) 30.11.93 की स्थिति के अनुसार सत्रह हवाई टैक्सी प्रचालक अंतर्देशीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन आरंभ करने के लिए अनुमति मांगी थी। वर्तमान हवाई टैक्सी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत केवल अंतर्देशीय सेवाएं चलाये जाने की अनुमति है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अमरेली और सूरत में विमानपत्तनों का निर्माण

202. **श्री काशी राम राणा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अमरेली और सूरत में विमान पत्तन टर्मिनल भवन, हवाई पट्टी और टैक्सी ट्रैक के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या वहां पूर्ण विकसित असैनिक विमान पत्तनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) अमरेली और सूरत की हवाई पट्टी गुजरात सरकार की है। इस समय इन हवाई पट्टियों पर सुविधाओं के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

मिजोरम में नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार

203. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर भाग में मिजोरम नशीली दवाओं के अवैध व्यपार के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान जब्त की गई नशीली दवाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मिजोरम में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) औषध अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है, अतः निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह मिजोरम में बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। तथापि पिछले छः माह और वर्ष 1992 की संगत अवधि के दौरान मिजोरम में जब्त किए गए औषधों की मात्रा तथा मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :–

(I) औषध	1993 (जून से नवम्बर)	1992 (जून से नवम्बर)
		(मात्रा किलोग्राम में)
हेरोइन	0.45	0.461
गांजा	52.530	99.501
अफीम	2.500	2.255
मारफीन	41 एम्प्यूल्स	––
(II) मामलों की संख्या	34	87

(ग) साधारण वैधानिक, प्रवर्तन प्रशासनिक तथा इस संबंध में किये गए अन्य उपायों के अलावा पूर्वोत्तर भाग में औषध अवैध व्यापार की जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) भरसक सतर्कता बनाए रखने और एन.डी.पी.एस. एक्ट में अन्तर्विष्ट कड़े प्रावधानों के तहत प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(2) एन. डी. पी. एस. एक्ट के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय स्थानीय वरिष्ठतम अधिकारियों एवं राज्य एजेंसियों के साथ सावधिक बैठकें करने के लिए गृह राज्य सचिव (मिजोरम) की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बनाई गई है।

(3) समन्वय के प्रयोजन हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में नोडल अधिकारियों को अभिनिर्धारित कर दिया गया है।

(4) अभिनिर्धारित व्यापार मार्ग, सभी एजेंसियों को परिचालित कर दिए गए हैं।

(5) मार्च, 1993 में म्यांमार के साथ एक द्विभाषिक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें औषध अवैध व्यापार को रोकने के लिए आसूचना के आदान-प्रदान आदि की व्यवस्था है।

मसालों का निर्यात

204. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92 की तुलना में 1992–93 के दौरान मसालों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 के लिए मसालों के निर्यात का विस्तृत विवरण (मात्रा और मूल्य) नीचे दिया गया है।

वर्ष	मात्रा (एम टी)	मूल्य (करोड़ रु०)
1992–92 (पी)	1,30,567	362.04
1992–93 (ई)	1,23,265	382.06

(पी) अनन्तिम

(ई) अनुमान

स्रोत : वा.जा. एवं सं. महानिदेशालय कलकत्ता/शिपिंग बिल/निर्यातकों के वार्षिक विवरण

मध्य प्रदेश में एन.टी.सी. मिलें

205. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नेशलन टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अधीन कार्यरत उन रुग्ण मिलों की संख्या और नाम क्या हैं, जिन्हें सरकार का विचार बन्द करने का है;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक मिल में कितने मजदूर कार्यरत हैं और प्रत्येक मिल को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त मिलों में से किसी मिल का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि. को, जिसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 7 मिलें हैं, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत रुग्ण घोषित किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सर्वांगीण सुधार नीति के अन्तर्गत हीरा मिल्स, उज्जैन को गैर-अर्धक्षम मिल के रूप में अभिज्ञात किया गया है, जिसके अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कामगारों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सुव्यवस्थित किया जाना अपेक्षित था, जबकि 3 मिलों नामतः इन्दौर माल्वा, कल्याणमल तथा स्वदेशी टैक्सटाइल, इन्दौर को एक परिणामी अर्धक्षम एकक में मिलाने का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि. की भावी स्थिति का निर्धारण बी आई एफ आर द्वारा सभी संबंधित पार्टियों के साथ परामर्श करने पर किया जाएगा। वर्ष 1992–93 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि. में कामगारों की संख्या तथा उसके द्वारा उठाए गए निवल घाटे को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

क्रम सं.	मिल का नाम	30.9.93 की स्थिति अनुसार नामावलि में कामगारों की संख्या	निवल घाटा (करोड़ रुपये) 1992–93
1.	हीरा मिल्स, उज्जैन	1622	–11.20
2.	स्वदेशी काटन मिल्स	887	–0.68
3.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	965	–8.29
4.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	1312	–4.40
5.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	1924	–9.12
6.	इंदौर माल्वा मिल्स	2450	–15.25
7.	कल्याणमल मिल्स	1929	–10.30

उत्तर प्रदेश में विद्युत करघों का आधुनिकीकरण

206. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में विद्युत करघों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान सेवाओं संबंधी समझौता

207. **श्री अरविंद तुलसीराम काम्बले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निकट के द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के विचार से कजाखिस्तान, किर्घिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ विमान सेवाओं संबंधी समझौता किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सेवाएं कब से कार्य करना आरंभ करेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। द्विपक्षीय करारों में विशिष्ट मार्गों पर विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा एक या एक से अधिक एयरलाइनों को नामित करने की व्यवस्था है।

(ग) विमान सेवाओं के वास्तविक प्रचालन के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

208. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विश्व बैंक से 1991–92 और 1992–93 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कितना धन प्राप्त हुआ;

(ख) सरकार द्वारा प्राप्त कुल धन में से कितना धन इस पर खर्च किया गया; और

(ग) शेष धन न खर्च करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से पिछले दो वर्षों के दौरान कोई विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को विशेष केन्द्रीय सहायता

209. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991–92 में पश्चिम बंगाल की सरकार को ऋण के रूप में 215 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता देने का वचन दिया था,

(ख) क्या उक्त धन राज्य को दे दिया गया है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इसे कब तक दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने वर्ष 1991–92 में उस वर्ष के लिए अपनी वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए 200 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण का अनुरोध किया था। चूंकि वर्ष 1991–92 के दौरान केन्द्र स्वयं ही गम्भीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था, इसलिए केन्द्र द्वारा राज्य के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था।

(घ) चूंकि राज्य सरकार का 200 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण का अनुरोध वर्ष 1991–92 के लिए राज्य की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए किया गया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 1991–92 के समाप्त होने के पश्चात उस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली की शाखाओं के सामने लंबित मामले

210. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण की दिल्ली शाखा के सामने 30 अक्तूबर, 1993 तक ऐसे कितने मामले थे, जिनके संबंध में अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है, किन्तु गत 3 माह से भी अधिक समय से निर्णय के लिए लंबित पड़े हैं,

(ख) सुनवाई पूरी होने के बाद ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसे मामलों में शीघ्र निर्णय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ऐसे मामलों की संख्या पन्द्रह है।

(ख) और (ग) न्यायाधिकरण, जो कि एक अर्ध न्यायिक संगठन है, को अपने समक्ष आने वाले मामलों में तकनीकी साहित्य और कानूनी मुद्दों तथा पार्टियों द्वारा उठाए गए तथ्यों का अध्ययन करने के बाद मौखिक आदेश पारित करने पड़ते हैं। कुछ जटिल मामलों में थोड़ा विलम्ब हो ही जाता है।

[अनुवाद]

लघु बचत संग्रहकर्ता

211. **डा. अमृतलाल कालीदास पटेल :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1993 को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत लघु बचत संग्रहकर्ताओं की संख्या कितनी थी और 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान अब तक उन्होंने कितनी धनराशि एकत्र की;

(ख) क्या सरकार ने धन संग्रहण योजना की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस योजना में कोई परिवर्तन करने के संबंध में विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यिक प्रवासी अधिनियम का उल्लंघन

212. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में राज्यवार पृथक पृथक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी बैंकों के गोपनीयता कानून

213. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगोपनीय अंतर्राष्ट्रीय बैंकिग प्रणाली अपनाने के लिए गोपनीयता नियमों को शिथिल करने के लिए अनुदेश दिये हैं अथवा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, बैंककारी विनियम अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम तथा अन्य संविधियों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। विदेशों में उनके प्रचालन संबंधित देश के नियामक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अन्य देशों में विदेशी बैंकों के प्रचालनों में भारत सरकार को दखलंदाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

214. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये शाखाएं कहां–कहां खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) सरकार का मध्य प्रदेश सहित देश में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के प्रस्ताव उन्हीं से प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

।अनुवाद।

असम में रबड़ की खेती

215 **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में रबड़ की खेती करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां, 8वीं योजनावधि में लागू की जा रही रबड़ बागान विकास योजना चरण–II/के तहत बोर्ड द्वारा 5650 हेक्टेयर भूमि को खेती के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(ख) विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :–

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1993–94	1000
1994–95	1100
1995–96	1100
1996–97	1200
1997–98	1250
कुल	5650

(ग) योजना पहले से ही लागू है।

[हिन्दी]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए पृथक बोर्ड

216. **श्री बलराज पासी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी के लिए एक पृथक बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित बोर्ड का गठन कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख) और (ग) यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक पर्यवेक्षी निकाय स्थापित किया जाए। इस निकाय की संरचना और कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से निवेश

217. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से निवेश करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना पर उद्योगों से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार उस संबंध में नौकरशाही संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

218. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अवधिवार दी गई महंगाई भत्त की किस्तों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इसके फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार पर कितना अतिरिक्त भार पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंजूर की गई महंगाई भत्ते की किस्तों तथा फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

महगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मजूर करने की तारीख	मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों का क्वांटम			अतिरिक्त वित्तीय भार (प्रतिवर्ष करोड़ रुपये में)
	3500 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को	3500 रुपये से अधिक और 6000 रु॰ प्रतिमाह तक प्राप्त करने वाले	6000 रु० प्रतिमाह से अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को	
1	2	3	4	5
1.1.1991	8 प्रतिशत	6 प्रतिशत	5 प्रतिशत	566
1.7.1991	9 प्रतिशत	7 प्रतिशत	6 प्रतिशत	780

1	2	3	4	5
1.1.1992	11 प्रतिशत	8 प्रतिशत	7 प्रतिशत	910
1.7.1992	12 प्रतिशत	9 प्रतिशत	8 प्रतिशत	996
1.1.1993	9 प्रतिशत	7 प्रतिशत	5 प्रतिशत	750
1.7.1993	5 प्रतिशत	4 प्रतिशत	4 प्रतिशत	416

एअर टैक्सी आपरेटर्स

219. **श्री मोहन रावले** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी बड़े विमान मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने वाले एअर टैक्सी आपरेटरों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या और अधिक एअर टैक्सी आपरेटरों को एअर टैक्सी चलाने की अनुमति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये प्राइवेट एअर टैक्सी आपरेटर पुराने विमानों को चलाते हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं और इनमें ईंधन की खपत बहुत होती है;

(ङ) इसके कारण भारत के ईंधन के आयात संबंधी बिल पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार प्राइवेट एअर टैक्सी आपरेटरों को विनियमन हेतु कोई ऐसा स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण बनाने का है, जो रूट के लिए लाईसेंस देने, विमान के रख–रखाव और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रम कानून

220. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रम कानून को लागू करने के बारे में हाल ही में कोई समीक्षा की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए निःशुल्क हवाई टिकटें

221. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने लंदन में आयोजित प्रदर्शनी के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए कुछ निःशुल्क विमान टिकटें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी टिकटें दी गई हैं और उनकी कुल कीमत क्या है, तथा इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया को इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि एयर इंडिया ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ 10 लाख रुपये मूल्य के परिवहन सेवा ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं। इस राशि का उपयोग आयोग द्वारा एयर इंडिया की उड़ानों पर अपने यात्री और कार्गो के वहन के लिए किया जाएगा और इसके बदले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एयर इंडिया को अपनी सरकारी वाहक कम्पनी के रूप में प्रचारित करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक और कृषि उत्पादों का निर्यात निष्पादन

222. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1993 से सितंबर, 1993 तक मंदवार निर्यात निष्पादन कैसा रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के निर्यात निष्पादन में गिरावट आई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, और इस संबध मे क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल–अगस्त, 1993 अवधि अर्थात जिस नवीनतम अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, के लिए प्रमुख वस्तुओं का डालर में निर्यात निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) अप्रैल–जुलाई, 1993 अवधि, अर्थात जिस नवीनतम अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से पता चलता है कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विनिर्मित उत्पादों के निर्यात में अप्रैल–अगस्त, 1993 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) तथा (ङ) कृषि जन्य एवं सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात में अप्रैल–अगस्त, 1993 अवधि के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में डालर में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिन प्रमुख कृषि उत्पादों में डालर के रूप में वृद्धि हुई है, वे हैं :–

खाद्यान्न (21 प्रतिशत), गिरियां एवं बीज (41 प्रतिशत), आयल मिल्स (65 प्रतिशत), अरंडी का तेल (191 प्रतिशत) चीनी और शीरा (180 प्रतिशत), संसाधित खाद्य (22 प्रतिशत) आदि।

विवरण

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात अप्रैल-अगस्त, 1993-94

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.	वस्तुएं	अप्रैल–अगस्त	अप्रैल–अगस्त	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	**बागान**	145.58	184.54	26.8
	1. चाय	103.70	136.39	31.5
	2. काफी	41.87	48.15	15.0

1	2	3	4	5
2.	**कृषि उत्पाद**	727.40	1002.92	37.9
	1. खाद्यान्न	147.01	177.79	20.9
	(क) चावल	142.70	176.39	23.6
	(ख) गेहूं	2.05	–	–100.0
	(ग) अन्य	2.26	1.40	–37.9
	2. दालें	7.23	5.94	–17.9
	3. तम्बाकू	75.11	62.94	–16.2
	(क) अविनिर्मित	64.27	47.92	–25.4
	(ख) विनिर्मित	10.84	15.03	38.6
	4. मसाले	60.70	71.90	18.4
	5. गिरियां एवं बीज	118.62	176.43	41.2
	(क) सी. एन. एस. एल. सहित काजू	106.72	138.40	29.7
	(ख) तिल एवं रामतिल	11.71	7.24	–38.1
	(ग) मूंगफली	0.19	21.79	11647.6
	6. आग्रल मिल्स	159.18	262.13	60.7
	7. ग्वार गोंद मील	13.40	19.05	42.2
	8. अरण्डी का तेल	12.81	37.22	190.6
	9. चपडा	3.94	11.29	186.3
	10. चीनी एवं शीरा	16.18	45.32	180.0
	11. संसाधित खाद्य	75.83	92.54	22.0
	(क) फल एवं सब्जियां	44.85	54.82	22.2

1	2	3	4	5
	(ख) संसाधित फल एवं रस	17.39	20.16	15.9
	(ग) विविध संसाधित मदें	13.59	17.56	29.2
	12. मांस एवं मांस उत्पाद	30.73	42.12	37.1
	13. पुष्पोत्पादन उत्पाद	2.27	1.95	−14.1
	14. स्पिरिट एवं पेय पदार्थ	4.39	5.29	20.5
3.	समुद्री उत्पाद	203.20	244.75	20.4
4.	अयस्क और खनिज	271.28	354.28	30.6
	1. लौह अयस्क	146.02	187.89	28.7
	2. अभ्रक	3.04	4.49	47.9
	3. संसाधित खनिज	54.42	73.76	35.6
	4. अन्य अयस्क एवं खनिज	66.05	84.42	27.8
	5. कोयला	1.76	3.71	110.9
5.	चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुए	504.41	520.62	3.2
	1. फुटवीयर	163.01	177.93	9.1
	2. चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुएं	341.39	342.69	0.4
6.	रत्न एवं आभूषण	1093.46	1507.32	37.8
7.	खेलकूद का सामान	14.66	15.22	3.8
8.	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	708.68	913.79	28.9
	1. मूल रसायन भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन	458.41	531.43	15.9
	2. प्लास्टिक एवं लिनोलियम	50.67	112.75	122.5
	3. रबर कांप एवं अन्य उत्पाद	164.24	232.38	41.5

1	2	3	4	5
	4. अवशिष्ट रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	35.37	37.23	5.2
9.	इंजीनियरी माल	845.37	1035.37	22.5
10.	इलैक्ट्रानिक माल	95.49	112.70	18.0
11.	परियोजना माल	10.63	2.67	−75.9
12	वस्त्र	1785.63	1972.62	10.5
	1. सिलेसिलाए परिधान	963.91	1046.71	8.6
	2. कपास यार्न, फेब्रिक्स, मेडअप्स, आदि	522.59	603.09	15.4
	3. मानवनिर्मित वस्त्र, मेड अप्स	165.83	192.82	16.3
	4. प्राकृतिक रेशमी वस्त्र	57.28	43.00	−24.9
	5. ऊन एवं ऊन से बनी वस्तुएं	12.39	19.14	54.5
	6. कयर एवं कयर उत्पाद	12.48	16.76	34.3
	7. पटसन से बनी वस्तुएं	51.15	51.10	−0.1
13.	हस्तशिल्प	105.15	126.65	20.4
14.	कालीन	205.07	210.62	2.7
	1. रेशम को छोड़कर हाथ से बने	162.45	164.30	1.1
	2. रेशम को छोड़कर	34.79	40.93	17.6
	3. रेशमी कालीन	7.82	5.40	—
15.	अपशिष्ट सहित कपास	6.31	148.67	2256.3
16.	पेट्रोलियम उत्पाद	193.30	210.04	8.7
17	अवर्गीकृत निर्यात	67.40	130.26	93.3
	कुल योग	6983.08	8693.03	24.5

स्त्रोत : वाणिज्य जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949

223. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में आवास विकास वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ने भी भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के नीति संबंधी मार्ग निर्देशों के संदर्भ में गैर सरकारी क्षेत्र में गठित किए जा रहे बैंकों का ठीक ढंग से प्रबंध किया जा रहा है और इससे भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी नियामक शक्तियों को और अधिक कारगर ढंग से प्रयोग करने में भी सहायता मिलेगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। इन संशोधनों का प्रस्ताव आवास विकास वित्त निगम (एच. डी. एफ. सी) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई सी आई सी आई) से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात किया गया है।

आयकर संबंधी छापे

224. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने अक्तूबर, 1993 में पूरे देश में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के दौरान राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि बरामद की गई; और

(ग) इन छापों के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) अक्तूबर 1993 में की गई तलाशी के दौरान 3591.11 लाख रुपये की परिसम्पत्ति पकड़ी गई, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही पकड़ी गई सामग्री के आधार पर की गई है।

क्रमांक	राज्य	अभिग्रहण (रुपये लाखों में)
1.	असम (उ.पू.क्षे.)	16.48
2.	आन्ध्र प्रदेश	404.78
3.	बिहार	10.36
4.	चण्डीगढ़	84.87
5.	दिल्ली	153.47
6.	गुजरात	523.83
7.	कर्नाटक	224.81
8.	मध्य प्रदेश	38.65
9.	महाराष्ट्र	1131.90
10.	पंजाब	272.11
11.	राजस्थान	38.58
12.	तमिलनाडु	257.04
13.	उत्तर प्रदेश	82.05
14.	पश्चिम बंगाल	352.18
	कुल	3591.11

प्रयोग में न लाये जा रहे हवाई अड्डे

225. **श्री हाराधन राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां काफी लंबे समय से अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक हवाई अड्डे/हवाई पट्टी का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा ग कितने समय से अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ग) इन हवाई अड्डे/हवाई पट्टियों को उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों को उपयोग में लाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस सभा जिन हवाई अड्डे को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है उनके ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रचालकों से मांग न आने के कारण विवरण में बताए गए हवाई अड्डे प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) इन समय इस हवाई अड्डों को प्रयोग में लाने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

हवाई अड्डे का नाम	कब से प्रयोग में नहीं लाए गए
1	2
आंध्र प्रदेश	
1. कुडप्पाह	सितम्बर, 1989
2. धोनकोंडा	कभी-कभी उपयोग में
3. वारंगल	फरवरी, 1988
अरुणाचल प्रदेश	
4. पासीघाट	नवम्बर, 1990
असम	
5. रूपसी	कभी-कभी उपयोग में
6. शैला	कभी-कभी उपयोग में
बिहार	
7. गया	नवम्बर, 1990
8. जोगबानी	कभी-कभी उपयोग में

1	2
9. मुजफ्फरपुर	कभी-कभी उपयोग में
10. चकुलिया	कभी-कभी उपयोग में
11. रक्सौल	कभी-कभी उपयोग में
गुजरात	
12. दीसा	अगस्त, 1991
कर्नाटक	
13. हसन	कभी-कभी उपयोग में
14. मैसूर	सितम्बर, 1989
मध्य प्रदेश	
15. बिलासपुर	नवम्बर, 1990
16. खंडवा	अगस्त, 1991
17. पन्ना	अगस्त, 1991
18. सतना	नवम्बर, 1990
महाराष्ट्र	
19. अकोला	दिसम्बर, 1988
20. शोलापुर	जुलाई, 1991
उड़ीसा	
21. झारसुगुड़ा	कभी-कभी उपयोग में
राजस्थान	
22. कोटा	नवम्बर, 1990
तमिलनाडु	
23. वैलोर	कभी-कभी उपयोग में
त्रिपुरा	
24. कैलाशहर	सितम्बर, 1990

1	2
25. कमालपुर	सितम्बर, 1990
26. खोवाई	कभी-कभी उपयोग में
उत्तर प्रदेश	
27. झांसी	कभी-कभी उपयोग में
28. ललितपुर	कभी-कभी उपयोग में
पश्चिमी बंगाल	
29. बैलूरघाट	कभी-कभी उपयोग में
30. मालदा	कभी-कभी उपयोग में

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का घाटा

226. **श्री छेदी पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के घाटे को कम करने के लिए वित्तीय/प्रशासनिक व्यय की विस्तृत जांच कराई गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सावधिक निरीक्षण करता है और प्रशासकीय/वित्तीय व्यय और अन्य परिचालनात्मक मामलों से संबंधित जिन अनियमितताओं का पता चलता है, बैंकों से उन मामलों का तत्काल सुधारने के लिए कहा जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनों और उनके वित्तीय तथा प्रशासनिक खर्चों की निगरानी प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखों और नाबार्ड में विश्लेषण के लिए तैयार किए गए तिमाही परिचालनात्मक आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। इन आंकड़ों के आधार पर कई कार्य निष्पादनों के पैरामीटर तैयार किए जाते हैं और बैंकों को तदनुसार सलाह दी जाती है।

(ग) यदि नाबार्ड के निरीक्षण रिपोर्ट या कार्यनिष्पादन की निगरानी से किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त जब कभी जनता, ऋणकर्ता इत्यादि आदि से शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की तुरंत छानबीन की जाती है।

[अनुवाद]

ऋण देने की दरों में कटौती

227. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लघु बचत सहित ऋण देने की दरों के साथ–साथ जमा राशियों की दरों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की है;

(ग) क्या इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जरिये होने वाली बचत पर विशेष रूप से लघु बचतों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(घ) इस ऋण दिये जाने से उद्योग को, लघु उद्यमियों की, किसानों तथा अन्य मुख्य समूहों को कितनी–कितनी सहायता मिली है; और

(ङ) इससे बैंक और वित्तीय संस्थाओं के आम जमाकर्ताओं पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 2 सितम्बर, 1993 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों और जमाराशियों तथा डाकघर की सावधि और आवर्ती जमाराशियों, 6-वर्षीय मासिक आय स्कीम पर ब्याज दरों को 1 से 1.5 प्रतिशतता बिन्दु तक कम कर दिया गया है। इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र में निवेश पहले के 5 वर्षों की बजाए अब साढ़े पांच वर्ष में दोगुना होगा।

(ग) और (घ) बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों में कमी वार्षिक मुद्रास्फीति दर में गिरावट के अनुरूप की गई है। डाकघर जमाराशियों, मासिक आय स्कीम, इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दरों में मुद्रास्फीति दर में गिरावट और बैंकों की जमा दरों में अधोगामी समायोजन के अनुरूप कमी की गई थी। चूंकि बैंक जमाराशियां और अल्प बचतें सांकेतिक ब्याज दरों, मुद्रास्फीति दर, आय और अन्य कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए, इन जमाराशियों और अल्प बचतों के प्रवाह पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। मुद्रास्फीति दर में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट होने से जमाकर्ताओं को भी लाभ पहुंचा है।

(ङ) ब्याज दर में कमी का उद्देश्य मुख्यत : कम लागत के ऋण के माध्यम से उद्योगपतियों, छोटे उद्यमियों, किसानों और अन्य प्रमुख समूहों की सहायता करना था। इसके अतिरिक्त, किसानी,

लघु उद्योगों, कारीगरों आदि को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपायों का विशेष पैकेज भी आरंभ किया गया है, जैसे कि भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण के लिए लक्ष्य के रूप में 10 प्रतिशत निवल बैंक ऋण का निर्धारण करना, लघु उद्योग इकाइयों के साथ परामर्श से बैंक शाखा स्तर पर वार्षिक ऋण योजना तैयार करना, 18 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर ही कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिमों को मिला अल्पावधि कृषि परिचालनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण की सामान्य श्रृंखला के अंतर्गत सीमाओं में वृद्धि करना और ग्राम, कुटीर, खादी और छोटे उद्योगों तथा कारीगरों के लिए भी निर्धारित किए जाने के वास्ते लघु उद्योग इकाइयों के लिए स्वीकृत ऋण का 40 प्रतिशत निर्धारित करना।

निम्न आय वर्ग के लिए कपड़ा

228. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उत्पादित कुल कपड़े का कितना प्रतिशत निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता है;

(ख) क्या इस प्रतिशतता को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है;

(ग) निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उत्पादन के प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस प्रकार के कपड़े के उत्पादन के लिए कोई राजसहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) समाज के कमजोर वर्गों के लिए हथकरघा क्षेत्र जनता कपड़ा तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन करते हैं। वर्ष 1992–93 के दौरान 450 मिलियन वर्ग मी. जनता कपड़ा तथा 50.4 मिलियन वर्ग मी. कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन किया गया था, जिसका कपड़े के कुल उत्पादन में 2.08 प्र.श. भाग है। जनता कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तथा (ङ) सरकार जनता/कन्ट्रोल कपड़े पर निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता देती है :–

जनता कपड़ा

1.	सूती कपड़ा	–	3.40 रु० प्रति वर्ग मी.
2.	ऊनी कपड़ा	–	13.60 रु० प्रति वर्ग मी.

कन्ट्रोल कपड़ा

1.	सूती धोती	–	2 रु० प्रति वर्ग मी.
2.	सूती साड़ी	–	2 रु० प्रति वर्ग मी.
3.	सूती लट्ठा	–	1.50 रु० प्रति वर्ग मी.
4.	पी सी शर्टिंग	–	2.50 रु० प्रति वर्ग मी.

वेतनेत्तर लाभों पर कर लगाना

229. **श्री ए. जयमोहन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी द्वारा सरकार, आवास, यात्रा सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा और यातायात खर्च जैसे वेतनेत्तर लाभों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वेतनेत्तर लाभ जैसे कि कम्पनी की कारें, आवास और अन्य खर्चों संबंधी परिलब्धियों पर जिन्हें अन्यथा कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन किया गया होता है, कर्मचारी के वेतन आय शीर्ष के अन्तर्गत परिलब्धियों के रूप में कर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 17 के अनुरूप कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में नियोक्ता द्वारा व्यय किए गए खर्चों में प्रायः छूट दी जाती है।

जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में निवेश

230. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्तमान में जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत दो वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य में जीवन बीमा निगम द्वारा औसत और वास्तविक तौर पर कितना लेन&देन किया गया तथा चालू वर्ष में कितना निवेश करने का विचार है; और

(ग) सरकार का विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने तथा राज्य में निगम के निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) 31.3.1993 के अनुसार गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम की 135 शाखाएं हैं।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में किया गया वास्तविक और औसत व्यवसाय निम्न प्रकार है :–

वर्ष	वास्तविक		दो वर्षों का औसत	
	पालिसियां	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए)	पालिसियां	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए)
1991–92	720881	2516.10	733739	2639.44
1992–93	746597	2726.77		

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में 1991–92 और 1992–93 के दौरान किए गए तथा 1993–94 में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश, जिसमें कम्पनियों के शेयरों/डिवेन्चरों में निवेश शामिल नहीं है, क्रमशः 130.43 करोड़ रुपए, 129.79 करोड़ रुपए और 130.12 करोड़ रुपए हैं। इसके अतिरिक्त 1991–92 और 1992–93 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने गुजरात में कम्पनियों के शेयरों और डिवेन्चरों में क्रमशः 128.17 करोड़ रुपये और 113.21 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वर्ष 1993-94 के लिए शेयरों/डिवेन्चरों में इस प्रकार के निवेश इस अवधि के दौरान गुजरात में कम्पनियों से आने वाले निवेश प्रस्तावों पर निर्भर करेंगे।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव है कि गुजरात राज्य में और अधिक शाखाएं खोलकर, अपनी पालिसियों का प्रचार करके और सामूहिक बीमा योजनाओं का विस्तार करके विभिन्न बीमा योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

काफी की खुली बिक्री के लिए कोटा

231. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने काफी के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत खुले बाजार में बिक्री के लिए कोटा शुरू करने की सिफारिश की है, जिसके अंतर्गत उत्पादकों को सीधे बिक्री के अधिकार होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रावधान को शामिल करने के लिए सरकार काफी अधिनियम, 1942 में संशोधन लाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस प्रस्ताव पर सरकार को अभी अंतिम विचार करना है।

[हिन्दी]

रुग्ण कपड़ा मिलें

232. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री जीवन शर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कपड़ा मिलें रुग्ण हैं;

(ख) इन मिलों की रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन रुग्ण कपड़ा मिलों को लाभार्जक कपड़ा मिलों के साथ विलय कर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) (क) 12.7.93 को बी आई एफ आर के पास रुग्ण मिलों के रूप में 247 मिलें पंजीकृत बतलाई गई हैं।

(ख) रुग्णता के कारणों में मुख्य कारण लागत प्रभावात्मकता के कारण विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युतकरघा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, मशीन तथा श्रमिक दोनों की ही निम्न उत्पादकता, आधुनिकीकरण की कमी, फालतू कर्मचारी, आवक की लागत में बढ़ोतरी, आधिक्य क्षमता आदि है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुम्बई हवाई अड्डे की मुख्य हवाई पट्टी पर वाहन

233. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1993 को मुम्बई हवाई अड्डे की मुख्य हवाई पट्टी को एक वाहन ने उस समय पार किया था, जब इंडियन एयरलाइंस का त्रिवेन्द्रम जाने वाला विमान उड़ने वाला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में तथा इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाई की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) 11.10.93 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आई.सी. 167 बंबई हवाई अड्डे के धावनपथ 27 से उड़ान भर रही थी। टेक–आफ रोल के दौरान कमांडर ने एक मारूति कार को धावनपथ पर दाएं से बाएं जाते देखा। कमांडर ने इसकी रिपोर्ट विमान यातायात नियंत्रक को दी। सूचना प्राप्त करने पर, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एप्रन सुरक्षा पर्यवेक्षक ने उक्त वाहन को बीच में ही रोक लिया और वाहन में सवार व्यक्तियों को पुलिस को सौंप दिया।

(ग) कार में सवार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। 3 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।

परिधि पर तैनात पुलिस ने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वाहनों की जांच प्रक्रिया कड़ी कर दी गई है और प्रचालनात्मक क्षेत्र की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है।

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता

234. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुपये को पूंजीगत स्तर पर पूर्ण परिवर्तनीय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उद्योग के लिए मशीनों का आयात

235. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू उद्योग के लिए गत तीन वर्षों के दौरान मशीनों का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू बनाने तथा तैयार करने के लिए मशीनों को निम्नानुसार आयात करने की अनुमति दी है :–

मूल्य : लाख रु. में

क्रम सं.	मशीनरी का प्रकार	वर्ष 1990–91	1991–92	1992–93
1.	सिगरेट बनाने वाली मशीन (सहायक पैकेजिंग उपकरण से युक्त मशीनें)	1.61	146.01 (1 नग)	1561.05 (4 नग)
2.	अन्य	1.64 (990 किग्रा.)	–	346.45 (32 नग)
3.	तम्बाकू तैयार करने वाली मशीन के उपकरण	61.43 (14616 किग्रा.)	107.77 (12308 किग्रा.)	297.45 (35011 किग्रा.)

एयरबस ए-300 में यात्रियों की क्षमता

236. **श्री धर्मण्णा भोंड्या सादुल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस का विचार अपने एयरबस ए–300 के दोनों श्रेणियों में यात्रियों की संख्या कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे इंडियन एयरलाइंस की आय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने एयरबस ए–300 विमान की इकोनोमी क्लास में यात्रियों की सुविधा के लिए इससे पूर्व 238 सीटों की संख्या घटाकर 215 सीटें करके खुले स्थान की व्यवस्था कर दी है। एग्जीक्यूटिव क्लास में सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि एयरबस ए–300 में सीट गुणक 70 प्रतिशत से कम रहा है, अतः अनुमान है कि यात्री राजस्व में कोई घाटा नहीं होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी कपड़ा मिलें

237. **श्री राम बदन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी कपड़ा मिलें/हथकरघा एकक कार्यरत हैं तथा कितनी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में वस्त्र मिलों/हथकरघा एककों की स्थिति निम्न अनुसार है :

वस्त्र की संख्या	55
प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की संख्या	4470
शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की संख्या	1
राज्य हथकरघा विकास निगमों की संख्या	1

राज्य में किसी भी मिल के औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत बंद होने की सूचना नहीं है।

(ग) इन मिलों को दुबारा खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में नोडीय अभिकरण औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का सृजन करना,

अर्धक्षम रुग्ण एककों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेज बनाना तथा उसका संचालन करना शामिल है। मिल की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

238. **डा. वंसत पवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार भारतीय म्यूचुअल फण्ड एकक "टॉइस" में पूंजी निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ऐसा निवेश किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) इस निवेश से होने वाले सम्भावित लाभों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने ऋण पूंजी परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी द्वारा संचालन की जाने वाली पारस्परिक निधि की पहली योजना में 225 मिलियन रुपए निवेश किए जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति प्रदान कर दी है।

(ग) बाजार में नकदी को बढ़ाने के अतिरिक्त प्राइवेट क्षेत्र की पारस्परिक निधियों को आरम्भ किए जाने से भारतीय पूंजी बाजार के विकास में सहायता मिलेगी।

राज्य व्यापार निगम को घाटा

239. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम को मलेशिया के साथ खाद्य तेल के लेन–देन में नौ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे घाटे के कारणों की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) हमारा ध्यान सामाचार पत्रों में छपी खबरों की ओर दिलाया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भी एस टी सी से इस मामले की शीघ्र जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा है। जांच प्रगति पर है।

[हिन्दी]

देश में बेरोजगार व्यक्ति

240. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में श्रेणीवार एवं राज्यवार कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 30 जून, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की

श्रेणीवार तथा राज्यवार संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में ऐसे सेक्टरों, सब–सेक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभाव्यता हैं। भौगोलिक रूप से और फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

विवरण

30.6.92 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या (हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		योग (सभी श्रेणियां)	महिलाएं (योग में शामिल)	अनुसूचित जाति (योग में शामिल)	अनुसूचित जनजाति (योग में शामिल)
1		2	3	4	5
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	3296.9	522.1	402.0	81.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.4	1.5	–	–
3.	असम	1347.3	280.6	74.5	140.3
4.	बिहार	3597.0	231.3	380.0	223.9
5.	गोवा	102.6	31.5	1.1	*
6.	गुजरात	987.3	128.7	169.4	90.2
7.	हरियाणा	632.6	101.1	104.9	–
8.	हिमाचल प्रदेश	470.9	106.7	83.9	14.3
9.	जम्मू और कश्मीर	138.2	21.5	7.0	0.2
10.	कर्नाटक	1475.8	299.5	165.2	21.8

	1	2	3	4	5
11.	केरल	3898.3	1928.3	320.0	17.5
12.	मध्य प्रदेश	1996.7	283.4	263.2	171.6
13.	महाराष्ट्र	3247.3	515.1	505.2	106.5
14.	मणिपुर	200.6	54.2	1.5	50.5
15.	मेघालय	24.7	9.2	0.2	16.1
16.	मिजोरम	36.4	8.9	–	36.4
17.	नागालैंड	22.9	6.5	1.2	20.3
18.	उड़ीसा	907.2	121.1	113.5	70.8
19.	पंजाब	739.2	161.5	205.1	*
20.	राजस्थान	891.8	85.0	128.2	57.1
21.	सिक्किम●	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	3665.7	1095.8	737.8	14.8
23.	त्रिपुरा	175.3	58.0	10.8	12.4
24.	उत्तर प्रदेश	2682.5	211.0	504.4	10.7
25.	पश्चिम बंगाल	5169.3	1081.8	429.7	80.5
संघ शासित प्रदेश					
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.2	5.2	–	0.7
27.	चंडीगढ़	160.9	32.6	42.2	0.1
28.	दादर और नागर हवेली	2.5	0.7	0.2	0.9
29.	दिल्ली	904.4	191.4	128.6	14.7
30.	दमन और दीव	2.4	0.1	0.2	0.3

	1	2	3	4	5
31.	लक्षद्वीप	6.5	1.4	–	6.4
32.	पांडिचेरी	125.1	37.6	9.5	0.1
	योग	3693.1	7613.6	4789.3	1260.6

टिप्पणी : ● इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

* 50 से कम आंकड़े।

हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

छोटे लघु क्षेत्रों को अग्रिम धनराशि देना

241. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और अन्य वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा चालू वित्त वर्ष के प्रथम छमाही में उद्योगों को कितनी अग्रिम धनराशि दी गई;

(ख) छोटे और लघु क्षेत्रों को इसमें से कितनी प्रतिशत अग्रिम धनराशि दी गयी ; और

(ग) छोटे और लघु क्षेत्रों को अग्रिम धनराशि देने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने चालू वर्ष (अप्रैल–सितम्बर, 1993) के पहले छः माह के दौरान उद्योगों को जो सहायता राशि संवितरित की है वह 8961.80 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़े) हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार उद्योग के लिए बकाया सकल बैंक ऋण 78,654 करोड़ रुपये था।

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की समस्त सहायता लघु और अति लघु क्षेत्र को प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के पहले छः माह के दौरान इसके द्वारा दी गई कुल सहायता 1073.49 करोड़ रुपये थी। मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार, लघु उद्योगों को बकाया सकल बैंक ऋण 20,027.00 करोड़ रुपये था, जो उद्योगों के लिए कुल बकाया का 25.46 प्रतिशत बैठता है।

(ग) अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई ऋण–नीति में, उद्योगों के लिए बैंक ऋण के प्रवाह में सुधार करने के उपाय किए गए हैं। जहां तक लघु और अति लघु क्षेत्र का संबंध है, पी.आर. नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के वाणिज्यिक बैंकों से ग्रामीण उद्योगों अतिलघु उद्योगों और अन्य लघु इकाइयों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वरीयता प्रदान करने को कहा है।

ऋण की दरों में कमी

242. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभ-प्रदता पर ब्याज दर में कमी का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या वित्तीय संस्थाओं ने भी अपनी ऋण दरों में कमी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सितम्बर, 1993 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की उधार की दरों में निम्नलिखित संशोधन किया है :

	ऋण सीमा का आकार	विद्यमान दरें	नई दरें (2 सितबर 1993 से प्रभावी)
(क)	**उधार की दरें**		
	(1) 25,000 रु० से अधिक और	(प्रतिशत वार्षिक)	
	2 लाख रुपए तक	16.0 (निश्चित)	15.0 (निश्चित)
	(2) 2 लाख रु० से अधिक	16.0 (न्यूनतम)	15.0 (न्यूनतम)
(ख)	**जमाराशियों की दरें**		
	46 दिनों से 3 वर्षों और	11.0	10.0
	अधिक के लिए	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं

हाल की अवधि में बैंकों के लिए निर्धारित उधार और जमाराशियों की दरों में परिवर्तन से उनके द्वारा अपने संसाधनों के उपयोग से अर्जित ब्याज और जमाराशियों पर दिए गए ब्याज

के भुगतान का विवेकपूर्ण प्रसार सुनिश्चित हुआ है। इस प्रकार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंकों की लाभप्रदता पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने अपनी सावधि जमाराशियों की दरों में संशोधन किया है। तदनुसार ही, न्यूनतम सावधिक ऋण दर को 16.5% वार्षिक से कम करके 15.5 प्रतिशत वार्षिक (दोनों में ब्याज कर शामिल है) किया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने भी 2 सितम्बर, 1993 से बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्त्ता से लिए जाने वाली ब्याज दर में संशोधन किया है। संशोधित दरों के अनुसार फार्म क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जिनका समर्थन नाबार्ड करता है, कृषि लघु उद्योग आदि के सावधि ऋणों के लिए अंतिम उधारकर्ता से लिए जाने वाली ब्याज की दर को दो लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए विद्यमान 15 प्रतिशत वार्षिक पर ही रखा गया है, जबकि इस श्रेणी में अन्य फार्म क्षेत्र के ऋणों के लिए ब्याज दर को 16.5 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 16 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। फार्म क्षेत्र से भिन्न उधारों के लिए अंतिम उधारकर्ता के संबंध में 10 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दर को पहले के 18 प्रतिशत से 2 प्रतिशत घटा दिया गया है।

[हिन्दी]

रेशम का उत्पादन

243. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में राज्यवार कच्चे रेशम का कितना उत्पादन किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं। देश में अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन, जोकि वर्ष 1990-91 में 12560 मी. टन के स्तर पर था, वर्ष 1992-93 में बढ़कर 14169 मी. टन के स्तर तक पहुंच गया।

(ग) देश में रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने देश व्यापी एकक के नेटवर्क के जरिए अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक/ स्विस विकास सहयोग की सहायता से 5 परम्परागत राज्यों (कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, प. बंगाल, तथा जम्मू व कश्मीर) तथा 12 गैर-परम्परागत रेशम उत्पादन राज्यों (बिहार, असम, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

1990-91 से 1992-93 के दौरान कच्चे रेशम का राज्यवार उत्पादन (मी० टन में)

राज्य	वर्ष 1990–91	1991–92	1992–93 (अनन्तिम)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3195	2847	3140
असम	422	465	469
अरुणाचल प्रदेश	7	5	6
बिहार	370	289	339
गुजरात	नगण्य	नगण्य	1
हिमाचल प्रदेश	5	4	9
जम्मू व कश्मीर	18	27	23
कर्नाटक	6214	5489	7285
केरल	1	1	नगण्य
मध्य प्रदेश	22	21	24
महाराष्ट्र	9	6	4
मणिपुर	132	163	179
मिजोरम	1	1	2
मेघालय	116	128	138
नागालैंड	22	35	19
उड़ीसा	72	74	76
पंजाब	नगण्य	नगण्य	नगण्य
राजस्थान	1	1	नगण्य

1	2	3	4
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	1072	1188	1342
त्रिपुरा	2	3	2
उत्तर प्रदेश	23	21	21
प. बंगाल	856	995	1090
	12560	11763	14169

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण-जमा अनुपात

244. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सितंबर, 1993 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हा, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) जून, 1991, 1992 और 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और अखिल भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण–जमा–अनुपात की स्थिति निम्नानुसार थी :–

	जून, 1991	जून, 1992	जून, 1993
उत्तर प्रदेश	47.7	44.5	42.4
अखिल भारत	65.2	62.2	61.8

इस प्रकार जून, 1991-1992 और 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात गिरावट की प्रवृति दर्शाता है तथापि, यह प्रवृत्ति अखिल भारत स्तर पर बन रही स्थिति की तरह ही है। इस संबंध में यह कहा जा सकता

है कि ऋण जमा अनुपात किसी खास राज्य/क्षेत्र के आर्थिक विकास में बैंकों द्वारा अदा की गई भूमिका का एकमात्र निर्देशक नहीं है। किसी खास राज्य या क्षेत्र में स्थानीय रूप से जुटायी गई जमाराशियों के संबंध में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो फिर सिंचाई, ऊर्जा, रेल, रोड, परिवहन, आधारभूत और तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और अपेक्षित निविष्ट वस्तुओं की उपलब्धता और कृषि के लिए विपणन केन्द्रों, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन इत्यादि जैसे आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे मदों को निर्धारित और प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश के मामले में निम्न ऋण जमा अनुपात के मुख्य कारणों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की कमी शामिल है, जिससे निम्न ऋण खपत क्षमता और कमजोर वसूली इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हुई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की एक बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 15 सितम्बर, 1993 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। अन्य बातों के साथ उपयुक्त बैंक में यह निर्णय लिया गया था कि संदर्भाधीन क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के उपाय किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस को हुआ घाटा

245. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए/उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1993 की अवधि के दौरान, इंडियन एयरलाइंस को 160.09 करोड़ की हानि हुई।

(ग) हानि को कम करने के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है :–

(1) ग्राउंड और विमान में दोनों पर ग्राहक सेवाओं में सुधार,

(2) अधिक और निःशुल्क उड़ान, प्वाइंट टू प्वाइंट किराये, अंतर्देशीय टूर–पैकेज इत्यादि जैसी योजनाएं आरंभ करना।

(3) समय पर कार्य–निष्पादन पर निकट से निगरानी रखना,

(4) एजेंट के लिए उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन सहित विपणन नीतियों में परिवर्तन,

(5) सुविधाजनक समयावलियां बनाना,

(6) वर्तमान बेड़े की उपयोगिता को बढ़ाना,

(7) अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि, तथा

(8) अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाना।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एकक

246. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कपड़ा एकक चल रहे हैं;

(ख) इनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं तथा प्रत्येक एकक की क्षमता कितनी है;

(ग) इन कपड़ा एककों द्वारा किए जाने वाले कपड़े के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें किस किस्म के कपड़े का उत्पादन किया गया;

(घ) घाटे में चलने वाले और लाभ कमाने वाले एककों के नाम क्या हैं तथा किन–किन एककों को बंद किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान उन मजदूरों की संख्या कितनी है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली अथवा जिन्हें फालतू पाया गया और मुक्त कर दिया गया अथवा जिनकी छंटनी की गई;

(च) घाटे में चल रहे एककों के कार्य में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किए गए और इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया;

(छ) क्या सरकार ने इन एककों के कार्य को समुचित स्तर तक लाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) राजस्थान में एन टी सी की चार इकाइयां हैं।

(ख) श्रमिकों की संख्या तथा प्रत्येक यूनिट की क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ब्यावर में दो यूनिटें अर्थात महालक्ष्मी मिल्स तथा एडवर्ड मिल्स संयुक्त इकाइयां हैं, तथा मूलतः ग्रे किस्म के कपड़े का उत्पादन करती हैं। दो अन्य इकाइयां अर्थात श्री विजय काटन मिल्स, विजयनगर तथा उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर कताई की इकाइयां हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों द्वारा उत्पादन किए गए कपड़े के ब्यौरे अनुबन्ध–1 में दिए गए हैं।

(घ) ये सभी चारों इकाइयां घाटा उठा रही हैं। एन टी सी के लिए सर्वांगीण सुधार नीति में ब्यावर स्थित महालक्ष्मी मिल्स तथा एडवर्ड मिल्स के एक अर्धक्षम इकाई के रूप में विलय करने का विचार किया गया है।

(ङ) एन टी सी की सर्वांगीण सुधार नीति के अन्तर्गत इन मिलों के 1504 श्रमिकों को फालतू श्रमिकों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, इनमें से 860 श्रमिकों ने पिछले दो वर्षों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ उठाया है। इन मिलों में किसी भी श्रमिक को सेवा से निकाला नहीं गया है।

(च) से (ज) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है, जिसमें राजस्थान में एन टी सी की मिलें भी शामिल हैं। इस नीति में चुनिंदा आधुनिकीकरण, वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनर्संरचना तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत फालतू श्रमिक बल का पुनर्वास शामिल है। ब्यावर में महालक्ष्मी तथा एडवर्ड मिलों को मिलाकर बनने वाली इकाई के आधुनिकीकरण के लिए 12.32 करोड़ रु० तथा श्री विजय मिल्स के लिए 4.50 करोड़ रु० व उदयपुर काटन मिल के आधुनिकीकरण के लिए 10.42 करोड़ रु० के निवेश का विचार किया गया है।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	30.9.1993 की स्थिति के अनुसार श्रमिकों की संख्या	30.9.1993 को स्थापित क्षमता		उत्पादन कपड़ा (लाख मी. में)		
			तकुए	करघे	1991–92	1992–93	1993–94 (अप्रैल–सितम्बर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महालक्ष्मी मिल्स	802	11160	56	89.73	26.09	3.91
2.	एडवर्ड मिल्स	681	14328	84	94.98	34.90	7.94
3.	श्री विजय काटन मिल्स	600	22172	–	–	–	–
4.	उदयपुर काटन मिल्स	681	25180	–	–	–	–

गुजरात में बैंक डकैतियां

247. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई डकैतियों में मारे गए या घायल बैंक कर्मचारियों के आश्रितों को क्या सहायता/रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1.1.1991 से 30.6.1993 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में लूटपाटों/डकैतियों की घटनाओं में से एक घटना में दिनांक 2.6.1991 को भावनगर जिले में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की महुवा शाखा के चौकीदार के मारे जाने की सूचना मिली थी। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने सूचित किया है कि मृतक चौकीदार के पुत्र को बैंक में नौकरी दे दी गई है।

[अनुवाद]

भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला

248. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के तत्वाधान में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रथम भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का आयोजन किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस मेले में कितने निर्यातकों के भाग लेने की संभावना है; और

(घ) इसमें प्रदर्शित की जाने वाली हस्तशिल्प वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी हां। सबसे पहला भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला, नई दिल्ली में 21 से 23 जनवरी, 1994 तक आयोजित किया जाना है। मेले का मुख्य उद्देश्य उन लघु निर्यातकों को एक स्थान पर विदेशी विक्रेताओं के समक्ष अपने हस्तशिल्प की समस्त मदों के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करके लाभ पहुंचाना है, जिनके पास विदेशों में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लेने का साधन नहीं है।

(ग) लगभग 300 हस्तशिल्प निर्यातकों द्वारा इस मेले में भाग लेने की संभावना है।

(घ) मेले में प्रदर्शित की जाने वाली हस्तशिल्प मदों में धातु शिल्प, इलेक्ट्रोप्लेटिड निकलिंग सिलवर पात्र, काष्ठ शिल्प, जरी हस्तशिल्प, लेस एवं कशीदाकारी, फैशन आभूषण, लोह शिल्प, पटसन उत्पाद आदि उत्पाद शामिल हैं।

अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण वितरण

249. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान वितरित किया गया ऋण गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान वितरित किए गए ऋण की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1993–94 (अप्रैल–जून) की पहली तिमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक ऋण विस्तार पिछली तदनुरूपी अवधि के 8179 करोड़ (6.5 प्रतिशत) की तुलना में कम था अर्थात 3534 करोड़ (2.3 प्रतिशत) था। बैंक ऋण में धीमी वृद्धि इस अवधि के दौरान खाद्य भिन्न ऋण के विस्तार में धीमी गति के कारण हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं :–

(1) बैंक कड़े प्रावधान मानदण्डों और जोखिम भारतीय आस्तियों के अनुपात में पूंजी के मानदण्ड लागू कर दिए जाने के कारण ऋण देने में काफी सतर्कता बरत रहे हैं।

(2) बैंकों ने मार्च, 1993 में काफी राशि को बट्टे–खाते डाला है।

(3) बड़े उधारकर्ताओं ने काफी संख्या में वाणिज्यिक पत्रों का सहारा लेना शुरू किया है।

(4) काफी कंपनियों ने 1992–93 में पूंजी बाजार से काफी राशि जुटाई है और उनके पास काफी बड़ी राशि की निधियां उपलब्ध हैं तथा उन्होंने अपने उधारों को बैंकों से कम किया है।

(5) कुछ बड़े सरकारी क्षेत्र के एककों ने, जो अधिकांशतः व्यापारिक कार्यकलाप में लगे हुए बैंकों से अपने उधारों को कम कर दिया है।

औद्योगिक रुग्णता तथा निगमित पुनर्गठन संबंधी समिति

250. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रुग्णता और निगमित पुनर्गठन संबंधी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) औद्योगिक रुग्णता तथा कार्पोरेट पुनर्संरचना पर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

भुगतान संतुलन की स्थिति

251. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से अक्तूबर, 1993 के बीच गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भुगतान संतुलन की स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस सुधार में व्यापार घाटे में बड़े पैमाने पर तेजी से कटौती किए जाने, बढ़ी हुई अदृश्य प्राप्तयों के संकेतों और पूंजी खाते के कतिपय संघटकों में पर्याप्त अन्तः प्रवाहों का योगदान रहा है। अप्रैल–अक्टूबर, 1993 की अवधि के भुगतान संतुलन के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अप्रैल–सितम्बर, 1993 की अवधि के लिए व्यापार पर डी.जी.सी.आई. एंड एस. के अनन्तिम आंकड़े बताते हैं कि निर्यातों में पिछले वर्ष की तदनरूप अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में अमरीकी डालरों के अनुसार 21.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर आयातों में अप्रैल–सितम्बर, 1992 की अवधि की अपेक्षा 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा, जो अप्रैल–सितम्बर, 1992 के दौरान 2622 मिलियन अमरीकी डालर था, वह तेजी से कम होकर अप्रैल–सितम्बर, 1993 के दौरान 440 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। जबकि अदृश्य खाते के ठोस आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की अपेक्षा निजी अन्तरणों के बड़े पैमाने पर अन्तः प्रवाहों के संकेत हैं। पूंजी खाते के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो विदेशी निवेशों का पर्याप्त अन्तः प्रवाह रहा है। पूंजी खाते के साथ-साथ चालू खाते में ये सभी तथा अन्य लेन–देनों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई है, जो 31 मार्च, 1993 को 6.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 31 अक्तूबर, 1993 को 7.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

(ग) भुगतान संतुलन पर लगातार निगरानी रखी जाती है और विदेशी भुगतान की स्थिति को स्थायी बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त उपायों में मुद्रास्फीति को निम्न स्तर पर बनाए रखने

के लिए और अधिक राजकोषीय समेकन किया जाना, प्रतिस्पर्धात्मक, विनिमय दर को बनाए रखना, निर्यात आधारभूत ढांचे को सुधारना, निर्धात–बाधाओं को, विशेष रूप से कृषि उत्पादों की बाधाओं का हटाना, व्यापार नीति और क्रियाविधियों को सरल बनाना, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करना, पूंजी के ऐसे अन्तः प्रवाहों को जो ऋण का सृजन न करें, प्रोत्साहित करना तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से अपवादात्मक वित्त पोषण को जुटाना शामिल है।

चाय का उत्पादन और नियति

252. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों द्वारा पृथक-पृथक कितनी चाय का उत्पादन किया जाता है और कितनी चाय का निर्यात किया जाता है तथा चाय का अद्यतन उत्पादन कितना होने का अनुमान है;

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान चाय उत्पादक और निर्यातक देश के रूप में भारत की स्थिति क्या रही है; और

(ग) सरकार और चाय उद्योग द्वारा चाय के उत्पादन में वृद्धि करने तथा विश्व बाजार में एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1992 के दौरान प्रमुख चाय उत्पादन तथा निर्यातक देशों के ब्यौरे के साथ चाय के विश्व उत्पादन तथा निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात 1990 से 1992 के दौरान विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 28 से 30 प्रतिशत रहा है और इस अवधि के दौरान विश्व निर्यात में भारतीय चाय का हिस्सा 17 से 19 प्रतिशत के बीच रहा है।

(ग) चाय बोर्ड ने 2000 ई॰ के अंत तक चाय उत्पादन को 1000 मिलियन किग्रा० तक बढ़ाने के लिए एक सापेक्ष महत्व की योजना बनाई है, ताकि हम विश्व चाय बाजार का एक बड़ा हिस्सा हथिया सके। इस योजना में निविष्टियों को इष्टतम बनाना तथा खेती के उन्नत तरीको जैसे अल्पावधि उपाय और सिंचाई, जल निकासी, नवीकरण, छंटाई तथा भराई जैसे मध्यम अवधि के उपायों के साथ-साथ पुनर्रोपण तथा रोपण प्रसार जैसे दीर्घावधि उपाय शामिल हैं। योजना में चाय कारखानों के आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त फसल के प्रसंस्करण के लिए नए कारखानों की स्थापना का भी प्रावधान है।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान चाय के विश्व उत्पादन और निर्यात को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े मि॰ किग्रा॰ में)

(अनुमानित)

1992

क्रम सं॰	देश	उत्पादन	निर्यात
1.	भारत	703.93	170.82
2.	श्रीलंका	178.87	177.80
3.	इन्डोनेसिया	136.43	121.24
4.	बंगलादेश	48.27	27.16
5.	चीन	530.00	175.52
6.	रूस और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल	55.00	–
7.	टर्की	135.00	5.05
8.	केन्या	188.07	166.52
9.	मलावी	28.14	37.98
10.	अर्जेन्टिना	44.00	38.91
11.	अन्य	341.39	66.00
	विश्व	2,389.10	987.00

परिपक्व बीमा पालिसियों का भुगतान

253. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई का वेतन बचत योजना, विभाग परिपक्व बीमा पालिसियों का लम्बे समय से भुगतान नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दो वर्षों से भी अधिक समय पहले परिपक्व हुई पालिसियों का अभ्यावेदन किये जाने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इनका शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं। पालिसीधारकों को डिस्चार्ज वाउचर सामान्यतः दो महीने पहले ही भेज दिए जाते हैं, ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का निपटान समय पर किया जा सके। तथापि, 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लगभग 52 पालिसीधारको को डिस्चार्ज वाउचर नहीं भेजे जा सके, क्योंकि जगह-जगह लगातार स्थानान्तरण होने के कारण उनके पते एकदम उपलब्ध नहीं थे। ऐसे मामलों में भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंधित कार्यालय पालिसीधारकों के नियोक्ताओं से उनके नवीनतम पते जानने के लिए अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं, ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम सभी संबद्ध दस्तावेजों को प्राप्त करके दावों का निपटान कर सके।

उपदान की सीमा

254. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों के लिए उत्पादन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसका वित्तीय राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस निर्णय को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे कितने श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शामिल किए गए शामिल करने योग्य कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने उपदान की धनराशि की अधिकतम सीमा को 50,000 रु० से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा नियमों के अधीन पहले ही एक लाख रुपए की अधिकतम राशि के उपदान की अदायगी के हकदार हैं। अतः उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत उपदान को अधिकतम राशि की सीमा बढ़ाने से संबंधित निर्णय से राजकोष पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित बढ़ोतरी के बारे में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उपदान संदाय अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करना अपेक्षित है। संसद में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक लाने से सम्बन्धित आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

निःशुल्क भंडागारों की स्थापना

255. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातोन्मुखी उत्पादन में संलग्न अन्तिम प्रयोगकर्ताओं के लिए कच्चे माल तथा संघटकों के भंडारण और बिक्री के लिए निःशुल्क भंडागारों की स्थापना करने हेतु निजी कंम्पनियों को अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस संबंध में औपचारिकताओं पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के पीछे क्या विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

स्मारकों का विकास

256. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने अपने राज्य में कम से कम एक ऐसे स्मारक का चयन करने के लिए कहा है, जिसे एक विश्व स्तर के पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ परामर्श करके स्मारकों की एक सूची बनाई गई है।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए
एशियाई विकास बैंक के लिए

257. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :
श्री एन.के. बालियान
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निर्धन और विकासशील देशों को ऋण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भी इस प्रयोजनार्थ ऋण हेतु एशियाई विकास बैंक से आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि की ऋण के लिए आवेदन किया गया है;

(घ) यह ऋण कब तक मिल जाएगा; और

(ङ) इस ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक ने क्या शर्तें रखी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार

258. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1993 में जाम्बिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा के समय स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) करार में सूचनाओं के आदान-प्रदान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय औषध गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों को पहचानने, समाप्त करने और रोकने के लिए उपाय करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों में कुपोषण और बीमारियां

259. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेंटर आफ कन्सर्न फार लेबर" ने असंगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों में कुपोषण तथा बढ़ती हुई बीमारियों के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। "सेंटर आफ कन्सर्न फार लेबर" द्वारा चार भिन्न-भिन्न अर्थात दिल्ली, भोपाल, सोनभद्र और अलीगढ़ में बाल श्रमिकों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला कि बाल श्रमिक सामान्यतया कुपोषण, दृष्टि संबंधी समस्याओं; थकान और भूख न लगने की बीमारियों से पीड़ित हैं।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति और केन्द्रीय सरकार की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत भी कामकाजी बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, कार्य से हटाए गए बालकों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस बात को महसूस करते हुए कि कार्य करते समय बालकों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इन सभी परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में बालकों के लिए पोषणाहार और स्वास्थ्य देख-रेख का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंक

260. **श्री प्रकाश वी. पाटील :**
श्री चित्त बसु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कई शाखाएं अलाभप्रद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंकवार ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी हैं; और

(ग) इन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 9336 शाखाओं (31.3.1992 की स्थिति के अनुसार) ने लाभ अर्जित नहीं किया है बैंकवार विवरण संलग्न है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें बैंकों की अलाभकारी शाखाओं को अन्य बैंकों के साथ अदला-बदली करने की अनुमति दी गई है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक उन शहरी, महानगरीय और ग्रामीण केन्द्रों में घाटा उठाने वाली शाखाओं को बंद करने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, जिन केन्द्रों में लाभ अर्जित करने वाली बैंक शाखाएं भी हैं।

विवरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2511
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	107

1	2	3
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	45
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	56
5.	स्टेट आफ मैसूर	147
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	29
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	22
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	38
9.	इलाहाबाद बैंक	159
10.	आन्ध्रा बैंक	102
11.	बैंक आफ बड़ौदा	418
12.	बैंक आफ इंडिया	276
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	587
14.	केनरा बैंक	99
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	833
16.	कारपोरेशन बैंक	106
17.	देना बैंक	92
18.	इंडियन बैंक	171
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	305
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	(0)
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	-
22.	पंजाब नेशनल बैंक	559
23.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	116
24.	सिंडिकेट बैंक	939

1	2	3
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	286
26.	यूको बैंक	739
27.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	304
28.	विजया बैंक	130
	कुल	9336

भारतीय चाय

261. **श्री पी.पी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पाकिस्तान में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चाय मेले में भाग लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान में भारतीय चाय की मांग है;

(घ) यदि हां, तो उस देश के बाजार में प्रवेश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पाकिस्तान टी एसोसिएशन ने चाय बोर्ड के अध्यक्ष को फरवरी, 1994 के दौरान पाकिस्तान में आयोजित किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अभी तक उक्त सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) तथा (घ) पाकिस्तान चाय का प्रमुख आयातक है और पाकिस्तान को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने की अच्छी संभावना है। पाकिस्तान को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय निर्यातकों से अनुरोध किया गया है कि वे पाकिस्तान में चाय के आयातकों से सम्पर्क स्थापित करें। महावाणिज्य दूतावास, करांची से प्राप्त पाकिस्तान के चाय आयातकों की एक सूची भारतीय चाय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में परिचालित कर दी गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व के प्रमुख देशों को भारतीय चाय का निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

भारत से चाय का निर्यात (अनन्तिम आंकड़े)

मात्रा : मि॰ किग्रा॰ में

मूल्य : करोड़ रुपयों में

देश	1990–91		1991–92		1992–93	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के देश	112.85	597.33	107.59	574.25	60.04	322.19
ब्रिटेन	21.85	113.42	24.16	135.51	27.39	156.47
नीदरलैंड	1.54	10.79	4.65	24.90	3.15	22.82
आयरलैंड	1.97	10.21	2.64	15.85	2.37	14.76
जर्मनी	4.23	41.18	5.15	60.09	5.67	60.87
पोलैंड	9.08	40.79	11.62	46.17	15.97	71.04
सयुंक्त राज्य अमेरिका	1.48	8.39	3.17	20.72	4.10	31.40
कनाडा	0.60	2.52	0.47	3.52	0.86	5.09
संयुक्त अरब अमीरात	5.56	30.24	6.94	46.32	5.30	39.28
ईरान	11.05	62.89	17.56	105.66	17.91	94.27
सउदी अरब	4.36	27.80	3.91	27.94	4.30	34.50
ए आर ई	7.78	31.99	8.12	36.62	12.54	54.14
मोरक्को	–	–	0.80	3.24	0.54	3.75

1	2	3	4	5	6	7
अफगानिस्तान	0.74	2.13	1.93	9.28	0.67	2.74
जापान	2.65	22.15	1.82	19.43	2.74	28.10
पाकिस्तान	0.25	0.97	0.40	1.63	1.83	7.10
आस्ट्रेलिया	0.45	2.12	0.82	3.84	0.88	3.55
अन्य	11.81	66.18	14.70	77.30	11.83	41.33
कुल योग	198.25	1071.10	216.45	1212.27	177.89	993.40

एयर इंडिया

262. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने कंपनियों के रजिस्ट्रार को एक नई कंपनी यानी एयर इंडिया लिमिटेड के गठन के लिए 80 लाख रुपया का भुगतान किया था;

(ख) क्या कंपनी के अस्तित्व में आने से अत्यधिक विलम्ब होने के कारण उसे ब्याज के रूप में एक बड़ी राशि की हानि हुई है, जैसा कि 3 सितम्बर, 1993 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई कंपनी की शीघ्र स्थापना करने के लिए तथा एयर इंडिया की धनराशि को अवांछनीय तरीके से रोके रखने के दायित्व का निर्धारण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) अदा की गई फीस, कंपनियों के पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार ही है। चूंकि निगमन का प्रयोजन एक ऐसी कंपनी का सृजन करना था, जो वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरस्त हो जाने पर एयर इंडिया के उपक्रम को अपने पास ले ले। घाटा मात्र काल्पनिक (नोशनल) ही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों की स्थापना

263. **श्री राजवीर सिंह :**
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से 1992-93 के दौरान राज्य में वर्तमान केन्द्रों के विकास तथा कुछ और पर्यटक केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ग) किन-किन जिलों में ये पर्यटक केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) इनमें से प्रत्येक पर्यटक केन्द्र के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इन केन्द्रों के कार्य को पूरा करने हेतु कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पूरे 8 प्रस्ताव भेजे हैं, जो केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने स्वीकृत कर दिए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूर किया था :

(क) नंदप्रयाग, अगस्त मुनि और हेलांग में पर्यटक सुविधाएं।

(ख) हरिद्वार में यात्री शेड।

(ग) हरिद्वार में जल सुविधाएं।

(घ) वृंदावन में केशी घाट का सुधार।

(ङ) फतेहपुर सीकरी पर प्रकाशपुंज व्यवस्था और ताज महोत्सव और नादघाट उत्सव के लिए वित्तीय सहायता।

राज्य सरकार को इस परियोजनाओं के लिए 97.34 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। परियोजना को पूरा करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

वैष्णो देवी को जाने वाले तीर्थयात्री

264. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बीमा योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात विकास बाण्ड

265. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात विकास बाण्ड शुरू करने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम को समाविष्ट करने के लिए भारत सरकार पर निर्भर रहते हुए नवम्बर, 1992 में सरदार सरोवर परियोजना के वित्तपोषण हेतु बांड जारी करने का प्रस्ताव किया था। तथापि, बाद में उक्त प्रस्ताव को देशीय पब्लिक इशू के रूप में संशोधित कर दिया गया था और उक्त इशू अभी हाल ही में पूर्ण हुआ है।

[हिन्दी]

ज्यादा उड़ो मुफ्त उड़ो योजना

266. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार "ज्यादा उड़े मुफ्त उड़े" योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किस तिथि से लागू होगी; और

(घ) इस योजना के आरम्भ करने के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने "ज्यादा उड़ो और मुफ्त उड़ो" नामक एक अल्पकालिक बिक्री संवर्धन योजना शुरू की है।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत, 1.11.93 से 31.1.94 तक की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के किन्हीं 18 अन्तर्देशीय सेक्टरों पर सम्पूर्ण रुपए/डालर किराए पर यात्रा करने वाले किसी वयस्क यात्री को किसी एक अन्तर्देशीय सेक्टर पर एक राऊंड–ट्रिप टिकट मुफ्त जारी करने का प्रावधान है।

(घ) इस योजना का आशय एयरलाइन के प्रति निष्ठा को बढ़ाकर प्रतियोगी बाजार में यातायात को बनाए रखना है, इस योजना से किसी सीधे लाभ की परिकल्पना नहीं की गई है।

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीय सहायता

267. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने योजनागत ऋण के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पुनर्वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि वितरित की है; और

(ख) उस पर ब्याज दर कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

म्यांमार के साथ व्यापार

268. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने म्यांमार के साथ आयात–निर्यात संबंधी कोई कार्य–योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जिनका म्यांमार के साथ आयात–निर्यात किया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान इस व्यापार में किन–किन वस्तुओं को सम्मिलित करने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष म्यांमार के साथ कितना व्यापार हुआ है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत सरकार ने म्यांमार के साथ आयात तथा निर्यात के लिए कोई विशेष कार्य योजना नहीं बनाई है। किन्तु, भारत का म्यांमार

के साथ एक व्यापारिक करार है, जिस पर मार्च 1970 में हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उनके पारस्परिक लाभ के लिए परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने का प्रावधान है, जो गाट तथा अंकटाड के अन्तर्गत उनके अधिकारों तथा प्रतिबद्धताओं के अध्यधीन होगा।

(ख) म्यांमार को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं लोहे तथा इस्पात के सरिया तथा छड़ें मूल तथा अर्ध परिष्कृत लौह तथा इस्पात, पटसन विनिर्माण तथा विविध संसाधित मदें हैं, म्यांमार, से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद और दालें हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, म्यांमार के साथ निर्यात तथा आयात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	निर्यात	आयात	योग
1989–90	0.80	50.36	51.16
1990–91	1.87	85.53	87.40
1991–92	3.81	50.92	54.73

[अनुवाद]

सिगरेटों का निर्यात

269. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजार में भारतीय सिगरेटों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992–93 के दौरान कितनी सिगरेटों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ग) सिगरेटों सहित तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। वर्ष 1991–92 की तुलना में 1992–93 में वृद्धि हुई।

(ख) मात्रा.....2644 टन

मूल्य.....39.72 करोड़ रु.

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :–

- एफ.सी.बी. तम्बाकू और उसके उत्पादों के बाजारों का पता लगाने के लिए व्यापारिक शिष्टमंडल भेजना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- विदेशी बाजारों में प्रचार करना।
- भारतीय तम्बाकू–उत्पादों का आयात करने के लिए संयुक्त बैठकों आदि के माध्यम से सरकारों के साथ बातचीत करना।
- सिगरेट और कटे हुए तम्बाकू के निर्यात के लिए निर्यातोन्मुख यूनिटों को प्रोत्साहन देना।
- सिगरेट उद्योग मुख्य रूप से सिगरेटों और मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यातों के लिए विदेशी विनियोजन की अनुमति देना।
- उत्पाद–विकास संबंधी कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से सिगरेट के विनिर्माताओं को विभिन्न मदों का आयात करने की अनुमति देना।
- बीड़ी, हुक्का तम्बाकू पेस्ट जैसे उत्पादों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग की सहायता से पैकेजिंग विकास शुरू करना।

विमानन क्षेत्र

270. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम जवाहर इन्टरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेशनल फैसिलिएशन फार पैसिफिक पर इसकी बुनियादी सुविधायें विकसित करने के लिए विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश आमन्त्रित किया है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से पर्याप्त पर्यटन संभावनाओं के कारण और गत दो वर्षों के दौरान उदारीकरण आरम्भ किए जाने के कारण आकर्षित लाभों का प्रस्ताव भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो विमानपत्तनों के प्रवेश क्षेत्र कम करने संबंधी बैठक में किन–किन देशों ने भाग लिया था और इस संबंध में उनके सुझावों तथा प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लुक्सान चाय बागान की दशा

271. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड के प्रबंध वाले लुक्सान चाय बागान की दशा अत्यंत शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उसकी दशा सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तम्बाकू कम्पनियों से उत्पाद शुल्क की वसूली

274. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू कम्पनियों से कितना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूल किया गया;

(ख) शुल्क न देने वाली कम्पनियों तथा ऐसी प्रत्येक कम्पनी पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया धनराशि वसूल करने के लिए शुल्क न देने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कड़े उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी विनिर्माताओं सहित तम्बाकू कम्पनियों से वसूल किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि निम्नानुसार है :–

1990–91	2342.60 करोड़ रु.
1991–92	2690.81 करोड़ रु.
1992–93	3104.84 करोड़ रु. (अनन्तिम)

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाती है। तथापि, ऐसे प्रयोजनों के लिए समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों का कर्मचारी भविष्य निधि

275. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के सभी बीड़ी मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत लाने के लिए शुरू किया गया कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने मजदूर लाभान्वित होंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) कारखानों/प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और उनके कर्मकारों का भविष्य निधि अंशदाताओं के रूप में नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। 1.4.1993 से लगभग 260 निरीक्षण/सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं और 8 नये प्रतिष्ठानों और 16000 कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की परिधि के अंतर्गत लाया जा चुका है।

[अनुवाद]

होटल क्षेत्र में विनिवेश

276. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल क्षेत्र में विनिवेश करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि वसूल होगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर भागीदारी के संबंध में विश्व बैंक के सुझाव

277. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार की राज्यों के साथ कर भागीदारी के संबंध में कुछ उपाय करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक

278. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडये :**
श्री ब्रहमानन्द मंडल :
श्री शंकर सिंह बाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कुछ संगठनों/दलों के विचार भी ले लिए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग), (घ) और (ङ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के पुनर्गठन के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन आर बी आई) की स्थापना के प्रस्ताव सहित कई वैकल्पिक माडलों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के परामर्श से विचार किया गया है। संसद सदस्यों और आर.आर.बी. कर्मचारियों के संघों इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। वित्त मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों की राय जानने के लिए दिनांक 7.10.93 को उनके साथ एक बैठक आयोजित की थी। उनके द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण सुझावों की सरकार सक्रिय रूप से जांच कर रही है। तथापि, अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फूलों का निर्यात

279. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश से देशवार कितनी में और कितने मूल्य के फूलों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या फूलों के संरक्षण में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग न करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है, और

(ग) यदि हां, तो पारगमन के दौरान फूलों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, ताकि अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 के दौरान निर्यात किए गए पुष्पोत्पादन उत्पादों का मूल्य नीचे दिया गया है :

	लाख रु.
1991–92	1480
1992–93	1320

वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 के दौरान निर्यात किए गए पुष्पोत्पादन उत्पाद की कुल मात्रा तथा 1992–93 के दौरान देशवार निर्यातों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1991–92 के दौरान देशवार निर्यात किए गए फूलों के आंकड़े "मन्थली स्टैटिसटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया" (वार्षिक अंक 1991–92) में दिए गए हैं। यह प्रकाशन संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) योजना आयोग द्वारा मई 1992 में प्रकाशित "कृषि वस्तुओं तथा संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए अवस्थापना संबंधी रिपोर्ट में अभिज्ञात किया गया है कि प्रशीतित परिवहन भण्डारण तथा पैकिंग के क्षेत्रों में फसल पश्चात पर्याप्त अवस्थापना की कमी को पुष्पोत्पादन उद्योग पर आधारित निर्यात को बढ़ाने में एक प्रमुख बाधा है।

(ग) फसल पश्चात अवस्थापना के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामान तथा निविष्टियों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुष्पों के निर्यातक अब उनका रियायती दरों पर आयात करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, सरकार प्रशीतन पूर्व सुविधाओं ओर प्रशीतन गृहों के लिए सुविधाएं जुटाने के साथ–साथ प्रसीतित/उष्मारोधी वाहनों को सुविधा प्रदान करके पुष्पोत्पादन परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चलते–फिरते प्रशीतन भण्डारों की स्थापना भी की गई है।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र की कार्य करने की स्थिति

280. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा संगठित क्षेत्र के कार्य करने की स्थिति में सुधार करने के लिए नियुक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन सिफारिशों को विशेष रूप से बीड़ी मजदूरों के संबंध में लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) बीड़ी, खान तथा सिने कर्मकारों के लिए गठित कल्याण निधियों के तहत विद्यमान कल्याण योजनाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए अपनी सिफारिश देने के लिए कृत्यक बल की नियुक्ति की गयी थी।

(ख) कृत्यक बल की मुख्य सिफारिशें कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत, शामिल श्रमिकों की अधिकतम आय, सीमा बढ़ाने आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सहायता राशि, छात्रवृत्ति सहायता, स्वास्थ्य योजनाओं और खेल-कूद तथा मनोरंजन संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत सहायता राशि की सीमा बढ़ाने से संबंधित हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि आय की अधिकतम सीमा बढ़ा दी जाए और छात्रवृत्ति योजनाओं, आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सहायता राशि की सीमा बढ़ा दी जाए और श्रम कल्याण संगठनों द्वारा चलाए जा रहे औषधालयों में दवाइयों पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ा दी जाए।

समुद्र तटवर्ती सैरगाह काम्प्लेक्स/सुविधा सम्पन्न होटलों का निर्माण

281. **डा. कृपा सिन्धु भोई** :
श्री के. प्रधानी :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को पुरी–कोणार्क समुद्र तट रेखा पर कुछ समुद्र तटवर्ती सैरगाह काम्प्लेक्सों/सुविधा सम्पन्न होटलों का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या उड़ीसा में इस प्रयोजन हेतु कुछ अन्य समुद्र तटों की पहचान भी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार, पुरी–कोणार्क समुद्रतट क्षेत्र को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए सिद्धान्त रूप में मान गई है। पुरी–कोणार्क क्षेत्र को विशेष पर्यटन तट घोषित करने के संबंध में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन 14 दिसम्बर 1992 को राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रम अधिनियम को लागू करना

282. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को प्रभावशाली ढंग से नहीं लागू कर रही है; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को सभी राज्यों में प्रभावशाली ढंग से लागू कराने के बारे में सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) बाल श्रम (उत्पादन तथा विनियमन) अधिनिमय, 1986 के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। सरकार को यह जानकारी है कि प्रवर्तन गुणवत्ता में सुधार की सम्भावना विद्यमान है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को समय–समय पर प्रवर्तन संबंधी सूचना त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है। बाल श्रम संबंधी कानूनों के प्रवर्तन के संबंध में राज्य सरकारों के साथ पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस मामले पर 8.7.93 को श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार–विमर्श किया गया था। बेहतर प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को आवधिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

283. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं और ये बैंक कहां–कहां खोले गए हैं ;

(ख) इन बैंकों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान इन उद्देश्यों को कितना पूरा करा लिया गया है;

(ग) क्या इन बैंकों से कुछ बैंक गहरे वित्तीय संकट में हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जिनकी कुल शाखाओं की संख्या 819 है। इनके मुख्यालय पिपली, बोलनगीर, कटक, कोरापुट, भवानीपटना, बारीपाड़ा, बालासोर, बरहामपुर और धेनकनाल में स्थित है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

(1) बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता तक विशेष रूप से अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों में ले जाना;

(2) समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना;

(3) ग्रामीण बचतें जुटाना और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों की सहायता के लिए उपलब्ध कराना;

(4) पुनर्वित्त के जरिए केंद्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के लिए पूरक माध्यम उपलब्ध कराना;

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना; और

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की लागत को कम करना।

मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 18.32 लाख खातों में 28522 लाख रुपए जुटाए गए थे। इन बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता की राशि 10.54 लाख खातों में 23928 लाख रुपए (बकाया) थी। मार्च 1993 में समाप्त वर्ष के दौरान उन्होंने कमजोर वर्गों के 75189 हिताधिकारियों को 3258 लाख रु. संवितरित किए थे। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता तक ले जाने, उन्हें संस्थागत ऋण सहायता उपलब्ध कराने और अब तक उपर्युक्त ग्रामीण बचतों को जुटाने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

(ग) कमजोर वर्गों तक पहुंचने और मोटे तौर पर सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय घाटा हुआ है। वर्ष 1992–93 के दौरान उड़ीसा के सभी बैंकों ने 2690 लाख रुपए का घाटा उठाया और मार्च 1993 के अन्त तक उनकी कुल संचित हानि 8300 लाख रुपए थी। नौ बैंकों में से आठ ने अपनी शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि पूरी तरह समाप्त कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप चल निधि की समस्या उत्पन्न हुई और उसके परिणामस्वरूप उधार देने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर वसूली कार्यनिष्पादन ने चल निधि की समस्या को और बढ़ा दिया।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के घाटे के कई कारण हैं जैसे कि ग्राहकों का चयन, प्रचालन का सीमित क्षेत्र, न्यून ब्याज मार्जिन, बढ़ी हुई स्थापना लागत विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के लागू होने के बाद आदि।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :–

(1) सितम्बर 1992 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नए ऋणों के 40 प्रतिशत से अनधिक तक, गैर लक्ष्यगत उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने की अनुमति दी गई है।

(2) सभी प्रायोजक बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एस एल आर साविधि जमाराशियों और अल्पावधिक जमाराशियों पर 13.5 प्रतिशत ब्याज प्रदान करें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि अप्रैल 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गए चालू खाता शेष पर ब्याज दर को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दें।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 15 लाख रुपए से अनधिक की परिव्यय वांले उनके लघु और अति लघु औद्योगिक एककों के लिए 10 लाख रुपए तक की शत प्रतिशत पुनर्वित्त प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

(5) छोटे सड़क परिवहन चालकों के वित्तपोषण के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध है।

[हिन्दी]

काला धन

284. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क़ाले धन का परिचालन रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या सराकर का विचार काले धन में वृद्धि रोकने हेतु और सख्त प्रशासनिक, कानूनी तथा वित्तीय उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) कर–अपवंचन और काले धन में वृद्धि को रोकना एक सतत प्रक्रिया है, सरकार काला धन इकट्ठा करने और इसमें वृद्धि को रोकने के लिए समय–समय पर, जैसा भी उचित समझे, आवश्यक विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती है। आयकर अधिनियम, 1961 में काले धन में वृद्धि को रोकने के लिए कई प्रावधान विद्यमान हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, धारा 44 ए ए और 44 ए बी के अंतर्गत

उपयुक्त मामलों में लेखों को अनिवार्य रूप से रखना और उनकी लेखा परीक्षा, धारा 40 ए (3) 269 एस एस और 269 टी के अंतर्गत रोकड़ की लेन-देन पर प्रतिबंध, अध्याय सी के अन्तर्गत संपत्ति की पहले से अधिकृत खरीद और कर–अपवचकों को दंडित करने के लिए जुर्माना करने और उन पर मुकदमा चलाने सबंधी प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में कर–अपवंचन का पता लगाने हेतु सम्मन जारी करना, सर्वेक्षण, तलाशियां और अन्य किस्म की जांच–पड़ताल करने के बारे में भी प्रावधान हैं।

2. पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा तलाशियों सर्वेक्षणों और अभियोजनों के द्वारा प्राप्त परिणामों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

वित्तीय वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रु. में)	अभ्यर्पित छिपाई गई आय की राशि (करोड रु. में)
1991–92	3468	179.85	188.35
1992–93	4777	384.02	501.05

सर्वेक्षण

वित्तीय वर्ष	सर्वेक्षण किए गए प्रतिष्ठानों की सं.	शामिल किए गए नए कर दाताओं की संख्या
1991–92	9,98,176	4,75,487
1992–93	10,94,397	9,03,106

अभियोजन

वित्तीय वर्ष	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णीत मामलों की संख्या	अपराध सिद्ध हुए मामलों की संख्या	समझौता किए गए मामलों की संख्या	दोष मुक्त मामलों की संख्या
1991–92	2,448	487	165	153	169
1992–93	675	949	94	176	679

[अनुवाद]

वित्तीय घाटा

285. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बी. एन. रेड्डी :
श्री जीवन शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के तेजी से बढ़ते हुए बजट घाटे का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में वित्तीय घाटा कितना है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों के दौरान बजट घाटे तथा वित्तीय घाटे को कम करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1992–93 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में "निर्धारण और संभावनाएं" पर एक अध्याय शामिल है, जो अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटों में वृद्धि की चर्चा करता है। इस रिपोर्ट की प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माननीय संसद सदस्यों के उपयोग के लिए पहले ही भेजी जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1993–94 के बजट अनुमान में 36959 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। सितम्बर, 1993 के अंत तक यह आंकड़ा 29,832 करोड रुपए था। प्राप्तियों और व्यय के बीच कोई समकालिकता नहीं है। वर्ष के प्रारंभिक महीनों में व्यय और प्राप्तियों के बीच अन्तर अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय वर्ष के अंत में जब प्राप्तियां सामान्यतया बढ़ जाती है, घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए किसी समय विशेष के बिंदु पर घाटा वर्ष के अंत में होने वाले घाटे का निश्चित सूचक नहीं है। तथापि सरकार घाटे की स्थिति का निरन्तर अनुवीक्षण कर रही है। वर्ष 1993–94 के संशोधित अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें वर्ष 1994–95 के बजट अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

विमान चालकों द्वारा करों का भुगतान न करना

286. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1993 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों द्वारा आयकर का भुगतान न करने से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में बकाये कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के प्रबंध को विद्यमान कानूनों के उपबंधों के अनुसार भत्तों की कराधेयता के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि करों की कटौती करके सरकार को इसकी अदायगी करें। प्रबंध से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह पिछले वर्षों के भत्तों पर देय कर की वसूली भी करें। संबंधित आयकर आयुक्तों को उपयुक्त ढंग से कहा गया है कि वे कर–वसूली हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करें।

ब्याज भुगतान दायित्व

287. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर ब्याज भुगतान के अत्यधिक बढ़ते दायित्व का योजना बजट पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका बारीकी से अध्ययन करने हेतु उनके मंत्रालय के अन्तर्गत किसी कार्यबल की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) ब्याज संदाय दायित्व में वृद्धि उधारों में वृद्धि के कारण हैं, जिसे वर्षों से बढ़ते हुए व्यय के वित्त पोषण के लिए लिया गया था। इसलिए आयोजना व्यय और ब्याज संबंधी बोझ के बीच संबंध है।

(ख) और (ग) सरकार ने वित्त संबंधी मामलों पर संसद की स्थाई समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अध्ययन करने और सरकार को सलाह देने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा है।

गेट के महानिदेशक की भारत यात्रा

288. **श्री चित्त बसु :**
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैट के महानिदेशक ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) महानिदेशक गाट ने वाणिज्य मंत्री के आमंत्रण पर उरुग्वे दौर के मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए अक्तूबर, 1993 में भारत का दौरा किया।

महानिदेशक गाट ने अन्य बातों के साथ–साथ स्पष्ट किया कि कृषि संबंधी मसौदा–करार के अनुसार भारत इस बात के लिए बाध्य नहीं होगा कि :–

(क) कृषि के लिए इमदादों में कमी करने के लिए प्रतिबद्धता हेतु क्योंकि यह 10 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से कम थी;

(ख) कृषि उपज के लिए न्यूनतम बाजार पहुंच प्रदान करने हेतु, क्योंकि भारत भुगतान संतुलन कारणों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध कायम रखे हुए था और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपभोक्ता रियायतें मसौदा–करार में निर्धारित प्रतिबंधों के क्षेत्र से बाहर हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

महानिदेशक गाट ने यह भी स्पष्ट किया कि पौध किस्म संरक्षण की एक प्रभावकारी अद्वितीय प्रणाली से भावी फसलों में रोपण के लिए एक फसल से बचाए गए संरक्षित बीज के उपयोग के संबंध में तथा गैर–वाणिज्यिक आधार पर अन्य किसानों के साथ पारस्परिक आदान–प्रदान से संबंधित किसानों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

अन्य क्षेत्रों में भारत की चिन्ताओं के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में औषधियों की अधिक कीमत को नियंत्रित करने के लिए कीमत नियंत्रण उपाय और आवश्यक लाइसेंसिंग उपाय उपलब्ध रहेंगे। वस्त्र के क्षेत्र में उन्होंने संकेत दिया कि हालांकि इस विषय पर मूलपाठ में फिर से परिवर्तन करना मुश्किल होगा, फिर भी भारत द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विकसित देशों के साथ अपनी बाजार पहुंच को सुधार सकता है।

महानिदेशक गाट को यह बता दिया गया था कि हालांकि भारत उरुग्वे दौर के शीघ्र और सफल समापन के लिए समर्थन करता है, लेकिन भारत की वास्तविक चिन्ताओं का ध्यान रखने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा।

पत्तन परिषद की बैठक

289. **श्री रवि राय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन परिषद की तीसरी बैठक 9 नवम्बर, 1993 को नई दिल्ली में पहली बार हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानन उद्योग में तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों का देखते हुए सम्मेलन में क्या–क्या निर्णय लिए गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) वर्ल्ड एसेम्बली एण्ड कान्फ्रेंस आफ एयरपोर्ट काउंसिल इन्टरनेशनल की बैठक 9 और 10 नवम्बर, 1993 को नई दिल्ली में हुई थी। कान्फ्रेंस का उद्देश्य "एयरपोर्ट इकानोमिक्स इन दी टरबूलेंट 1990 एण्ड बीयोन्ड" था। एशिया प्रशान्त क्षेत्र में विश्व औसत वृद्धि से अधिक और संगत विस्तार कार्यक्रम तथा एयरपोर्ट के लिए वित्त व्यवस्था अन्य प्रमुख विषय थे, जिन पर कान्फ्रेंस में चर्चा और बहस हुई । जनेवा में स्थित ए.सी.आई. मुख्यालय द्वारा यथा समय कान्फ्रेंस के निष्कर्षों को प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

विमान यातायात में वृद्धि

290. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमान यातायात में वृद्धि के संबंध में अध्ययन करने हेतु एक अन्तर–मंत्रालय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषयों सहित इसके गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिए जाने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 2000 तक, अंतर्देशीय हवाई यात्री यातायात में वृद्धि का यथार्थ अनुमान लगाने की दृष्टि से एक समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है :–

1. श्री वी.ए. वलिअपारामोइल, – अध्यक्ष
   सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग
2. श्री ए.के. गुप्ता, – सदस्य
   संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग
3. श्री पी.के. बैनर्जी, – सदस्य
   संयुक्त सचिव, नागर विमानन विभाग
4. श्री अशोक वैश्य, – सदस्य
   निदेशक (योजना), एयर इंडिया

5. श्री जी.के. अग्रवाल, – सदस्य/सचिव
निदेशक (योजना), इंडियन एयरलांइस

समिति से आशा की जाती है कि वह इस वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

निर्यात संवर्धन क्षेत्र

291. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं से मुक्त करने का निर्णय किया है ताकि वे देश के निर्यात के प्रयासों में अपना पूरा योगदान दे सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) समय–समय पर प्राप्त सुझावों के आधार पर, निर्यात संसाधन क्षेत्रों के संबंध में प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा की जाती है। इस बारे में किए गए कुछ परिवर्तनों में तेजी से अनुमोदन प्रदान करना, निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करना, तथा निर्यात, आयात सीमाशुल्क और आबकारी प्रक्रियाओं का सरल बनाना शामिल हैं। चूंकि निर्यात संसाधन जोन सीमाशुल्क प्रतिभूति के तहत कार्य करेंगे, इसलिए प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण से आयतित पूंजीगत सामान तथा कच्चे माल का दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है।

परियोजना और सेवा निर्यात

292. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर कानून के प्रावधानों को कुछ अस्पष्टताओं के कारण निर्यात में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परियोजना निर्यात तथा सेवा निर्यात को व्यापार निर्यात के बराबर मनाने तथा इससे होने वाली आय पर 100 प्रतिशत कर छूट प्रदान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल–अक्तूबर 1993 के दौरान अमरीकी डालर के रूप में निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 1993–94 के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य लगभग 20 प्रतिशत था।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय पुनर्संरचना

293. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कर प्रणाली सहित प्रबल वित्तीय पुनर्संरचना की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) सरकार ने पहल–क्षमता और उद्यमशीलता के पूर्ण विकास में सहायता करने; पूंजी, भूमि और श्रम की उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि करने तथा आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वित्तीय, राजकोषीय और अन्य आर्थिक सुधारों को जारी रखे जाने का दृढ़ संकल्प किया है।

(ख) से (घ) वित्तीय क्षेत्र की पुनर्संरचना करने के लिए अनेक सुधार उपाय पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक सुधारों संबंधी परिचर्चा पत्र में वित्तीय क्षेत्र में और सुधारों के लिए आगामी 3 वर्षों के वास्ते दिशा–निर्देशों की रूपरेखा बनाई गई है, इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(क) तीव्र एवं कारगर ऋण वसूली प्रक्रिया की शुरुआत, (ख) सांविधिक नकदी अनुपात में 25 प्रतिशत और नकदी प्रारक्षित अनुपात में 10 प्रतिशत की चरणबद्ध कमी, (ग) बैंक जमा राशियों और ऋण दरों की उच्चतम और निम्नतम सीमा में चरणबद्ध कमी, (घ) संस्थाओं और बैंक पर्यवेक्षण के लिए प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण।

बीमा क्षेत्र में सुधारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक भूतपूर्व गवर्नर श्री आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की जा रही है। सरकार ने हमारे देश की कर प्रणाली में सुधारों से संबंधित कर सुधार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के व्यापक महत्व को पहले ही स्वीकार किया है। इन सिफारिशों के आधार पर वैयक्तिक आयकर, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत एवं सरल बनाया गया है। कर प्रणाली में आगे सुधार उभरती हुई स्थितियों को ध्यान में रख कर किए जाएंगे।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित मानदण्ड

294. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में वित्तीय संस्थाओं के समुचित कार्यकरण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन मानदण्डों के विरुद्ध वित्तीय संस्थाओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय सस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण लेखा मानदण्ड भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं। अलबत्ता, इन मानदण्डों को अन्तिम रूप देते समय इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

उडीसा में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राहत

295. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उडीसा में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत कितने किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिला है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी राहत राशि उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उडीसा राज्य में 18.37 लाख कृषकों और भूमिहीन किसानों को 338.75 करोड़ रुपए का ऋण राहत प्रदान किया है।

कुओं की खुदाई के लिए ऋण

295. **श्री राम नाइक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुओं की खुदाई के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए जा रहे ऋण की अधिकतम और न्यूनतम राशि के लिए दिशा–निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या दरों की सूची 1983–84 में स्वीकृत की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान लागत दर पर सूची को संशोधित करने का है;

(घ) क्या कुएं का आकार उस कुएं द्वारा सिंचित क्षेत्र के अनुसार अलग–अलग होता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुएं के आकार तथा इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र के अनुसार ऋण की राशि में अन्तर रखने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने समय-समय पर कुओं के निर्माण की इकाई लागत का निर्धारण/संशोधन किया है। लघु सिंचाई निवेश के लिए इकाई लागत का निर्धारण संशोधन करते समय दरों की अद्यतन उपलब्ध अनुसूची को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक राज्य में नाबार्ड द्वारा गठित राज्य स्तरीय इकाई लागत समिति इन पहलुओं का ध्यान रखती है। कुओं का आकार और इकाई लागत सिंचाई के लिए प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र और अनुमोदित कुएं के डिजाइन के अनुसार अलग–अलग होती है।

गुजरात में किसानों को ऋण

297 **श्री हरि सिंह चावडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1992–93 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या किसानों को समय पर ऋण लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) सूचना विभिन्न बैंकों से प्राप्त की जा रही है और यथा–उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) किसानों, विशेषतया लघु और सीमांतक किसानों को ऋण के प्रवाह को बढाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण ये हैं :

(i) बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 25000 रुपये की ऋण सीमा तक के सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अंदर और 25000 रुपये से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाया जाए।

(ii) आवेदनों के तीव्र निपटान को सुगम बनाने के लिए आवेदन क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराये गए हैं। मार्जिन/जमानत के बारे में शर्तों को आवेदन फार्म के दूसरी ओर छापा गया है।

(iii) उच्च प्राधिकारियों को संदर्भ भेजे बिना कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने की विवेकाधीन शक्तियां बैंकों के सभी शाखा प्रबंधकों को दी गई हैं।

(iv) यदि ऋण के संवितरण में देरी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंक

298. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई और चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली जाने वाली सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : 1991–92 और 1992–93 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1990–95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाएं खोलने के लिए वर्षवार और राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। शाखा खोलना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें आबंटित केन्द्रों पर वे 1990–95 के दौरान चरणबद्ध ढंग से शाखाएं खोलें।

विवरण

राज्य का नाम	1991–92 अप्रैल–मार्च	1992–93 अप्रैल–मार्च
1	2	3
अंडमान निकोबार	3	–
आन्ध्र प्रदेश	2	17
असम	3	–
गुजरात	1	19
महाराष्ट्र	5	8
मणिपुर	1	–
पंजाब	1	3
तमिलनाडु	2	7
उत्तर प्रदेश	8	21

1	2	3
बिहार	3	6
हरियाणा	1	10
हिमाचल प्रदेश	2	11
जम्मू एवं कश्मीर	1	2
कर्नाटक	5	2
केरल	2	2
मध्य प्रदेश	6	8
मेघालय	9	2
मिजोरम	2	1
उड़ीसा	7	6
राजस्थान	2	9
सिक्किम	1	7
पश्चिम बंगाल	1	8
त्रिपुरा	1	–
जोड़	69	149

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देय धनराशि

299. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देय धनराशि के रूप में अनेक नियोजकों पर भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन नियोजकों से बकाया धनराशि वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न नियोक्ताओं पर कर्मचारी राज्य बीमा की 178.56 करोड़ रुपए की देय राशि बकाया थी। कर्मचारी राज्य बीमा को देयराशि में सामान्यतः उनकी वसूली के बारे में अदालत का स्थगन आदेश, प्रतिष्ठान के समापन/बन्द होने, प्रतिष्ठान की रुग्णता एवं जिला कलक्टरों के माध्यम से देयराशि के संग्रहण में विलम्ब होने के कारण वृद्धि हुई है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में 1989 में संशोधन किया गया था और कर्मचारी राज्य बीमा की देयराशियों की शीघ्र वसूली के लिए निगम का अपना राजस्व वसूली तंत्र गठित करने का प्रावधान किया गया था। इस तंत्र ने 1.1.1992 से अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। अधिनियम के कानूनी एवं दाण्डिक प्रावधानों को भी और अधिक कड़ा कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख की भारत यात्रा

300. **डा. रवि मल्लू** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और सरकार तथा अन्य निकायों के साथ विस्तृत बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 6 से 12 दिसम्बर, 1993 तक भारत के दौरे का कार्यक्रम है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का आयात

301. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तम्बाकू का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के तम्बाकू का प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात किए गए विभिन्न प्रकार के तम्बाकू की कुल मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा.)
1990–91	107850
1991–92	130355
1992–93	123189

प्रशिक्षित विमान-चालकों को रोजगार

302. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खुले आकाश की नीति अपनाये जाने के बावजूद हाल के वर्षों में प्रशिक्षित विमान-चालकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान क्या आकलन किया है; और

(ग) इस क्षेत्र में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय विमान चालकों को लाइसेंस और रेटिंग जारी करता है। गत दो वर्षों की अवधि के दौरान विमान चालकों को 890 वाणिज्यिक लाइसेंस जारी किए गए। नागर विमानन महानिदेशालय उनके रोजगार का रिकार्ड नहीं रखता है। विमान चालकों की नियुक्ति विमान चालकों की सेवाओं की मांग के साथ जुड़ी होती है। देश में सेवाओं का प्रचालन करने के लिए 17 एयर टैक्सी प्रचालकों के परमिट दिए गए हैं। उन्हें और एयरलाइनों की सेवाओं के प्रचालन के लिए विमान चालकों की सेवाओं की आवश्यकता होती है।

भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान

303 **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोट्टायम स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक सुविख्यात संस्थान है। अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान एवं विकास बोर्ड ने आर.आर.आई.आई. को रबड़ का टैपिंग पेनल ड्राइनैस, जो आठ दशकों के अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बावजूद एक अनसुलझी बीमारी है, से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम को समन्वित करने का कार्य सौंपा है। यह संस्थान इस पहलू पर विभिन्न क्लोनों के विकास हेतु जीनिटिक इंजीनियरी सहित विभिन्न अध्ययन कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान और विकास स्कीम में सुधार करने संबंधी प्रस्तावों में ये शामिल है :

(1) मौजूदा अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना और नए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना।

(2) जर्म प्लाज्म गार्डन की स्थापना करना।

(3) बायो–प्रोद्योगिकी अनुसंधान तथा टिशुकल्चर में सुधार करना।

(4) आर्थिक अनुसंधान को समर्थन सेवाओं के संबंध में मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(5) उत्पाद विकास के लिए फार्म मूल्यांकन और प्रदर्शन पर मृदा तथा कृषि–रसायन के लिए प्रभागों की स्थापना करना।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण

3014. **श्रीराम बदन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य बैंकों को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कतिपय अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षित बेराजगार युवाओं को उक्त बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 1983–84 से लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को, सहायता के पैकेज के जरिये उद्योग, सेवा तथा कारोबार में स्वरोजगार के धंधे शुरू करने के लिये प्रेरित करना है। इसके अलावा, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) पूरे देश में 2 अक्तूबर, 1993 से आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माइक्रो उद्यमों में लगे हुए शिक्षित बेरोजगार युवकों को विनिर्माण, सेवा तथा कारोबार संबंधी धंधों में सतत रोजगार प्रदान करना है। यह योजना, शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1993–94 के दौरान तथा पूरे देश में 1 अप्रैल, 1994 से लागू की जायेगी। शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना को 1 अप्रैल, 1994 से पी.एम.आर.वाई. के साथ मिला दिया जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा तैयार की गयी विस्तृत योजना के आधार पर भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें जारी की हैं।

एस.ई.ई.यू.वाई. और पी.एम.आर.वाई. की मुख्य–मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना : सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1983–84 में लागू की गई थी और इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा है। यह योजना, वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को छोड़कर

पूरे भारत में लागू है। 18–35 वर्ष के आयु समूह के अन्तर्गत आने वाले और 10,000 रुपये वार्षिक से अनधिक पारिवारिक आय वाले शिक्षित बेरोजगार युवक (दसवीं पास और उससे ऊपर) इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। औद्योगिक धंधों के लिये 35,000 रुपये से अनधिक मिला–जुला ऋण सेवा एककों के लिए 25,000 रुपये और कारोबार संबंधी उद्यमों के लिए 15,000 रुपये के ऋण दिये जाते हैं। निर्धारित आयु समूह में आने वाले आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवक भी औद्योगिक तथा सेवा संबंधी धंधे शुरू करने के पात्र हैं। सरकार द्वारा परियोजना लागत के 25 प्रतिशत हिस्से तक पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। स्वीकृत ऋणों का 30 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित हैं।

2. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) : 24,000 रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाले और 18 से 35 वर्ष के आयु समूह के अन्तर्गत आने वाले युवक, इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। शिक्षित बेरोजगार युवकों को माइक्रो उद्यम आरंभ करने के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी, बशर्ते कि इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये से अधिक न हो। उनसे परियोजना लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा, मार्जिन राशि के रूप में लगाना अपेक्षित होगा। प्रत्येक उद्यमी, एक लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा वाला ऋण लेने का हकदार होगा। इस योजना के तहत चुने गये उद्यमियों को ऋण संवितरण से पहले प्रशिक्षण दिया जायेगा। माइक्रो उद्यमों का कम से कम 30 प्रतिशत भाग कारोबार क्षेत्र से लिया जायेगा। मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों और आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवकों के अलावा, ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्होंने कम से कम 6 महीने की अवधि वाले सरकार द्वारा प्रयोजित तकनीकी पाठ्यक्रम पास कर रखे हैं, इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। योजना के कार्यान्वयन, खासकर उद्यमियों के चयन, प्रशिक्षण और इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की तैयारी में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। महिलाओं को तरजीह दी जायेगी। हिताधिकारी को लगातार 3 वर्ष तक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

(ग) और (घ) उन पात्र आवेदकों को संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा ऋण दिये जाते हैं, जिनके आवेदन प्रायोजक एजेंसी द्वारा स्पांसर किये जाते हैं और जिनकी परियोजनाएं अर्थक्षम और बैंक योग्य होती हैं। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें बैंकों के पास सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपचारी कार्रवाई करने हेतु भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

केरल में पर्यटन को बढ़ावा देना

305. **प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में कार्यान्वित की जा रही पर्यटन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में पर्यटन को बढावा देने के सम्बन्धी केरल सरकार के कौन–कौन से प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल राज्य सरकार से स्वीकृति के लिए कोई भी पूरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

टनर्स का आयात

306. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्बन ब्लैक के रूप में टनर्स का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी मात्रा में टनर्स का आयात किया गया और कार्बन ब्लैक के रूप में कम मूल्य के बीजक बनाने और उन्हें निकासी देने के कारण सरकार को सीमा शुल्क का कितना घाटा उठना पड़ा है; और

(ग) इस प्रकार के अवैध आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1992–93 के दौरान 9.36 करोड़ रुपये मूल्य के 355 एम.टी. "टोनर्स, फोटोग्रैफिक" का आयात किया गया है। सरकार को कार्बन ब्लैक के रूप में टोनर्स की कथित निकासी और इसके आयात में मामले में कम बीजक बनाने की कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

निवेशकों के प्रतिभूतियों के हितों की सुरक्षा

307. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को निवेशकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन के बाद से वर्षवार प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए नये प्रयास किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी हां। सेबी द्वारा कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त निवेशकों की शिकायंतों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सेबी की स्थापना 21 फरवरी, 1992 को जनवरी, 1992 के सेबी अध्यादेश के अनुपालन में प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने एवं संबंधित मामलों के लिए की गई। निवेशक शिकायतों के निवारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने हेतु सेबी ने निवेशक शिकायतों से संबंधित कार्य को 1 मार्च, 1993 से पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। सेबी ने अत्यभिदान के स्तरों को कम करने और इसके द्वारा आवेदकों को आबंटन होने के मौके बढ़ाने की दृष्टि से पूंजी के सार्वजनिक इशू की न्यूनतम आवेदन राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है। सेबी अधिनियम के तहत व्यापारी बैंकरों और किसी इशू के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता के लिए नियमों और विनियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।

कम्पनी कार्य विभाग, जो कि कम्पनी अधिनियम को अधिशासित करता है, ने निवेशक शिकायतों के आधार पर दण्डात्मक कार्रवाई के लिए 58 कम्पनियों को कुछ समय पहले ही छांटा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

दिसम्बर को समाप्त वर्ष	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	योग
1990 (अग. 16 से)	1,579	1,456	1,436	562	5,033
1991	27,944 (9572)	14,228 (3608)	21,190 (5768)	6,120 (1421)	69,482 (20369)
1992	2,18,838 (29440)	21,502 (4671)	67443 (13425)	17,332 (3319)	3,25,115 (50855)
1993 (नवम्बर 15 तक)	3,10,800 (156815)	32,114 (11028)	1,05,161 (36661)	18,518 (6958)	4,66,593 (211462)
योग	5,59,161 (195827)	69,300 (19307)	1,95,230 (55854)	42,532 (11698)	8,66,223 (282686)

श्रेणी I वापसी आदेश/आबंटन सूचना/स्टाक इन्वेस्ट की प्राप्ति न होना।

श्रेणी II	शेयरों/डिबेंचरों/सावधि जमाओं पर लाभांश/ब्याज की प्राप्ति न होना, डिबेंचरों की प्रतिदान राशि तथा सावधि जमाओं की परिपक्वता राशि का प्राप्त न होना।
श्रेणी III	अन्तरण/प्रेषण/परिवर्तन/पृष्ठांकन/समेकन/पृथक्करण के बाद शेयर/डिबेंचर प्रमाणपत्रों का प्राप्त न होना।
श्रेणी IV	वार्षिक रिपोर्टों/राइट्स आवेदन पत्रों/बोनस शेयरों/विलम्बित वापसी आदि के मामले में अतिकालदेय अवधि के लिए ब्याज की प्राप्ति न होना।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए आंकड़े कम्पनियों द्वारा सुलझाई गई शिकायतों की संख्या दर्शाते हैं। वर्ष 1990 के लिए शिकायतों के निवारण का रिकार्ड सेबी के पास उपलब्ध नहीं है।

सेकैंडहैंड ट्रैक्टरों की खरीद के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्तपोषण

308. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या **वित्त मंत्री** 6 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सेकैंडहैंड ट्रैक्टर खरीदने के लिये पुनर्वित्तपोषण की सुविधा हेतु समुचित पैकेज और सहायता देने संबंधी कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) बैंक स्वयं अपने संसाधनों से पुराने ट्रैक्टरों की खरीद के लिए वित्त पोषण करने के वास्ते स्वतन्त्र है। जहां तक इस प्रकार के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त की उपलब्धता का संबंध है, नाबार्ड देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में योजना शुरू करने के लिए उपयुक्त पैकेज और समर्थन विकसित करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एक योजना को अंतिम रूप प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

बैंक आफ कराड़ लिमिटेड

309. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने बैंक ऑफ कराड़ लिमिटेड की परिसम्पत्तियां खरीदने और इसके कर्मचारियों को रोजगार देने में रुचि दिखाई है, जैसा कि 31 जुलाई, 1993 के "डेक्कन क्रानिकल" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जिन बैंकों ने अपनी रुचि दिखाई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी शर्तों और अन्य पहलुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. ने भी बैंक आफ कराड़ की परिसम्पत्तियों को खरीदने और उसके कर्मचारियों को बैंक में खपाने में दिलचस्पी दिखाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किये जाने के लिये बैंक आफ कराड़ लि. के अनन्तिम परिसमापक के पास बैंक आफ बड़ौदा के नाम की सिफारिश की थी। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिफारिश का अनुमोदन नहीं किया गया था। न्यायालय ने निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों की खरीद, बैंक आफ कराड़ लि. की देयताओं को हाथ में लेने और इसके कर्मचारियों को खपाने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से नये प्रस्ताव मंगाने के लिये अनन्तिम परिसमापक को आदेश दिया है। अब तक सिर्फ एक बैंक अर्थात बैंक आफ इंडिया ने अपना प्रस्ताव भेजा है। अनन्तिम परिसमापक ने उच्च न्यायालय में इस प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है। बम्बई उच्च न्यायालय ने 9 नवम्बर, 1993 को मामले की सुनवाई की है और मामले को 15 दिसम्बर, 1993 तक के लिये स्थगित कर दिया है।

अलाभप्रद बैंक शाखाओं को बन्द करना

310. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी अलाभप्रद शाखाओं को बन्द करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की चालू उदारीकृत नीति के अन्तर्गत, बैंकों को उनकी बिखरी अथवा अलाभकारी शाखाओं को अन्य बैंकों के साथ अदला–बदली करने की अनुमति दी जाती है। बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी/महानगरीय केन्द्रों पर, जो सामान्यतः अच्छी बैंक सुविधा वाले क्षेत्र हैं, उनकी घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने के उनके प्रस्ताव पर विचार करेगा। बैंकों को यह भी अनुमति प्रदान की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त करें। दो वाणिज्यिक बैंकों की अलग–अलग शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे ग्रामीण केन्द्रों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) संबंधित बैंक आपसी परामर्श द्वारा, उनमें से एक शाखा को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। परन्तु, बैंकों को ऐसे प्रस्ताव, संबंधित जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित कराकर राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्वानुमोदनार्थ प्रस्तुत करने होंगे।

विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को धनराशि दिया जाना

311. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले लघु क्षेत्र को निर्धारित मात्रा में धनराशि दिये जाने को सुनिश्चित करने हेतु इन बैंकों के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में किसी बैंक के कार्यकरण में कोई कमी पाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में विदेशी बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) संवीक्षा कार्य प्रगति पर है और संवीक्षा के अंतिम परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं। की जाने वाली कार्रवाई का निर्णय संवीक्षा पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

पटसन मिलें

312. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 और 1 अप्रैल, 1993, की स्थिति के अनुसार देश में कितनी पटसन मिलें हैं और तत्संबंधी राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त (भाग–क) में राज्यवार और क्षेत्रवार सम्मिलित कितने एकक 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े थे अथवा रुग्ण थे;

(ग) 30 सितंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार स्थापनाधीन अतिरिक्त एककों की क्षेत्रवार और राज्यवार अलग–अलग संख्या कितनी है; और

(घ) 30 सितम्बर, 1993 तक पटसन आधुनिकीकरण निधि से पटसन उद्योग को राज्यवार क्षेत्रवार कितनी राशि की संचयी अनुदान और पेशगी दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में 73 पटसन मिलें हैं। इन मिलों में से 59 मिलें पश्चिम बंगाल में, 4 मिलें आन्ध्र प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में 3–3 मिलें तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम तथा त्रिपुरा प्रत्येक में एक–एक मिल अवस्थित हैं।

(ख) 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में बंद पड़ी हुई 11 मिलों में से 6 मिलें पश्चिम बंगाल में, 2 मिलें आन्ध्र प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा त्रिपुरा प्रत्येक में एक–एक मिल थीं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को 27 मिल कम्पनियों के मामले भेजे गए थे।

इन मिलों में से 3 मिलें आन्ध्र प्रदेश में, उड़ीसा और बिहार में एक–एक मिल तथा 22 मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

(ग) 1-4-1992 के बाद कोई भी पटसन की नई मिल स्थापित नहीं की गई है।

(घ) 30 सितम्बर, 1993 तक पटसन उद्योग को पटसन आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत 35.51 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई हैं, जिसमें 33.76 करोड़ रु. पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों को तथा 1.75 करोड़ रुपये आन्ध्र प्रदेश की पटसन मिलों को रिलीज किए गए।

आर्थिक सुधार

313. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1991 के मध्य में शुरू किए गए वृहत आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों के व्यापक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आर्थिक स्थिति में सुधार से आर्थिक सुधारों को अब समेकित, व्यापक और सघन बनाना आवश्यक समझा गया है। वे क्षेत्र, जिनमें आगे नीतिगत प्रयास किए जाने आवश्यक हैं, उनमें वित्तीय और बैंकिग क्षेत्र तथा कर प्रणाली का सुधार शामिल हैं। आवश्यक सुधारों संबंधी आगे की परिचर्चा सरकार द्वारा जुलाई, 1993 में जारी दस्तावेज, "आर्थिक सुधार : दो वर्ष बाद और आगे के कार्य–एक परिचर्चा पत्र" में दी गई है।

रोजगार के अवसरों का सृजन

314. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नयी औद्योगिक नीति लागू होने के पश्चात रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा मिला है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक नीति लागू होने से पहले और बाद में रोजगार अवसरों के सृजन के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारी कदम उठाने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के संगठित क्षेत्र में रोजगार की कुल संख्या मार्च, 1991 में 26.73 मिलियन, मार्च, 1992 में 28.85 मिलियन और दिसम्बर, 1992 में 26.94 मिलियन थी। 31.3.91, 31.3.92 तथा 31.12.92

की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में राज्यवार कुल रोजगार को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस योजना में उन क्षेत्रों, उप क्षेत्रों के अपेक्षाकृत अधिक तेजी से विकास के साथ संयुक्त आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो रोजगार सृजन की गति में वृद्धि करने के लिए अधिक रोजगार संभाव्यता से संबद्ध है। भौगोलिक दृष्टि से फसलवार विविधीकृत कृषि विकास, परती भूमि विकास, और वानिकी, ग्रामीण गैर फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, छोटे तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण के अधिक तेजी से विकास और आवासीय सुविधाओं का विस्तार रोजगार उन्मुख विकास नीति के वे मूलभूत तत्व हैं, जिनकी इस योजना में परिकल्पना की गयी है।

सरकार ने कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन के लिए सहायता प्रदान करने और आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनर्संरचना आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है।

विवरण

मार्च, 1991, मार्च, 1992 व दिसम्बर, 1992 को समाप्त हुई तिमाहियों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संगठित क्षेत्रों में कुल नियोजन

(हजारों में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजन की कुल संख्या		
		(1) 31.3.91	(2) 31.3.92	(3) 31.12.92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1763.0	1791.2	1836.0
2.	असम	1050.8	1093.3	1090.2
3.	बिहार	1663.0	1662.4	1665.0
4.	गोवा	98.5	99.5	102.0

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	1660.4	1669.0	1655.8
6.	हरियाणा	601.8	607.5	631.4
7.	हिमाचल प्रदेश	266.3	276.4	284.9
8.	जम्मू और कश्मीर	215.1	217.0	212.7
9.	कर्नाटक	1447.3	1476.9	1541.1
10.	केरल	1143.2	1181.1	1197.1
11.	मध्य प्रदेश	1669.2	1670.7	1679.8
12.	महाराष्ट्र	3647.5	3735.1	3652.0
13.	मणिपुर	55.6	57.7	61.7
14.	मेघालय	68.9	69.0	69.4
15.	मिजोरम	34.5	37.1	38.6
16.	नागालैण्ड	65.4	65.3	68.0
17.	उड़ीसा	773.7	815.5	808.8
18.	पंजाब	791.3	791.1	812.6
19.	राजस्थान	1183.9	1197.4	1170.5
20.	तमिलनाडु	2289.3	2286.4	2302.5
21.	त्रिपुरा	98.4	97.5	111.4
22.	उत्तर प्रदेश	2676.9	2469.9	2552.0
23.	पश्चिम बंगाल	2465.3	2469.3	2388.4
24.	अण्डमान और निकोबार (संघ शासित प्रदेश)	36.3	36.6	36.5

1	2	3	4	5
25.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	75.2	78.1	79.7
26.	दिल्ली (संघ शासित)	839.2	851.8	839.9
27.	पांडिचेरी (संघ शासित)	53.1	53.1	53.1
		26733.1	26855.9	26941.1

स्त्रोत : रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

रबड़ का आयात

315 **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस शर्त के साथ 10,000 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति दी है कि इसकी पूरी खपत 31 अगस्त, 1993 से पहले हो जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की रबड़ का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा आयातकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पूरी मात्रा का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान संश्लेषित रबड़ के आयात में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। परन्तु दिनांक 31 अगस्त, 1993 के पहले खपत होना आयात की शर्तों में नहीं था।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 प्रतिशत आयात शुल्क सहित जारी लाइसेन्सों पर कुल 4131 मी. टन प्राकृतिक रबड़ का आयात कर लिया गया है। आयातक जे.के. इण्डस्ट्रीज लि., मोदी रबड़ लि. एम. आर. एफ. लि., बिड़ला टायर्स, सीएट लि. और डनलप इंडिया लि. थे।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयातकों द्वारा पूरी मात्रा का उपयोग कर लिया गया है।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अप्रैल से अगस्त, 1993 के दौरान आयातित संश्लिष्ट रबड़ की मात्रा 28814 मी. टन थी, जबकि अप्रैल से अगस्त, 1992 के दौरान 20164 मी. टन का आयात किया गया था।

हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्री

316. **श्री विजय एन. पाटील** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों की तुलना में निजी एयर टैक्सियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में जुलाई से अक्तूबर, 1993 के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान एयर टैक्सी आपरेटरों और इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी–कितनी थी।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जुलाई–अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान अंतर्देशीय सेक्टर पर एयर टैक्सी प्रचालकों द्वारा 7,84,388 यात्री और इंडियन एयरलाइंस द्वारा 22,40,866 यात्री लाए-ले-जाए गए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प का विकास

317. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में हस्तशिल्प का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) यद्यपि हस्तशिल्प राज्य का विषय है, तथापि, देश और ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों सहित, उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए सरकार विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।

(ग) तथा (घ) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1993–94 के दौरान अनुमोदित किए गए प्रस्ताव निम्नोक्त प्रकार हैं :–

		रिलीज की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए	51.61
2.	अन्य संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण	13.41
3.	शिल्प विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए	2.74

विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	उद्देश्य
1	2	3
1.	विपणन विकास सहायता	हस्तशिल्प के विपणन विकास में लगे संगठनों को एक मुश्त सहायता के रूप में सहायता देने की संशोधित योजना (केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/शीर्ष समितियां/एच्छिक संगठन)।
2.	विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र और अन्य विपणन कार्यक्रम	1. विशेषकर शिल्प संकेन्द्रित क्षेत्रों में शिल्पियों को विपणन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना। 2. विपणन, ऋण, कच्चा माल और डिजाइन विकास में सहायता देना।
3.	शिल्प विकास केन्द्र	1. सामान्य सुविधा सेवा केन्द्रों तथा कच्चा माल डिपो की पूर्व योजना की एक संशोधित संयुक्त योजना। 2. अभिज्ञात शिल्प पाकेटों में शिल्प विकास केन्द्रों को स्थापित करने में केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगमों और अन्य संगठनों को सहायता देना। 3. शिल्पकारों को उत्पादन, बाजार संबंधी तथा सामाजिक सेवाएं प्रदान करना।
4.	डिजाइन एवं तकनीकी विकास	1. डिजाइन विकास–विपणन योग्य बनाने के लिए परम्परागत शैली का पता लगाकर और नई डिजाइनों का नवीकरण करके दोनों के द्वारा शिल्पकारों को सहायता देने के लिए एक संशोधित योजना।

1	2	3
		2. उत्पादों को विकसित करने/नई किस्म का तैयार करने के लिए डिजाइनकारों/तकनीकी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए निगमों/शीर्ष समितियों/एच्छिक संगठनों को सहायता देना।
5.	राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय	1. परम्परागत शिल्पों का संरक्षण एवं प्रलेखन करना।
		2. उपरोक्त शिल्पों में जागरूकता का प्रसार करना।
		3. लुप्तप्राय शिल्पों को पुनर्जीवित करना।
6.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिल्पियों के लाभ के लिए कुशलता और कच्चे माल के रूप में विशाल साधनों को काम में लाना।
		2. केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना तथा कारीगरों एवं शिल्पकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।
7.	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	हस्तशिल्प में आंकड़ा आधार बनाने के लिए शिल्प विशेष और क्षेत्र विशिष्ट सर्वेक्षण करना।
8.	प्रदर्शनी तथा प्रचार	1. हस्तशिल्प के विपणन/विकास में लगे संगठनों (निगमों, सहकारी समितियों, शीर्ष समितियों) को प्रदर्शनियां आयोजित करने में सहायता देना।
		2. विज्ञापन, ब्रोशर, कैटलाग आदि सहित बाजार संबंधी प्रचार अभियान चलाना और इसे चलाने में संगठनों की सहायता करना।

1	2	3
9.	निर्यात संवर्धन	हस्तशिल्प के निर्यातों का संवर्धन करना।
10.	प्रशिक्षण	1. उच्च कुशलता को विकसित करना और अधिक मांग वाले/निर्यात अभिमुख शिल्पों और लुप्तप्राय शिल्पों दोनों में प्रशिक्षण प्रदान करना। 2. रोजगार अवसरों को बढ़ाना।
11.	सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यकलाप पुरस्कार तथा पेंशन योजना	1. शिल्पकारों को उनकी श्रेष्ठता को मान्यता प्रदान करने और दरिद्रतावस्था दौर्बल्य अवस्था में अनुवर्ती वित्तीय सुरक्षा करने, दोनों के रूप में शिल्पकारों की सुरक्षा/विश्वास को बढ़ाना। 2. शिल्प में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार देना।
12.	केन्द्रीय/राज्य निगमों और शीर्ष समितियों में इक्विटी भागीदारी	हस्तशिल्प के विपणन में लगे संगठनों के इक्विटी आधार को मजबूत बनाना।
13.	हस्तशिल्प भवन का निर्माण	ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिनका दिल्ली में कोई एम्पोरियम नहीं है, की बिक्री दुकानों को समायोजित करने के लिए बाबा खडक सिंह मार्ग पर हस्तशिल्प भवन के निर्माण के लिए निधि का उपयोग करना।
14.	लुप्तप्राय शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष कार्यक्रम	डिजाइन विकास, प्रशिक्षण, प्रदर्शनी आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से लुप्तप्राय शिल्पों का पता लगाने, सर्वेक्षण करने और पुनर्जीवित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।

जब्त किया गया सोना

318. **श्री विलासराय नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से लेकर आज तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों से कितना सोना जब्त किया गया है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पहली जनवरी, 1993 से 31 अक्तूबर, 1993 तक की अवधि के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों से 211.225 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। सोने की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध जहां कहीं आवश्यक समझा गया, मुकदमे चलाने और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं।

[अनुवाद]

चैकों का समाशोधन

319. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री जी. देवराय नायक :
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन प्रकोष्ठ में कर्मचारियों द्वारा चैकों के समाशोधन में निरन्तर एक दिन का विलम्ब किया जाता है, जैसा कि 31 अक्तूबर, 1993 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चैकों का तत्काल समाशोधन करना होता है। तथापि, 2 तथा 9 सितम्बर, 93 को समाशोधन कार्य, हड़ताल के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। यह हड़ताल भारतीय रिजर्व बैंक सहित नई दिल्ली बैंकर्स क्लियरिंग हाउस, के सदस्य बैंकों के स्टाफ द्वारा की गई थी।

(ग) हाल ही में डाटा टर्मिनल आपरेटर्स द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्षमता को सुधारने हेतु पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग (निगरानी) को भी सुदृढ़ बनाया गया है।

बैंकों के साथ साप्ताहिक तथा मासिक बैठकें करके धनराशि के साथ–साथ, बकाया प्रविष्टियों की संख्या को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सोने के बिस्कुट और विदेशी मुद्रा जब्त किया जाना

320. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने गत दो महीनों के दौरान दिल्ली में व्यापारियों के परिसरों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में सोने के बिस्कुट और विदेशी मुद्रा जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और उसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इन व्यापारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है, और;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 3-11-93 को दिल्ली के एक व्यापारी के परिसरों से 27.50 लाख रुपये की राशि की विदेशी मुद्रा और लगभग 41.50 लाख रुपये के 83 सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं।

(ग) और (घ) व्यापारी को गिरफ्तार किया गया और तत्पश्चात् विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अन्तर्गत दिनांक 16-11-93 को नजरबन्द किया गया।

[अनुवाद]

बैंकों में ग्राहक सेवा

321. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा खराब हुई है और इन बैंकों की ऋण वसूली भी कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख) और (ग) बैंकों में ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए गत कुछ वर्षों के दौरान

सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए विभिन्न उपायों के बावजूद, इस संबंध में किये गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राहक अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, अतः बैंकों में ग्राहक सेवा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार लाने हेतु उपाय सुझाने के लिए सितम्बर, 1990 में भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने विस्तृत सिफारिशें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) टेलर सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार कर ग्राहक सेवा में सुधार करना, गैर नकदी लेन–देनों के लिए बैंकिंग समय में वृद्धि करना, कारोबार के समय के दौरान, निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग करना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त लघु उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए विशेषज्ञ शाखाएं खोलना;

(3) ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी उन्नयन और प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सतत पुनरीक्षा; और

(4) चैकों के संग्रहण, डाक अंतरण, तार अन्तरण, आदि द्वारा भुगतान में देरी के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किये हैं।

जहां तक बैंकों के अग्रिमों की वसूली न होने का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपनी मूल्यांकन मशीनरी को मजबूत करें और अग्रिमों पर निकट से निगरानी और नियंत्रण रखें। कर्मचारियों द्वारा की गयी चूकों के कारण अवरुद्ध अग्रिमों को रोकने पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त बैंकों की ऋण राशियों की वसूली और शीघ्र न्याय निर्णयन के लिए अधिकरणों की स्थापना हेतु संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है।

हवाई अड्डों पर सेवाएं

*322. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को जाने की स्वीकृति देने में विलम्ब और हवाई अड्डों पर अधिकारियों की अकुशल सेवाओं के परिणामस्वरूप उड़ानों में विलम्ब और यात्रियों में असंतोष होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी नहीं, फिर भी सरकार का यह प्रयास रहता है कि हवाई अड्डों पर सुविधाओं में सुधार किया जाए।

[हिन्दी]

बंधुआ और बाल श्रमिक

323. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल और बंधुआ श्रमिकों के साथ अनुचित भेदभाव तथा उन पर अत्याचार के कारण उद्योगों के कितने व्यक्तियों/मालिकों को दंडित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने बंधुआ और बाल श्रमिकों की समस्याएं समाप्त करने के लिए कोई विशिष्ट और समयबद्ध योजना तैयार की है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों का पता लगाया है, जिनमें काम कर रहे बाल और बंधुआ श्रमिकों की संख्या अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने तथा समुचित कल्याण योजनाएं लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) वित्तीय वर्ष 1993–94 के लिए बाल तथा बंधुआ श्रमिकों के कल्याण हेतु अलग–अलग कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (च) विवरण संलग्न है।

विवरण

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन वयस्क एवं बाल बन्धित श्रमिकों में कोई अन्तर नहीं किया गया है। अद्यतन सूचना के अनुसार, 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार, कुल 2,51,424 बन्धित श्रमिकों को पहचान की गई है और उन्हें मुक्त कराया गया है, जिनमें से 10,345 को पुनर्वासित कराया जाना शेष है। चालू वर्ष (1993-94) के लिए 2,179 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक समयबद्ध योजना के अन्तर्गत बन्धित श्रमिकों को पुनर्वासित कराने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बन्धित श्रमिकों को पुनर्वासित करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए 1978-79 से केन्द्र द्वारा एक प्रायोजित योजना चलाई जा रही है, जिसके अधीन राज्य सरकारों को समान अनुदान (50:50) आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक केन्द्रीय हिस्से के रूप में बन्धित श्रमिकों को पुनर्वासित कराने के लिए राज्य सरकारों को 3561.86 लाख रुपये की सहायता जारी की गयी है। बन्धित श्रमिकों की समस्या औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से विद्यमान है। बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में चालू वर्ष (1993-94) के लिए 349.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

निकट भविष्य में बाल श्रम की समस्या का पूर्ण उन्मूलन किया जाना कठिन समझे जाने के कारण सरकार का उद्देश्य बाल श्रम को उत्तरोत्तर गति से समाप्त करने का है। इसे, विधान बनाकर, बाल श्रम से सम्बन्धित कानूनों को और अधिक प्रभावी करके, कल्याण कार्यक्रम बनाकर, अभिभावकों, नियोक्ताओं और जन सामान्य में और अधिक जागरूकता पैदा करके और बालकों की बढ़ती हुई संख्या में शिक्षा का प्रसार करके प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, पाण्डिचेरी, और चण्डीगढ़ की पहचान की है, जहां बाल श्रमिकों से सम्बन्धित समस्याएं अपेक्षाकृत कम हैं। बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्र/उद्योगों की पहचान करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। अब तक 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है और इन क्षेत्रों में से 9 में 1987 में बनाई गई राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अधीन कामकाजी बालकों के कल्याण के लिए परियोजनाएं चलाई गई हैं। इन परियोजना क्षेत्रों में से दो अर्थात आन्ध्र प्रदेश में जग्गमपेट और मध्य प्रदेश में मन्दसौर को बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए चुना गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुसूची में उल्लिखित व्यवसायों/कार्यों में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। इस अनुसूची में समय-समय पर उन अन्य व्यवसायों/कार्यों को शामिल किया जाता है, जिनकी बाल श्रम सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जोखिमकारी के रूप में पहचान की जाती हैं। बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अधीन वर्ष 1993-94 हेतु कुल 350 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए अनिवासी भारतीय बांड

324. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से सरदार सरोवर परियोजना के लिए अनिवासी भारतीय बांड के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख), (ग) और (घ) गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु अनिवासी भारतीयों को बाण्ड जारी करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। गुजरात सरकार को अप्रैल, 1992 में सूचित किया गया था, कि इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि सम्बद्ध प्रस्ताव प्रभावी रूप से सरकार के गारण्टीशुदा उधार का दूसरा रूप है, और यह सरकार के बाह्य ऋण कार्यक्रमों, जो विवेकपूर्ण मान्यताओं पर आधारित अधिकतम सीमा के अधीन हैं, के पूर्व अधिकृत संसाधन होंगे।

[अनुवाद]

कालीकट विमानपत्तन से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

325. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कालीकट विमानपत्तन से इंडियन एयरलाइंस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष शुरू की गई और शुरू की जाने वाली उड़ानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उड़ानों की बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए कालीकट विमानपत्तन में कोई सुधार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने कालीकट से निम्नलिखित उड़ानें शुरू की हैं :–

	सैक्टर	प्रभावी तारीख
1.	कालीकट–फ्यूजेराह–शारजाह–कालीकट	1.11.93
2.	कालीकट–रस–अल–खेमाहा–शारजाह–कालीकट	1.11.93
3.	कालीकट–मस्कट	2.12.93 से 14.12.93 तक

इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया के सहयोग के साथ निम्नलिखित संयुक्त उड़ानों के प्रचालन करने का प्रस्ताव करती है :–

सैक्टर	प्रभावी तारीख
कालीकट–आबूधाबी	15.12.93
कालीकट–दुबई	15.12.93
कालीकट–मस्कट	15.12.93

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 6 करोड़ की अनुमानित लागत पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टर्मिनल भवन पर एक नए ब्लाक की व्यवस्था कर रहा है। उपस्कर अवतरण प्रणाली भी शीघ्र ही स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाएं

326. **श्री काशीराम राणा :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विमान दुर्घटनाएं हुईं एवं किन–किन तारीखों को ये दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) दुर्घटनावार कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई और कितने मामलों में अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप विमानों की संख्या में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और वायुदूत के बेड़ों की केटेगरीवार स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइंस के विमानों की दुर्घटनाओं के ब्यौरे संलग्न हैं।

(च) तीनों एयरलाइनों के वर्तमान बेड़े की स्थिति इस प्रकार है :–

इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया	वायुदूत
ए–300 – 10	बी747–400–2	एच.एस.748–8
ए–320 – 24	बी 747–200–9	डी.ओ. 228–8
बी–737 – 18	ए–310–300–8	
एफ 27 – 3	ए–300–बी4–3	
	बी 747–300–2	
	कॉम्बी	

विवरण

इंडियन एयरलाइंस के विमानों की दुर्घटनाएं

दिनांक	विमान का प्रकार	पंजीकरण	मारे गए यात्री	गंभीर रूप से घायल व्यक्ति	दुर्घटना के बाद विमान की स्थिति	भुगतान किए गए मुआवजे की राशि (लाख रुपये)	ऐसे मामलों की संख्या जहां अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया।
16.8.91	बी–737	वीटी–ई एफ एल	63	–	नष्ट हो गया	302.19	2
4.9.92	बी–737	वीटी–ई जी जे	–	–	मामूली क्षति	–	–
26.4.93	बी–737	वीटी–ई सी क्यू	54	10	नष्ट हो गया	148.88	26
15.11.93	ए–300	वीटी–ई डी वी	–	–	गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त	–	–

राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरों को निजी क्षेत्र को देना

327. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीकृत बैंकों के अधिकांश शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति तैयार की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क), (ख), (ग), और (घ) वर्ष 1993–94 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वे राष्ट्रीयकृत बैंक जिनकी स्थिति अच्छी है, उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए अपनी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं में कमी को पूरा करने के लिए बाजार से नयी इक्विटी जुटाने की अनुमति दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार अपना बहुसंख्यक स्वामित्व बरकरार रखेगी और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सम्बन्धित कानूनों में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं।

कपड़ा मजदूरों की समस्याओं के बारे में उपसमिति

328. **श्री आनंद अहिरवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 26 जून 1993 को कपड़ा उद्योग पर त्रिपक्षीय समिति की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कपड़ा मजदूरों की समस्याओं के संबंध में एक उपसमिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श के लिए 26-6-93 को एक विशेष त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों की कायापलट करने संबंधी नीति के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए एक उप-समिति गठित की गयी थी। उप-समिति को अभी अपनी रिपोर्ट देनी है।

[अनुवाद]

करेंसी नोटों का मुद्रण

329. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रुपये और दो रुपये मूल्य के करेंसी नोटों के मुद्रण पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है;

(ख) ऐसे नोटों की औसत आयु कितनी होती है;

(ग) इन मूल्य वर्गों के सिक्कों की ढलाई पर कितनी लागत आती है और इनकी आयु कितनी होती है; और

(घ) इन करेंसी नोटों को चरणबद्ध रूप से कब तक प्रचलन से हटा लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) एक रुपया और दो रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के मुद्रण पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की जा रही है।

(ख) एक रुपया और दो रुपये के करेंसी नोटों की औसत आयु क्रमशः छह महीने और एक वर्ष है।

(ग) इन मूल्य वर्गों के सिक्कों पर आने वाली लागत और उनकी आयु नीचे दी गई है :–

मूल्य वर्ग	लागत (प्रति अदद)	आयु
1 रुपया (कुपरो–निकल)	1 रुपया 61 पैसे	15–20 वर्ष
1 रुपया (स्टेनलैस स्टील)	90 पैसे	20 से 30 वर्ष
2 रुपए (कुपरो निकल)	1 रुपया 95 पैसे	15–20 वर्ष

(घ) ऐसे करेंसी नोटों को चरणबद्ध रूप से प्रचालन से हटा लिए जाने की संभावित समयावधि 1995–96 है।

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए नई श्रम नीति

330. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए ये नई श्रम नीति" के संबंध में मुम्बई में 26 सितम्बर, 1993 को एक कार्यशिविर का आयोजन किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस कार्य शिविर में क्या–क्या मुख्य टिप्पणियां और सुझाव दिये गये थे;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नयी श्रमिक नीति तैयार हो गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बम्बई में 25-9-1993 को "नई श्रम नीति तथा रोजगार सृजन पर बल" संबंधी कार्यशाला का अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन ने आयोजन किया था। कार्यशाला में की गयी सिफारिशें अभी सरकार को नहीं भेजी गयी हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा व्यवसाय संघ अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों को तैयार किया जा रहा है।

जहाजरानी द्वारा माल ढुलाई के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाना

331. **प्रो. राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को दोगुना बढ़ाने के संदर्भ में जहाजरानी द्वारा माल ढुलाई के लिए सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समिति द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) निर्यातों को बढ़ाने के संदर्भ में जहाजों द्वारा माल की ढुलाई में तेजी लाने के लिए सीमाशुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक योजना तैयार करने के लिए विशेष रूप से किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कई उपाय किये गये हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने डा. राजा चेल्लैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति द्वारा की गयी सिफारिश तथा साथ ही श्री के. एल. रेखी की अध्यक्षता में अप्रत्यक्ष कर विषयक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्टों को ध्यान में रखा है।

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में शुरू किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :–

निर्यात खेप की जांच के लिए मानदंडों में ढील देना

(1) जिस माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों अथवा निर्यात निरीक्षण एजेंसियों, टैक्सटाइल समिति आदि द्वारा जांच करके सील किया गया हो, उसकी यादृच्छिक/आसूचना पर आधारित जांच–पड़ताल को छोड़कर निर्यात स्थल पर जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार साफ–सुथरे रिकार्ड वाले प्रतिष्ठित निर्यातकों के मामले में प्रत्येक खेप की नेमी जांच करने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है।

(2) समुद्री उत्पाद वाली खेपों की अब सीमाशुल्क जांच के बिना ही ढुलाई करने की अनुमति दी जा रही है। ऐसी खेपों की निकासी उन निर्यातकों द्वारा स्वयं प्रमाणन किए जाने के आधार पर की जाती है, जिन्हें इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(3) जब विदेशी क्रेता जहाजों में लदान पूर्व निरीक्षण न करवाना चाहते हों, तो उन निर्यातकों के मामले में और स्टार ट्रेडिंग हाउस, व्यापारिक गृहों, निर्यात गृहों द्वारा किए गए निर्यातों के मामले में निर्यातकों द्वारा लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

(4) आयात/निर्यात माल के शुल्क निर्धारणों की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गयी हैं, ताकि निकासी में तेजी लाई जा सके।

[हिन्दी]

ऋण वसूली की स्थिति

332. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय बैंकों की ऋण वसूली की स्थिति बहुत खराब हो गयी है जैसे कि दिनांक 26.10.93 के नवभारत टाइम्स के नई दिल्ली में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों की क्षमता बढ़ाने और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी हां। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार रिपोर्ट, लंदन की "दी बैंकर" नामक पत्रिका में बतायी गयी 200 प्रमुख एशियाई बैंकों की स्थिति में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्थान से संबंधित है। अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकों की वसूली संबंधी स्थिति खराब होती जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के आधार पर, सितम्बर, 1991 और सितम्बर, 1992 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अतिदेय रकमों से संबंधित स्थिति निम्नानुसार थी :–

(खाते : लाख में)

(रकम : करोड़ रुपये में)

	खातों की संख्या	अतिदेय रकम
सितम्बर, 91	177.34	17967
सितम्बर, 92	119.20	14805

उक्त स्थिति से यह पता चलता है कि सितम्बर, 1991 के अंत की स्थिति के अनुसार 17967 करोड़ रुपये की अतिदेय रकम, सितम्बर, 1992 के अंत तक कम हो कर 14805 करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार खातों की संख्या भी 177.34 लाख से कम होकर 119.20 लाख रह गयी। तथापि, अतिदेय रकमों को कम करने तथा साथ ही साथ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में उनके वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :–

1. बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि वे एक तरफ, अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों का पुनः निर्धारण करने में उनकी मदद करने तथा दूसरी तरफ, ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता तथा अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिये एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली बनायें।
2. अलग–अलग अग्रिम के प्रभावी पर्यवेक्षण और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिये, उन अग्रिमों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए एक गहन तथा एक समान ग्रेडिंग पद्धति आरंभ करना।
3. प्रमुख अवरुद्ध खातों की वसूली संबंधी स्थिति पर नजर रखना।
4. जिन मामलों में खाते अवरुद्ध हो जाने का पता चल जाता है, उनमें उपचारी कार्रवाई करना।
5. तत्काल अधिनिर्णयन और बैंकों के शोध्य ऋणों की वसूली और उससे संबंधित मामलों अथवा उससे आनुषंगिक मामलों के लिये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 हाल ही में अधिनियमित किया गया है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याण योजनाएं

333. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हथकरघा बुनकरों की कल्याण योजनाओं पर चर्चा करने हेतु नई दिल्ली में 24 सितम्बर, 1993 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो जिन मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) हथकरघा बुनकरों की कल्याण योजनाओं को शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जिन पर विचार हुआ वे हथकरघा (उत्पादन के लिए आरक्षित मद) अधिनियम 1985 से संबंधित थे। हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों के प्रभावी भाग लेने से संबंधित विषय पर भी चर्चा की गई इस बैठक में 3000 हथकरघा विकास केंद्रों और 500 उत्कर्ष रंगाई इकाइयों की स्थापना के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

(ग) हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(1) स्वास्थ्य पैकेज योजना।

(2) समूह बीमा योजना।

(3) थ्रिफ्ट फण्ड योजना और

(4) कार्यशाला–सह–आवास योजना।

भुवनेश्वर में स्टॉक एक्सचेंज का क्षेत्रीय सचिवालय

334. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर में स्टाक एक्सचेंज का एक क्षेत्रीय सचिवालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक खोल दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन

335. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में वर्तमान में भारतीय सदस्यों का ब्यौरा क्या है ,

(ख) अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कितने कन्वेंशन सरकार की अभिपुष्टि के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार को कितने कन्वेंशन अभिपुष्टि के लिए प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों की अभिपुष्टि अब तक की गई है; और

(घ) शेष कन्वेंशनों की अभिपुष्टि के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासीनिकाय में भारत सरकार, श्री हरिभाऊ नायक (इण्टक) और श्री आई. पी. आनन्द (सी. आई. ई.) भारतीय प्रतिनिधि हैं।

(ख) और (घ) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अब तक पास किए गए 174 अभिसमयों में से 36 का अनुसमर्थन किया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों में अनेक विषयों जैसे मौलिक मानवाधिकार, रोजगार श्रम प्रशासन, कार्य दशाएं, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, प्रवासी श्रमिक आदि विषयों को शामिल किया गया है। कुछ अभिसमयों पर भारत के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे गैर–महानगरीय प्रदेशों पर लागू होते हैं अथवा उनके स्थान पर बाद के अन्य अभिसमयों द्वारा उनमें संशोधन किया गया है।

सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों के विषय वस्तु के सम्बन्ध में देश में प्रचलित कानून और प्रक्रिया की समय–समय पर जांच करती रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है उन अभिसमयों का अनुसमर्थन करती रही है। अनेक मामलों में, अभिसमयों के अनुसमर्थन में प्रौद्योगिकी, उन्नयन, प्रवर्त्तन तंत्र को विकसित करना, कानून में संशोधन करना, वित्तीय दायित्व आदि अपिरहार्य हैं, जो कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक दशाओं में व्यवहार्य नहीं हैं, अतः इसका अनुसमर्थन स्थगित रखा गया।

(ग) 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निम्नलिखित अभिसमयों को अपनाया गया :

(1) अभिसमय संख्या 172 जो होटल, रेस्तरां तथा इसी प्रकार के प्रतिष्ठान में, कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित हैं; 1991

(2) अभिसमय संख्या, 173, जो कर्मकारों के नियोजकों के दिवालिएपन की दशा में कर्मकारों के दावों के संरक्षण से संबंधित हैं, 1992

(3) अभिसमय संख्या, 174, जो प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाएं रोकने से संबंधित हैं, 1993

भारत सरकार द्वारा अभी तक इनमें से किसी का भी अनुसमर्थन नहीं किया गया है।

औद्योगिक घरानों पर बैंकों के बकाया ऋण

336. **श्री के. प्रधानी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों पर बैंक ऋण की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में शीर्षस्थ चूककर्ताओं के खातों का तथा इनमें से प्रत्येक खाते में अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 20 बड़े औद्योगिक घरानों को स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए 7387 करोड़ रुपये की कुल राशि बकाया है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और उनमें प्रचलित रीतिरिवाजों और प्रथाओं के अनुसार उनके अलग अलग घटकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार

337. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक बार फिर व्यापार सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों देशों से आयात और निर्यात की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1993–94 के दौरान इन दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) यह मुख्य रूप से दोनों देशों के उद्योग एवं वाणिज्य वर्गों पर निर्भर करता है कि वे माल की जरूरतों और प्रतियोगिता के आधार पर एक दूसरे के निर्यात तथा आयात की मदों का चयन करें। फिर भी, निर्यात तथा आयात की संभावित मदें निम्नानुसार हैं :–

भारत से निर्यात की मदें :– चाय, काफी, मसाले, अचार, काजू, चावल, पारम्परिक आभूषण, वस्त्र परिधान, परिवहन उपस्कर, मोटर गाड़ी के पुरजे, चमड़े का सामान, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इंजीनियरी एवं रसायन उत्पाद, आदि।

दक्षिण अफ्रीका से आयात की मदें :– राक फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, एस्बेस्टोस, धात्विक अयस्क एवं उत्पाद, ढलवां लोहा, जिंक, अखबारी कागज, अपरिष्कृत हीरे, कोयला खनन तकनालाजी तथा उपस्कर और कुछ निश्चित रसायन आदि।

(ग) दक्षिण अफ्रीका को होने वाले निर्यात में काफी वृद्धि होने की आशा है, यद्यपि इस समय उसके मूल्य का सही–सही आंकलन करना कठिन है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण

338. **श्री शांताराम पोत दुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 5 से 6 अरब डालर के मध्यवधि उधार की जो बात चल रही थी, स्थगित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रूई का निर्यात

339. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित बुनकर मोर्चा ने सरकार से रूई के निर्यात को कम करने तथा बुनकरों को सस्ती दर पर रूई प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) सरकार का प्रयास मूल्य–वर्धित मदों के निर्यात को बढ़ाने का रहा है। दीर्घवधि नीति के अनुसार कच्ची कपास के निर्यात की अनुमति दी जाती है, जोकि चालू मौसम में कपास फसल के आकार, पिछला बकाया स्टाक आदि पर निर्भर करता है। निर्यात के लिए कोटा रिलीज करते समय विकेन्द्रीयकृत क्षेत्रों

में बुनकरों की घरेलू आवश्यकता तथा मिलों की खपत आदि और कपास उपजकर्त्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

340. **श्री चित्त बसु** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एककों का नवीकरण कार्य शुरू करने हेतु 14 करोड़ रुपये के नियतन का वचन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि दे दी गई है; और

(ग) शेष राशि कब तक दे दी जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) 10 जून 1993 को हुई बैठक में राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. की मिलों (डब्ल्यू बी. ए. बी. एंड ओ.) की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को 15.5 करोड़ रु० आंका गया था। इस राशि में से 4.5 करोड़ रुपये पहले हीं राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. को उपलब्ध करा दिए गए थे और शेष 11 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं, जिसमें से 6.40 करोड़ रुपये नगद तथा 4.60 करोड़ रुपये कपास के रूप में हैं।

[अनुवाद]

गैट द्वारा दिए गए सुझाव

341. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैट ने भारत के व्यापार साझेदारों से भारत में चल रहे स्वायत्तशासी व्यापार संबंधी सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए और अधिक बाजार पहुंच तथा स्थाई व्यापार वातावरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें कितने सुझावों को मान लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (टी.पी.आर.एम.) के तहत भारत की व्यापार नीति की प्रथम समीक्षा दिनांक 19–20 अक्तूबर, 1993 को की गई थी। समीक्षा के लिए गाट सचिवालय द्वारा तैयार रिपोर्ट में निम्नलिखित अभिमत दिए गए हैं :

1. भारत बाह्य व्यापार संबंधी बाधाओं और व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा। भारत के स्वायत्त व्यापार सुधारों की भावी प्रगति एवं गहनता एक खुली स्थायी और प्रतिवाद्य विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्था को बनाए रखने पर निर्भर है, जो प्रमुख

निर्यात बाजारों में संरक्षणवादी दबाव का पूरी तरह सामना कर सके। अतः यह महत्वपूर्ण है कि भारत के व्यापार भागीदार अपने विकासशील निर्यात आधार के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करके तथा स्थायी व्यापार दशाओं द्वारा भारत की स्वायत्त उदारीकरण प्रक्रिया में सहायता करने के अपने उत्तरदायित्व को समझें। यह गाट में वस्त्र व्यापार के समन्वय सहित उरुग्वे दौर के सफल समापन के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है।

2. गाट काउन्सिल के अध्यक्ष ने अपनी समापन टिप्पणी में अपने स्वयं के उत्तरदायित्व के विषय में कहा कि "... इन सुधारों को निर्धारित रूप से जारी रखने के लिए अत्याधिक प्रोत्साहन दिया गया है। यह पता लगा है कि भारत के व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल बाह्य वातावरण से सुधारों के लिए आवश्यक सहायता मिलेगी और यह कि इस सबंध में, उरुग्वे दौर के सफल समापन का महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान होगा।"

3. भारत उरुग्वे दौर में वस्त्र एवं अन्य हित के क्षेत्रों में बढ़ी हुई बाजार पहुंच के लिए बातचीत कर रहा है।

विमानन से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं

342. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानन से संबंधित पर्यावरणीय समस्यों पर काबू पाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पक्षियों के विमानों से टकराने को रोकने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद हवाई अड्डों के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार की गई हैं। संबंधित राज्य सरकारों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। हवाई अड्डों के आस-पास पक्षियों को आकर्षित करने के स्त्रोतों का पता लगाने और उपचारी उपाय करने के लिए सभी हवाई अड्डों पर हवाई क्षेत्र पर्यावरण प्रबन्ध समितियां स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सचिव (नागर विमानन) की अध्यक्षता में गठित समिति पक्षियों के खतरे को नियंत्रित करने के उपायों से संबंधित एजेन्सियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में शीर्षस्थ उच्च तकनीकी संस्थान की स्थापना

343. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का दर्जा बढ़ाने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए बंगलौर में एक शीर्षस्थ उच्च तकनीकी संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) जी हां महोदय, प्रस्ताव योजना के प्रारम्भिक चरण में है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

युनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा बीमा दावों का भुगतान

344. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 1993 की अपनी रिपोर्ट संख्या 3 में वैध बीमा व्यवस्था न होने और बीमे की पूरी किस्तें न चुकाये जाने की सूरत में भी यूनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा दावों का भुगतान न किये जाने की ओर इशारा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संगत विवरण संलग्न है। भारतीय साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.आई.) ने फरवरी, 1990 में समुचित मार्ग निर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए थे, ताकि इसकी सहायक कम्पनियों को बीमा अधिनियम की धारा 64 वी. बी. के उल्लंघन के ऐसे मामलों, जैसा कि दिसम्बर, 1989 तक हुए थे, के निपटान के लिए समर्थ बनाया जा सके। पथभ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की गई थी। जी.आई.सी.आई. की सहायक कम्पनियों के बोर्डों द्वारा बीमा अधिनियम की धारा 64 वी.बी. के उपबंधों के अनुपालन के परिवीक्षण की एक प्रणाली शुरू की गई है, ताकि ऐसे उल्लंघनों के दोबारा न होने को सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

वैध बीमा कवर के बिना और पूरा प्रीमियम प्राप्त किए बिना युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा दावों की अदायगी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अपनी १९९३ की रिपोर्ट संख्या ३ में उल्लेख किए गए मामलों का ब्यौरा।

(1) कम्पनी को 1.4.1986 से 31.3.1987 की अवधि के लिए भारत में किसी स्थान से भारत में किसी स्थान तक पारगमन की एक बीमा पालिसी जारी की गई थी, जिसमें सभी जोखिम

शामिल थे। बीमित ने क्षति के लिए दावा किया और 11.12.1987 को 5,27,913 रुपये का दावा अदा किया गया था हालांकि केवल 5.2.1987 और 1.4.1987 को प्रीमियम हेतु क्रमशः 16,277 और 21,308 रुपये प्राप्त हुए थे और बीमाकर्ता दावा अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। बैंक गारंटी में प्रीमियम शामिल नहीं था, चूंकि कम्पनी के प्रति बहुत सी अन्य देनदारियां बैंक गारंटी की राशि से अधिक थी।

(2) वर्ष 1987 में एक अग्नि पालिसी जारी की गई थी, जिसमें 31.12.1987 से 30.12.1988 तक एक वर्ष के लिए 19,24,59,000 रुपये मूल्य की मदों का बीमा किया गया था। 7,71,202 रुपये का प्रीमियम देय था और 11.8.1988 को 2,34,875 और 30.8.1988 को 4,00,000 रुपये प्राप्त हुए थे। 28.10.1988 को बट्टे के लिए 1,26,822 रुपये के प्रीमियम की वापसी की गई थी। 24.5.1988 को एक विस्फोट हुआ और हानि का मूल्यांकन 1,13,612 रुपये किया गया। 24.2.1989 को 1,11,112 रुपये के लिए दावा अदा किया गया हालांकि बीमाकर्ता कानूनी रूप से दावा की अदायगी के लिए उत्तदायी नहीं था। 24.5.1988 को बीमित की 7,90,000 रुपये की बैंक गारंटी प्राप्त हुई थी, परन्तु इस गारंटी से 7,90,000 रुपये से अधिक की अन्य देनदारियां पूरी की जा चुकी थीं।

(3) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. (एन.आई.ए.) द्वारा किसी कम्पनी के भवन, सयंत्र और मशीनरी स्टाक और प्रक्रियागत स्टाक का बीमा किया गया था, जिसमें सह–बीमा आधार पर 1.7.1988 से 30.6.1989 तक 38.86 करोड़ रुपये का जोखिम शामिल था। यह कारोबार एन.आई.ए. और यूनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनी लि. (यू.आई.आई.सी.) और नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. (एन.आई.सी.) के बीच 60:20:20 के अनुपात में था। बीमित ने एन. आई. ए. से अग्रणी के रूप में कवर लेने से पहले, उनको 30 जून, 1988 को सूचित किया कि प्रीमियम का उनका हिस्सा उनको सीधे ही अदा कर दिया जाएगा। पिछली पालिसी के आधार पर देय अस्थायी कुल प्रीमियम 9,50,000 रुपये बैठता था। कम्पनी के अस्थायी प्रीमियम के 60 प्रतिशत के हिस्से के लिए एन.आई.ए. ने 5.50 लाख रुपये की राशि (1.7.88 को 4 लाख रुपये और 4.7.1988 को 1.50 लाख रुपये) एकत्रित की। एन.आई.ए. को 6.58 लाख रुपये का (60 प्रतिशत हिस्सा) अंतिम प्रीमियम 29.8.88 को निश्चित किया गया था। न तो यू.आई.आई.सी. और न ही एन.आई.सी. को प्रीमियम के उनके 20 प्रतिशत प्रत्येक के हिस्से की अदायगी की गई।

22.9.1988 से 26.9.1988 तक बाढ़ द्वारा बीमित परिसम्पत्तियों को क्षति हुई और 30.41 लाख रुपये (60 प्रतिशत) की हानि का मूल्यांकन किया गया। 27.9.1988 अर्थात् बाढ़ के पश्चात केवल एन.आई.ए. द्वारा बीमित 1.08 लाख रुपये का शेष प्रीमियम प्राप्त किया गया। फिर भी एन.आई.ए. द्वारा बीमित को 30.41 लाख रुपये के दावे की अदायगी की गई और सह–बीमाकर्ताओं को हानि के उनके 20 प्रतिशत हिस्से को अदा करने के लिए कहा गया था। यू.आई.आई.सी. ने भी 10.14 लाख रुपये अदा किए।

बीमा नियम 59 (घ) के अनुसार, अतिरिक्त प्रीमियम इसके निर्धारण की तारीख से 15 दिन के अन्दर वसूल किया जा सकता है, जिसके न होने पर 15 दिन की समाप्ति पर बीमा कवर को रद्द किया जाना था। बीमित द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम 13.9.1988 तक अदा किया जाना था

और चूंकि वह ऐसा करने में असमर्थ रहा, इसलिए एन.आई.ए. को बीमा कवर रद्द कर देना चाहिए था। ऐसा न करने के फलस्वरूप एन.आई.यू. द्वारा 30.40 लाख रुपये के परिहार्य दावे की अदायगी करनी पड़ी। चूंकि आई.आई.सी. को कोई प्रीमियम अदायगी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए 10.13 लाख रुपये का दावा पूर्णरूप से परिहार्य था और कानूनी दृष्टि से कोई बीमा संविदा विद्यमान नहीं था।

मंत्रालय ने उल्लेख किया था (दिसम्बर, 1991) कि फील्ड आफिसरों के मन में गलतफहमी थी।

कमजोर वर्गों के लिए ऋण योजनाएं

345. **डा. ए. पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने का कष्ट करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए आरंभ की गई ऋण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने राज्यवार धन का कितना-कितना वितरण किया; और

(ग) ऋण योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या जांच पड़ताल की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक पता लगाए गए हिताधिकारियों को अपने आर्थिक उत्थान के लिए अर्थक्षम योजनाएं शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक भी उत्पादक उद्यमों के लिए उन्हें ऋण प्रदान करके समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए स्वयं भी योजनाएं तैयार करते हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रदान करें। सरकारी कार्यक्रमों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) स्वरोजगार उद्यम शुरू करके गरीबी रेखा को पार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों के चुने हुए परिवारों की सहायता करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सहायता पाने वाले कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित होने चाहिए और सरकार द्वारा प्रदान की गई कम से कम 50 प्रतिशत सहायता भी इन श्रेणियों को मिलनी चाहिए। वर्ष 1990-91, 1991 92 और 1992-93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान की गई राज्यवार राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) कमजोर वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्य-निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर बैंकों के निदेशक बोर्डों, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है और ध्यान में आई कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

विवरण

बैंक ऋण की राशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	9839.48	6755.60	7248.44
अरुणाचल प्रदेश	113.85	100.15	62.28
असम	2868.54	1973.68	1067.13
बिहार	14953.23	12633.66	10812.63
गोवा	163.64	156.66	169.13
गुजरात	2793.47	2925.55	2738.28
हरियाणा	1267.83	978.80	669.85
हिमाचल प्रदेश	502.74	420.34	304.61
जम्मू व कश्मीर	471.32	468.58	196.35
कर्नाटक	4784.79	4217.71	4274.85
केरल	2560.80	2478.94	2250.78
मध्य प्रदेश	12779.21	13220.68	9786.48
महाराष्ट्र	8789.35	8880.01	8711.95
मणिपुर	61.62	46.16	31.88
मेघालय	161.87	162.69	95.41
मिजोरम	20.92	16.95	16.94
नागालैण्ड	126.10	161.80	126.58
उड़ीसा	3253.19	3869.12	3479.03

1	2	3	4
पंजाब	1567.57	1320.64	1521.05
राजस्थान	4737.57	5700.00	4509.87
सिक्किम	59.99	73.88	55.61
तमिलनाडु	5990.88	5866.71	6067.71
त्रिपुरा	429.63	710.23	252.95
उत्तर प्रदेश	31133.33	29830.32	28957.21
पश्चिमी बंगाल	10142.98	9630.34	8588.35
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	62.95	59.96	28.15
चंडीगढ़	–	–	–
दमन व दीव	27.44	23.72	39.25
दादरा व नागर हवेली	14.95	14.75	18.75
दिल्ली	61.84	28.35	–
लक्षद्वीप	7.31	5.43	6.38
पांडिचेरी	56.64	40.28	23.79
अखिल भारत	119003.12	114733.51	102112.37

राज सहायता के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुझाव

346. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकार को एक साथ सभी राजसहायता बंद कर देने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सभी आर्थिक सहायता को एक साथ बंद कर देने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अपनी राजकोषीय समेकन के एक हिस्से के रूप में सरकार आर्थिक सहायता के बेहतर लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयत्न कर रही है।

सिगरेटों का आयात

347. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में सिगरेटों का आयात किया गया.

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सिगरेटों के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने सिगरेटों के आयात में कमी करने हेतु कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान आयातित सिगरेटों की मात्रा संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	(मात्रा किग्रा. में)
1990-91	5,4852
1991-92	5,1301
1992-93	2,4547

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) सिगरेट चूंकि उपभोक्ता मद है, इसलिए उसे निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत निषेधात्मक आयात सूची में शामिल किया गया है। किन्तु, देश में स्थित राजनयिक दूतवर्ग के अनुरोध पर तथा यात्री सामान नियमावली के अधीन कुछ आयात तो किया ही जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

348. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान घाटे पर चलने के कारण कुल कितने बैंकों का अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय किया गया है और बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में भारतीय स्टेट बैंक समूह के सहायक बैंकों के पूर्ण विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों का अन्य बैंकों में विलय कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) तत्कालीन न्यू बैंक आफ इंडिया का 4 सितम्बर, 1993 को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था।

(ख) और (ग) सरकार को भारतीय स्टेट बैंक से उसके सात अनुषंगी बैंकों का एक अनुषंगी बैंक के रूप में विलय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस प्रस्ताव पर उसके विचार मांगे हैं।

[अनुवाद]

रूई नीति निर्यात

349. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री सी.के. कुप्पुस्वामी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूई निर्यात नीति में संशोधन करने तथा उसे उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका रूई के घरेलू बाजार तथा कपास उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रूई का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई कपास की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :–

मात्रा : लाख गाठ में--प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की

मूल्य : करोड़ रु. में

क्रम सं.	वर्ष	लदान की गई मात्रा	अर्जित विदेशी मुद्रा
1.	1990-91	11.90	620.54
2	1991-92	0.77	38.75
3	1992-93	13.766	725.37

टायर में प्रयोग होने वाले इस्पात के तार पर आयात शुल्क

350. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय टायर में प्रयुक्त होने वाले इस्पात के तार का स्वदेश में उत्पादन नहीं होता है और उत्पादको द्वारा रेडियल टायरों के उत्पादन में प्रयोग के लिए उसका आयात किया जाता है;

(ख) क्या टायर मे प्रयुक्त होने वाले इस्पात के तार के आयात पर भारी आयात शुल्क लगाया जाता है और उत्पादित टायरों पर भारी टैक्स का प्रभाव पडता है, जिसके कारण बाजार में कारों, ट्रकों, दुपहिया अथवा तिपाहिया वाहनों के टायरों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) जी, हां।

(ख) टायर में प्रयुक्त होने वाले इस्पात के तार पर मूल सीमाशुल्क 85 प्रतिशत है। यह दर केवल टायर में प्रयुक्त होने वाले इस्पात के तार पर ही नहीं अपितु, अन्य बहुत सी मदों पर भी लागू होती है। टायरों पर उत्पाद शुल्क की भिन्न-भिन्न विनिर्दिष्ट दरें लागू होती हैं। इसके मूल्य निर्धारण में कई घटक शामिल होते हैं, और उत्पाद शुल्क उनमें से एक घटक होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए चल रही बजट प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए, इस समय कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

समुद्र में मछली पालन परियोजनाओं में संयुक्त उद्यम

351. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ समुद्र में मछली पालन संबंधी परियोजनाओं के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की कोई भारतीय कम्पनी भी भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के साथ समुद्र में मछली पालन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने को इच्छुक हैं ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखजी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां, एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

एम.एम.टी.सी. लि. के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की इच्छुक गैर-सरकारी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के नाम निम्नानुसार हैं :

1. किंग्स इंटरनेशनल एक्वामैरीन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड तूतीकोरिन, तमिलनाडु.
2. सुवर्ण एक्वाफार्म्स एंड एक्सपोर्ट्स लि. हैदराबाद।
3. सुदेश सी फूड्स लि., बम्बई।
4. ओशियनिक फार्मस लि., सिकन्दराबाद।
5. रिचफील्ड एक्वा टैक लि., विजाग।
6. विशाखा एक्वा फार्म्स लि., विजाग।
7. अंबसन निप्पन फूड्स लि., कोचीन।
8. सूर्य फूड्स एंड इंडस्ट्रीज लि., भुवनेश्वर।
9. एक्वेरियस फिशरीज लि., वास्कोडिगामा, गोवा।

पेंशन भोगियों को अन्तरिम राहत

352. **श्री प्रकाश वी. पाटिल :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या पेंशन भोगियों की समस्याओं को भी पांचवें वेतन आयोग के पास भेजा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों को कोई अन्तरिम राहत दी जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारियों (सिविलियन) की संख्या लगभग 37.74 लाख है और पेंशन भोगियों (पारिवारिक पेंशन भोगियों सहित) की संख्या 29.56 लाख है।

(ख) से (घ) पांचवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषय विचाराधीन हैं।

(ङ) से (छ) पेंशन भोगियों को आन्तरिक राहत मंजूर करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत का भुगतान चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किया जा रहा है। चूंकि जीवनयापन की लागत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 की औसत से अधिक की वृद्धि होने पर पेंशन भोगियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए महंगाई राहत को चौथे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई रीति अनुसार 6 महीनों के अन्तरालों पर पुनरीक्षित किया जाता है, अतः इसी प्रयोजन के लिए अन्तरिम राहत मंजूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निर्यात

353. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन में स्थिरता का निर्यात पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात के लिए अतिरिक्त औद्योगिक उत्पाद न होने के बावजूद भी निर्यात में सतत वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान निर्यात में डालर के रूप में 20 प्रतिशत उत्साहवर्धक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि धीमी रही।

(ख) इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल है : नीति तथा प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना, आयात लाइसेंसिंग में पर्याप्त कमी करना, उच्च आयात टैरिफ में कटौती करना, कम ब्याज दरों पर अधिक निर्यात ऋण उपलब्ध कराना, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को मजबूत करना तथा राज्य सरकारों को व्यापक रूप में शामिल करना। समान रूप

में निर्यात उत्पादन को प्रोत्साहित करने और खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए विशेष निर्यात संवर्धन उपाय किए गए हैं।

विदेशी बैंक

354. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कार्यरत विदेशी बैंकों का ब्यौरा क्या है और इन बैंकों की शाखाएं कहां-कहां कार्यरत हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : इस समय 141 शाखाओं सहित 23 विदेशी बैंक (बी.सी.सी.आई.ओ. लि. को छोड़कर) भारत में कार्यरत हैं। इन बैंकों के विवरण और इनकी शाखाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्रम सं.	विदेशी बैंक का नाम	संस्थापन का देश	जिन स्थानों पर इस समय शाखाएं कार्यरत हैं	भारत में कुल शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	यू.एस.ए.	बम्बई–1 कलकत्ता–1 नई दिल्ली–1 मद्रास–1	4
2.	बैंक आफ अमेरिका एन. आई.एस.ए.	–तदैव–	मद्रास–1 कलकत्ता–1 नई दिल्ली–1 बम्बई–1	4
3.	सिटी बैंक एन.ए.	–तदैव–	बम्बई–2 कलकत्ता–2 नई दिल्ली–1 मद्रास–1	6
4.	ब्रिटिश बैंक आफ दि मिडल ईस्ट	यू.के.	बम्बई–1 त्रिवेन्द्रम–1	2

1	2	3	4	5
5.	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	यू.के.	अमृतसर–1 बम्बई–6 कलकत्ता–8 कोचीन–1 कानपुर–1 मद्रास–3 दिल्ली–2 गोवा–1 कालीकट–1	24
6.	बर्कलेस बैंक पीएलसी	यू.के.	बम्बई–1	1
7.	बांके नेशनल डि पेरिस	फ्रान्स	बम्बई–1 कलकत्ता–1 नई दिल्ली–1	3
8.	बांके इंडोस्यूज	तदैव	बम्बई–1	1
9.	सोसियेट जेनरल	तदैव	बम्बई–1	1
10.	क्रेडिट लुईनिस	तदैव	बम्बई–1	1
11.	बैंक आफ टोकियो लि.	जापान	बम्बई–1 कलकत्ता–1 नई दिल्ली–1	3
12.	दि साकुरा बैंक लि.	तदैव	बम्बई–1	1
13.	दि सनवा बैंक लि.	तदैव	नई दिल्ली–1	1
14.	डयुश बैंक	जर्मनी	बम्बई–1 दिल्ली–1	2
15.	ए.एन.जेड. ग्रिन्डलेज बैंक पी.एल.सी.	आस्ट्रेलिया	बम्बई–12 अमृतसर–2 बंगलौर–1 कलकत्ता–18 कोचीन–1	56

1	2	3	4	5
			इरनाकुलम–1 दार्जिलिंग–1 नई दिल्ली–10 कानपुर–1 मद्रास–4 टूटिकोरिन–1 शिमला–1 श्रीनगर–1 गुवाहाटी–1 हैदराबाद–1	
16.	हांगकांग शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	हांगकांग	बम्बई–7 कलकत्ता–9 मद्रास–1 विशाखापट्टनम–1 नई दिल्ली–2 बंगलौर–1	21
17.	अबूधाबी कमर्शियल बैंक लि.	यू.ए.ई.	बम्बई–1	1
18.	मशरक बैंक पी.एस.सी. (भूतपूर्व बैंक आफ ओमान लि.)	–तदैव–	बम्बई–1	1
19.	ओमान इन्टरनेशन बैंक एस.ए.ओ.	सल्तनत आफ ओमान	बम्बई–1	1
20.	बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत बीएससी	बहरीन	बम्बई–1	1
21.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	कनाडा	बम्बई–1	1
22.	एबीएन एमरो बैंक एन.वी.	नीदरलैंड	बम्बई–2 कलकत्ता–1 नई दिल्ली–1	4
23.	सोनाली बैंक	बांग्लादेश	कलकत्ता–1	1
		कुल योग		141

राष्ट्रीय बैंकों का पुनर्गठन

355. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घाटे में चलने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों का फिर से पुनर्गठन करने की योजनाओं का परित्याग कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की अर्थक्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से, चालू वर्ष (1993–94) के बजट में 5,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस अतिरिक्त शेयर पूंजी को रिलीज करवाने के लिए एक पहली आवश्यकता के तौर पर, स्टाफ उत्पादकता आस्ति प्रबंधन और निष्क्रिय आस्तियों में कमी आदि जैसे क्षेत्रों समेत अपने परिचालनों का पुनर्गठन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता करें।

बौद्ध तीर्थ स्थल

356. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री जर्नादन मिश्र :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में बौद्ध तीर्थस्थलों को विमान सेवा से जोडने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गुजरात के किन–किन स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) देश के बौद्ध तीर्थ–स्थलों के लिए विमान सेवा पटना, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद और बड़ौदा जाने वाली उड़ानों से उपलब्ध कराई जाती है। तत्काल भविष्य में किसी नये केन्द्र को जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्तरी राज्यों द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन

357. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास में उत्तरी राज्यों के कार्य निष्पादन का मूल्याकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबंध

358. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1991 में तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति में, उनके मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तम्बाकू के सेवन पर विभिन्न प्रतिबंध लगाने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में अल्प बचत संग्रह

359. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में अल्प बचत संग्रह में कमी के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार के ये प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज की दर बढ़ाना, कर संबंधी लाभों का विस्तार, अल्प बचत ऋणों की वसूली का आस्थगन और ऐसे ऋणों को निरन्तर ऋणों के रूप में मानना शामिल है।

(ग) और (घ) कतिपय अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें अप्रैल, 1992 में बढ़ायी गई थीं। धारा 80 के तहत कर रियायत की सीमा 7(XX) रुपए से बढ़ाकर 10,(XX) रुपए कर दी गई थी।

मौजूदा वर्ष के दौरान अब तक अल्प बचत संग्रहणों में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान संग्रहणों की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

केन्द्र के बजटीय दबाव को देखते हुए वसूलियों के आस्थगन से सहमत होना अथवा अल्प बचत ऋणों को निरन्तर ऋणों के रूप में मानना संभव नहीं पाया गया है।

बीमा क्षेत्र में सुधार करने संबंधी समिति

360. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बीमा क्षेत्र में सुधारों के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नए उड्डयन नियम/नीति

361. **श्री काशी राम राणा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विमान चालकों और विमानन कंपनियों के लिए ऐसे नए उड्डयन नियम/नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा, विमानों के उपयुक्त रख–रखाव और भारी खर्च में कटौती सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विमान चालकों के लिए विमानन नियमों को बदलने के कोई नये प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, हाल ही में, वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची 2 में, जिसका संबंध लाइसेंस जारी करने के लिए विमान चालकों द्वारा पूरा किए जाने वाले मानदंडों से है। एक संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त विमान चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षिण योग्यता के संबंध में भी एक नया नियम लागू किया गया है।

नागर विमानन महानिदेशक द्वारा एयरलाइनों/एयर टैक्सी प्रचालकों की एयर आपरेटर्स प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी एक नये नियम की नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा छानबीन की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स की संचित हानि

362. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व बैंक ने इंडियन एयरलाइन्स की बढ़ती हुई संचित हानि के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) हानि को कम करने के लिए, इंडियन एयरलाइंस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(1) ग्राउंड और विमान में दोनों पर ग्राहक सेवाओं में सुधार;

(2) अधिक और निःशुल्क उड़ान, प्वाइंट टू प्वाइंट किराये, अंतर्देशीय टूर पैकेज इत्यादि जैसी योजनाएं आरंभ करना;

(3) समय पर कार्य-निष्पादन पर निकट से निगरानी रखना;

(4) एजेंट के लिए उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन सहित विपणन नीतियों में परिवर्तन;

(5) सुविधाजनक समयावलियां बनाना;

(6) वर्तमान बेड़े की उपयोगिता को बढ़ाना;

(7) अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन में वृद्धि; तथा

(8) अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाना।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के ढांचे में परिवर्तन

263. **श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के ढांचे में परिवर्तन करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लागू की गई/की जाने वाली समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) ने श्री एन. वागुल, अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की अध्यक्षता में जुलाई 1993 में एक समिति का गठन किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या यू.टी.आई. को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों के अधीन लाया जाएगा, यदि ऐसा है तो वे कौन से विशिष्ट विचार होंगे, जो यू.टी.आई. का विशेष दर्जा दर्शाने के लिए विनियमों में समाविष्ट किए जाने होंगे।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सुझाव दिया है कि यू.टी.आई. को एक अथवा एकाधिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अपनी शत-प्रतिशत सहायक कंपनियों के रूप में बनानी चाहिए ताकि म्यूचुअल फण्ड के प्रबन्ध का कार्य सेबी की अपेक्षाओं के अनुसार पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले सके। समिति ने प्रस्तावित एसेट मैनेजमैंट कंपनी के लिए बंद सिरा योजनाओं (क्लोज्ड एन्डेड स्कीम्स) के प्रबन्ध का हस्तांतरण करने की सिफारिश की है।

(ङ) सरकार ने यू.टी.आई. को संकेत दिया है कि वे एसेट मैनेजमैंट कंपनी की स्थापना करें और परिसंपत्ति प्रबन्ध योजना के लिए बंद सिरा योजना (क्लोज्ड एन्डेड स्कीम) के प्रबंध हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करे। "सेबी" एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कार्यकलापों और व्यापार और इसके द्वारा प्रबन्धित योजनाओं पर पूर्ण विनियामक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अनिवासी भारतीयों के लिए इलाहाबाद बैंक की शाखाएं

364. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक का अनिवासी भारतीयों के लिए अपनी शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) ऐसी शाखाएं खोलने के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि वह अनिवासी भारतीयों के लिए अपनी

शाखाएं खोलने पर विचार कर रहा है। ऐसी शाखाएं खोलने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जहां के रहने वालों के विदेशों के साथ नियमित संबंध हैं, अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों और अनिवासी भारतीयों के कारोबार की विशाल सम्भाव्यताओं का लाभ उठाना है। यह विशेष सेवा अनिवासी भारतीयों, नागरिकों की कुशल सेवा करना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने पंजाब में जालंधर में अनिवासी भारतीयों के लिए एक शाखा स्थापित करने का निर्णय लिया है।

भारत के आर्थिक सुधारों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्वीकृति

365. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत द्वारा अपनी आर्थिक नीति में किए गए कुछ सुधारों को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र हैं, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय सुधारों को स्वीकृति प्रदान नहीं की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों का सूत्रपात सरकार द्वारा स्वयं ही किया गया था तथा इन सुधारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है तथापि, अंतर्राष्ट्रीय कोष ने अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक सुधारों को अपनाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

366. **श्री एस.बी. सिदनाल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को लागू करने में कितना धन लगेगा; और

(घ) इस योजना के लागू करने पर विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि होगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) 5 मई, 1992 को संसद में प्रस्तुत की गई पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में आगामी पांच वर्षों के भीतर विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा 0.4 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 1 प्रतिशत की परिकल्पना की गई है। पर्यटक उत्पादों में विविधता लाकर, पर्यटक सुविधाओं तथा आधार भूत-संरचना का सुधार करके और अभिनिर्धारित परिपथों एवं विशेष पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास

करके यह लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में लगने वाली कुल पूंजी का कार्य योजना में जिक्र नहीं किया गया है।

केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध

367. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बजट संबंधी घाटे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों की पुनरीक्षा तथा इसमें संशोधन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सलाह दी गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र आधारित हस्तशिल्प का निर्यात

368. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद विदेशों को, विशेष रूप से जापान को, वस्त्र आधारित हस्तशिल्प के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान परिषद को प्राप्त निर्यात आर्डरों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न निर्यात उपायों के कारण वस्त्र आधारित हस्तशिल्प के विदेशों को, खासकर जापान को निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हाथ से बने सूती कालीनों सहित वस्त्र आधारित हस्तशिल्प के कुल निर्यात 1992-93 में 345.48 करोड़ रु. के हुए, जबकि 1990-91 में 291.08 करोड़ रुपए के हुए थे। जापान को हुए इन उत्पादों के कुल निर्यात 1990-91 में 18.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 1992–93 में 22.92 करोड़ रु. के हो गए, जो लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद कोई निर्यात आदेश सीधे नहीं प्राप्त करती है। यह भारत से हस्तशिल्प के निर्यात के संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों को आरम्भ करके एक निर्यात संवर्धन संगठन के रूप में कार्य करती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में किसानों को ऋण

369. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक ने चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न/सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए कितने किसानों को ऋण दिये,

(ख) क्या इन ऋणों को देने में बहुत समय लगाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अविलम्ब ऋण बांटने के निदेश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकडा सूचना प्रणाली से उन किसानों की संख्या संबंधी आंकडे जिन्हें खाद्यानों/सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा ऋण प्रदान किए गए अलग से प्राप्त नहीं होती है। तथापि उन खातों की संख्या जिनमें जून 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि और सहायक कार्य–कलापों के लिए ऋण संवितरित किया गया 4,34,544 है।

(ख) और (ग) किसानों, विशेषतया लघु और सीमांतक किसानों को ऋण के प्रवाह को बढाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण ये हैं :–

(1) बैंकों को निदेश दिए गए हैं 25(X) रुपये की ऋण सीमा तक के सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अन्दर और 25(X) रुपये से अधिक के आवेदनों को ४ से ७ सप्ताह के अन्दर निपटाया जाए।

(2) आवेदनों के तीव्र निपटान को सुगम बनाने के लिए आवेदन क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए गए हैं। मार्जिन/जमानत के बारे में शर्तों को आवेदन फार्म के दूसरी ओर छापा गया है।

(3) उच्च प्राधिकारी को संदर्भ भेजे बिना कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने की विवेकाधीन शक्तियां बैंकों के सभी शाखा प्रबंधकों को दी गई हैं।

(4) यदि ऋण के संवितरण में देरी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है।

बुनकरों की वित्तीय स्थिति

370. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बुनकरों की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें सस्ते दर पर कपास उपलब्ध कराने और उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों के लिए विक्रय बाजार सुविधा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार विभिन्न चालू योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :

(1) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी नामक योजना, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे के बुनकरों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के लिए पूंजी सहयोग

(2) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, जिसमें चुनिंदा ग्रामों में हथकरघा बुनकरों की ओर विशेष ध्यान देना और उनकी कार्यकौशलता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने आदि के लिए पैकेज सुविधा देना शामिल है।

(3) प्रोजैक्ट योजना, जिसमें आवश्यकता आधार पर विशेष लक्षित समूह अथवा विशेष क्षेत्र अथवा किसी विशेष उत्पाद के विकास के लिए लाभ देना शामिल है।

(4) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न की आपूर्ति की योजना।

(5) सिल्क यार्न बैंक योजना।

(6) जनता कपड़ा योजना, जिसमें अल्प रोजगार और बेरोजगार हथकरघा बुनकरों को निरंतर रोजगार दिया जाएगा।

(7) विपणन विकास सहायता योजना।

हथकरघा बुनकरों का निवेश और विपणन सहयोग के लिए पूर्ण पैकेज सहायता देने हेतु अभी हाल ही में देश के विभिन्न भागों में हथकरघा विकास केंद्रों की स्थापना के लिए एक योजना घोषित की गई है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार

371. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेन्सी ने देश के पूंजी बाजार के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु भारत सरकार के साथ किसी करार पर दस्तखत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय संस्था सुधार और विस्तार परियोजना के लिए संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 27 सितम्बर, 1993 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत पांच वर्षों की अवधि के बौरान कुल 20 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान

सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह अनुदान सहायता भारत के पूंजी बाजार के विकास के लिए है तथा इसका उपयोग संबंधित भारतीय संगठनों द्वारा तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

उपरिलिखित के अतिरिक्त, भारतीय वित्तीय संस्थाओं को आवास गारंटी निधि के रूप में 125 मिलियन अमरीकी डालर की राशि भी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें शहरी आधारभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता मिलेगी।

मुद्रास्फीति की दर

372. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 4 माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्वाइंट-दर-प्वाइंट आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही है;

(ग) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का क्या कारण है;

(घ) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने मुद्रास्फीति की दर को कम करने और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) पिछले चार महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के ब्यौरे विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं।

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की साप्तहिक दर विवरण 3 में दशायी गई है।

(ग), (घ) और (ङ) सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि, लम्बे समय तक सूखे की स्थिति, ट्रक वालों की हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं और कच्चे पदार्थों की आवाजाही में व्यवधान पिछले चार महीनों के दौरान हुई मूल्यों में वृद्धि के कुछ कारणों में से हैं। चावल और गेहूं के लिए उच्च समर्थन/वसूली मूल्य न्यूनतम स्तर का काम करते हैं, जिससे नीचे थोक मूल्य नहीं गिर सकते। कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ में सामान्य वृद्धि दिखाई देती है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर को नीचे लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल हैं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आबंटन के माध्यम से खाद्य पूर्तियों में वृद्धि करना, खाद्य तेलों का समय पर आयात करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना और बढ़े हुए औद्योगिक उत्पादन के लिए एक नीतिगत ढांचा सुनिश्चित करना।

विवरण I

आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

वस्तुएं	भार	1993			
		जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1	2	3	4	5	6
सभी वस्तुए	100.00	7.3	8.0	7.4	7.5
चावल	3.69	5.0	6.4	8.2	10.6
गेहू	2.25	6.7	4.1	9.1	13.6
ज्वार	0.42	–35.6	–36.4	–29.0	–28.6
बाजरा	0.18	–37.4	–30.7	–16.3	–0.7
चना	0.41	37.4	42.9	54.2	65.0
अरहर	0.27	–4.0	–1.7	4.0	9.5
मूंग	0.20	–10.7	–7.8	–0.1	11.8
मसूर	0.05	0.2	–6.4	–0.8	4.9
उडद	0.15	–14.3	–15.2	–11.0	–3.6
आलू	0.47	19.4	25.2	32.1	38.3
प्याज	0.16	–12.7	5.8	59.3	116.0
दूध	1.96	10.7	11.7	5.2	3.3
मछली	0.51	12.6	34.3	27.1	26.4
मांस	0.52	9.6	10.1	8.7	8.7
मिर्च (शुष्क)	0.32	–61.4	–61.5	–62.0	–60.8
चाय	0.56	13.8	20.8	29.9	21.5

1	2	3	4	5	6
कोकिंग कोयला	0.35	20.4	20.4	20.4	20.4
मिट्टी का तेल	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0
आटा	0.76	−0.7	−0.9	4.2	5.1
चीनी	2.01	12.4	13.8	13.5	14.7
गुड़	1.75	57.8	59.9	67.0	52.7
नमक	0.04	10.3	10.5	11.9	12.9
हाइड्रोजेनेटिड वनस्पति	0.52	−14.4	−12.3	−9.5	−8.8
तोरिया और सरसों का तेल	0.28	−4.4	−5.4	−2.4	−0.8
नारियल का तेल	0.17	−10.1	−16.3	−16.6	−20.3
मूंगफली का तेल	0.53	−12.7	−7.5	7.9	7.9
लट्ठा/चदरें	0.36	6.6	8.3	9.0	9.0
धोतियां, साडियां और लायन्स	1.19	5.0	10.7	10.5	14.1
घरेलू लांड्री साबुन	0.59	−4.9	−4.9	5.5	−6.2
माचिस	0.23	4.6	13.1	10.8	12.9
आवश्यक वस्तुएं	21.77	6.3	8.2	10.8	12.0

विवरण II

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

वस्तुएं	भार	1993			
		मई	जून	जुलाई	अगस्त
1	2	3	4	5	6
उ.मू.सू. (औ.श्र.) सामान्य	100.0	5.1	5.9	4.5	5.8

1	2	3	4	5	6
चावल	12.45	3.7	3.5	3.8	4.2
गेहूं	4.43	−2.2	−1.3	−1.9	−1.3
गेहू का आटा	1.75	−5.5	−3.5	−1.9	−1.9
ज्वार	0.46	−24.6	−25.3	−26.1	−29.2
बाजरा	0.16	−40.3	−37.1	−37.8	−34.8
मूंग	0.53	−0.9	−4.0	−3.3	−5.0
चना	0.08	16.7	25.3	27.1	32.8
मसूर	0.41	−7.2	−5.6	−5.9	−5.0
अरहर	1.69	−1.4	−0.8	−3.3	−3.3
उड़द	0.35	−7.5	−6.4	−5.6	−6.4
नारियल का तेल	0.09	−6.9	−8.0	−13.3	−17.7
मूंगफली का तेल	2.27	−21.4	−10.8	−10.3	−1.7
सरसों का तेल	1.44	−10.1	−3.7	−3.3	−6.0
वनस्पति	0.78	−15.7	−12.2	−11.0	−9.7
बकरी का मांस	2.12	11.3	11.0	10.2	9.5
ताजा मछली	1.31	20.6	20.5	17.7	22.0
दूध	5.52	7.3	7.6	7.6	7.8
नमक	0.15	5.9	6.1	5.4	6.1
मिर्च	0.63	−53.2	−54.7	−55.0	−55.7
प्याज	0.67	26.3	11.0	−7.3	6.5
आलू	1.23	19.5	10.7	5.6	21.5

1	2	3	4	5	6
चीनी	2.24	3.3	20.6	15.9	18.1
गुड़	0.47	81.8	52.3	47.1	49.0
चायपत्ती	0.82	40.5	24.2	24.4	24.3
कच्चा कोयला	0.80	14.3	5.8	8.1	7.5
मिट्टी का तेल	1.82	–48.4	2.0	1.3	1.1
माचिस	0.23	20.3	9.4	8.1	–1.3
वाशिंग सोप	1.33	–1.7	1.8	2.1	3.1
लट्ठा	0.20	88.0	12.7	12.9	10.7
धोतियां	0.35	21.6	11.1	11.5	11.7
साड़ियां	2.05	12.8	13.7	13.9	13.7
आवश्यक वस्तुएं	48.83	–0.1	2.8	2.2	3.4

विवरण III

मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर

(थोक मूल्य सूचकांक)

महीना	को समाप्त सप्ताह	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)
1	2	3
जुलाई		
	3-7-1993	6.9
	10-07-1993	7.1
	17-07-1993	7.1

1	2	3
	24-07-1993	7.4
	31-07-1993	7.5
अगस्त		
	07-08-1993	7.6
	14-08-1993	7.6
	21-08-1993	8.1
	28-08-1993	8.2
सितम्बर		
	04-09-1993	9.2
	11-09-1993	9.1
	18-09-1993	8.2
	25-09-1993	7.3(अ॰)
अक्तूबर		
	02-10-1993	7.4(अ॰)
	09-10-1993	7.4(अ॰)
	16-10-1993	7.1(अ॰)
	23-10-1993	7.5(अ॰)
	30-10-1993	7.9(अ॰)
नवम्बर		
	06-11-1993	8.4(अ॰)
	13-11-1993	8.5(अ॰)

अ. : = अनंतिम

जुलाहों के ऋण माफ करना

372. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश में जुलाहों के ऋण माफ करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि माफ की जाएगी;

(ग) इससे कितने जुलाहे लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सभी बैंक इस संबंध में सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को देश में बुनकरों के ऋण माफ करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किया है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

व्यापार घाटा

374. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री वीर सिंह महतो :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 की प्रथम छमाही के दौरान रुपयों, डालरों और एस.डी.आर. में पृथक-पृथक कितना-कितना व्यापार घाटा हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान निर्यात के प्रतिशत व्यापार के रूप में कितना प्रतिशत व्यापार घाटा हुआ;

(ग) इस अवधि के दौरान आयात के प्रतिशत के रूप में कितना प्रतिशत व्यापार घाटा हुआ;

(घ) इस अवधि के दौरान व्यापार के प्रतिशत के रूप में कितना व्यापार घाटा हुआ;

(ङ) इस अवधि के दौरान भुगतान संतुलन के प्रतिशत के रूप में कितना व्यापार घाटा हुआ;

(च) किन-किन मुख्य मदों के आयात में 1992-93 की इसी अवधि के दौरान वृद्धि हुई;

(छ) किन-किन मुख्य मदों के निर्यात में 1992-93 की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई;

(ज) किन-किन प्रमुख व्यापार साझीदारों का भारत के लिए निर्यात में 1992-93 की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) अप्रैल–सितम्बर 93–94 के दौरान व्यापार घाटे को रुपए, डालर तथा एस. डी. आर. में, और व्यापार घाटा निर्यात आयातों की प्रतिशतता के रूप में और अप्रैल-सितम्बर, 93-94 के दौरान कुल व्यापार को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ङ) चूंकि अप्रैल-सितंबर, 93 के भुगतान शेष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः भुगतान शेष की प्रतिशतता के रूप में व्यापार घाटा अभी उपलब्ध नहीं है।

(च) अप्रैल-अगस्त, 93 (नवीनतम अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान निर्यात की प्रमुख मदें, जिनमें 92-93 की तदनुरूप अवधि की तुलना में वृद्धि दिखाई देती है, वे हैं–चाय, काफी, तम्बाकू, विनिर्मित संसाधित खाद्य, लौह अयस्क, चमड़ा और कांच से बनी वस्तुएं, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरी माल, इलेक्ट्रॉनिक मदें आदि। अप्रैल-अगस्त, 93 के दौरान जिन मुख्य मदों का आयात किया गया और जिनमें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में वृद्धि दिखाई देती है, वे हैं : अखबारी कागज, अलौह–धातुएं, मोती, कीमती और अर्द्ध-कीमती रत्न, मशीनी औजार, परिवहन उपकरण, धातुओं से बनी वस्तुएं आदि।

(छ) अप्रैल-अगस्त, 93 के दौरान 92-93 की तदनुरूप अवधि की तुलना में प्रमुख जिन देशों को किए गए निर्यात में वृद्धि दिखाई देती है, वे हैं–बैल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड्स, यू.के., आस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यू.एस.ए., कनाडा, हांगकांग आदि।

(ज) अप्रैल–अगस्त, 93 के दौरान भारत द्वारा जिन प्रमुख व्यापारिक सहयोगी देशों से किए गए आयातों में 92–93 की तदनुरूप अवधि की तुलना में वृद्धि दिखाई देती है, वे हैं–बैल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, यू.के., स्विट्जरलैंड, यू.एस.ए. बांग्लादेश आदि।

विवरण

अप्रैल-सितंबर, 1993 के दौरान भारत का विदेश व्यापार

व्यापार घाटा	निर्यातों को प्रतिशतता के रूप में	आयातों की प्रतिशतता के रूप में व्यापार घाटा	कुल व्यापार की प्रतिशतता के रूप में व्यापार घाटा
1	2	3	4
रुपए करोड़			
1381.35	4.26	4.08	2.08

1	2	3	4
यू.एस. मिलियन डालर			
440.48	4.26	4.08	2.08
मिलि. एस.डी.आर.			
312.91	4.26	4.08	2.08

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक-मंडल का पुनर्गठन

375. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और पुनर्गठित निदेशक मंडल के सदस्य कौन–कौन से हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त निदेशक मंडल का पुनर्गठन कब तक कर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

इंडिया बैंक्स एसोसिएशन और बैंककर्मियों तथा अधिकारियों के संगठनों के बीच समझौता

376. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया बैंक्स एसोसिएशन और बैंककर्मियों तथा अधिकारियों के संगठनों के बीच बैंककर्मियों के वेतनमान, बोनस और पेंशन के बारे में हाल ही में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बैंकिंग क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) भारतीय बैंक संघ और बैंक कर्मचारियों के संघों के बीच पेंशन के मामले के संबंध

में दिनांक 29-10-1993 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। वेतन समझौते और/अथवा बोनस के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। बैंकों में अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में भारतीय बैंक संघ और अधिकारियों के संगठनों द्वारा पेंशन, बोनस अंशदायी भविष्य निधि और वेतन संबंधी मामले पर सयुक्त नोट पर हस्ताक्षर किए गए और सरकार को इसके विचारार्थ भेजा गया है।

(ख) पेंशन समझौते की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :–

विद्यमान बैंक कर्मचारियो के लिए समझौते में भविष्य निधि के लिए कर्मचारी अंशदान के बदले द्वितीय सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन के विकल्प की व्यवस्था है। लेकिन, 1-11-1993 को अथवा बाद में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर केवल पेंशन योजना के ही पात्र होंगे। यह पेंशन योजना बैंक के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी जो 1-1-1986 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, बशर्ते कि वे ब्याज सहित भविष्य निधि के प्रति नियोक्ता के अंशदान को और इस राशि पर आहरण की तारीख से धन वापसी की तारीख तक 6 प्रतिशत के और ब्याज को अभ्यर्पण करते हैं। बहरहाल उन्हें पेंशन 1-11-1993 से ही देय होगी। पेंशन योजना में मूल पेंशन के 1/3 भाग के रूपांतरण (कम्यूटेशन) की भी व्यवस्था है। पेंशन समझौता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए पहले ही परिचालित पेंशन योजना पर आधारित है। पेंशन, की उपदान (ग्रेच्युटि) की गणना के प्रयोजनार्थ "वेतन" में मूल वेतन और 1-11-1993 से उपभोक्ता लागत सूचांक (सी.पी. इन्डैक्स) में 1150 बिन्दुओं तक महंगाई भत्ते का एक भाग शामिल होगा। समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक विस्तृत योजना 31-12-1993 से पूर्व तैयार की जाएगी।

(ग) बैंकिंग क्षेत्र में लागू की जाने वाली पेंशन योजना में बैंकिंग उद्योग का 400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विदेशों में कारोबार

377. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1992–93 के दौरान विदेशों में अपना कारोबार करने हेतु प्रावधान करने के संबंध में चूक की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों की विदेशों में शाखाएं हैं, वे सभी उस देश की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान करते हैं। तदनुसार बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने पूरा प्रावधान किया है। बैंक आफ इंडिया के मामले में प्रधान कार्यालय की निधियां प्रावधानों के बदले विदेशों में रखी जाती हैं। प्रावधानों की इन कमियों को चालू वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा।

आर्थिक सुधारों में परिवर्तन

378. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप भारतीय उद्योग को हो रही कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराने हेतु प्रमुख उद्योगपतियों ने उनसे मुलाकात की है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में क्या टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय उद्योग के कल्याण के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) उद्योगपतियों के एक दल ने 10 नवम्बर, 1993 को वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दल ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत किया कि वे सरकार की व्यापार उदारीकरण की नीतियों से पूरी तरह सहमत हैं और देश के औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए भारतीय उद्यमों को मजबूत बनाया जाए। इस दल द्वारा दिए गए सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) शेयरों की वचनबद्धता के बदले बैंकों द्वारा उधार दिए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाए;

(2) कंपनी अधिनियम की धाराओं 370 और 372 द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को हटाया जाए;

(3) भारतीय कंपनियों को नॉन-वोटिंग शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान की जाए;

(4) भारतीय कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता कम करना;

(5) भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए विदेशों से कम लागत वाली निधियां उपलब्ध कराई जाएं; और

(6) तेजी से विलयनों और अधिग्रहणों के संबंध में उपाय लागू किए जाएं।

(ग) से (ड) इस दल और अन्य संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों को सरकारी आर्थिक नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

कन्सोरटियम लैंडिंग

379. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कन्सोरटियम लैंडिंग प्रणाली की जांच करने हेतु एक समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ङ) कंसोरटियम व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देने की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री जे.वी. शेट्टी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अगस्त, 1993 में उसके पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने अपनी रिपोर्ट में बैंकों द्वारा कंसोरटियम व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देने की वर्तमान प्रणाली की कमियों को बताया है और उनमें सुधार लाने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। इसकी प्रमुख सिफारिशों का सार रिपोर्ट के अध्याय VIII में दिया गया है। आर.बी.आई. द्वारा जैसे ही मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वैसे ही रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 28 अक्तूबर, 1993 के अपने परिपत्र सं. आरईएफआईईसीडी सं./20/08.13.08/93-94 के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कंसोरटियम व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देने से संबंधित संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। वर्तमान मार्गनिर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे किए गए हैं :–

(1) बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषण ऋणकर्ताओं के संबंध में कंसोरटियम के गठन की बाध्यकारिता के लिए प्रारम्भिक सीमा को संशोधित करके इसे 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया गया है।

(2) बैंक अपने विवेकानुसार 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की कार्यशील पूंजी सुविधा प्राप्त उच्च स्तर के कार्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ऋण संगठन आयोजित कर सकता है।

(3) उधारकर्ता कंसोरटियम में नए बैंकों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे और बैंक दो वर्ष के पश्चात् कंसोरटियम छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते कि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। फिर भी या तो कंसोरटियम गठित करने की बाध्यता के कारण या कंसोरटियम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा किसी उधारकर्ता को स्वैच्छिक रूप से वित्त पोषण करने के लिए चुनने के कारण एक बार कंसोरटियम गठित हो जाने पर कंसोरटियम की औपचारिक स्वीकृति के बगैर गैर-सदस्य बैंकों द्वारा निधि आधारित या गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

(4) पुनरुद्धार के लिए अर्थक्षम इकाई के रूप में पता लगाई गई रुग्ण/कमजोर इकाइयों को कंसोरटियम के अंतर्गत ऋण देने के मामले में आरबीआई के वर्तमान मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(5) बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों के संबंध में अपने निर्णय की सूचना दें।

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात कोटा

380. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात कोटे की बिक्री काले-बाजार में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अंतर्गत विगत निर्यात निष्पादन हकदारी प्रणाली तथा गैर-कोटा निर्यातक प्रणाली के अंतर्गत हकदारियां पंजीकृत परिधान निर्यातकों में हस्तांतरणीय होती है। चूंकि कुछ श्रेणियों में हकदारियों की उपलब्धता मांग से कम है इसलिए यह संभव है कि ऐसे अंतरण, हस्तातरणियों द्वारा प्रीमियम की कुछ राशि का भुगतान करने पर किए जाते हों।

एक संसद सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक निर्यातक कोटाओं के काले बाजार में शामिल था। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय तथा अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इस मामले की जांच की गई थी। तथापि, आरोप सिद्ध नहीं हो सका। फिर भी, सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करने के बारे में यह कहने का निर्णय लिया है।

11.27 म.पू.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 6 दिसम्बर, 1993/15 अग्रहायण, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।